खण्ड-215, अंक-1
सोमवार, 17 श्रावण, शक संवत् 1882
(8 अगस्त, 1960 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 215 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ८ अगस्त, १९६०

132SAI

विधान सभा की बैठक सभा–मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन म अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविंद खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य––३६५

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार सिन्हा, डाक्टर
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती

गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंहनेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस०जी०
दर्शनासिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दातारम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराज, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
पद्मावतरलाल श्रीवास्तव, श्री
पन्नेरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती

बिशम्बरसिंह, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रारिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री

रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवरामसिंह यादव, श्री
शिवराय, श्री
शिवराय पांडेय श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री

सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हर्मिदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र भट्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट:—सार्वजनिक निर्माण उप-मंत्री, श्री महावीरसिंह, भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ८ अगस्त, १९६०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

कला एवं शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ के छात्रों की मांगें

**१—श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिनांक ३१ मार्च, १९६० के प्रश्नकर्ता के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ५ तथा ८ अप्रैल, १९६० के प्रश्नकर्ता के अल्पसूचित प्रश्न संख्या १ व २ के उत्तर में उन्होंने बयान दिया था कि आर्कीटेक्चर क्लास में ३ वर्ष के इंटरमीडियेट के तथा उसके पश्चात् २ वर्ष के डिग्री कोर्स के पश्चात् डिग्री देने की व्यवस्था की जा रही है? उसके खिलाफ अब IV year class बन्द कर दिया गया है ?

मुख्य मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—डिग्री देने की व्यवस्था उन विद्यार्थियों के लिये की जा रही है जो पिछले वर्ष ४ साल के थे, और इस वर्ष से कोर्स केवल ३ वर्ष का कर दिया गया है।

**२—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या राजकीय कला व शिल्प महाविद्यालय के संचालन में The All-India Council for Technical Education National Diploma Course in Architecture के syllabus व rules को मान्यता दी जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आल इंडिया कौंसिल आफ टेकनिकल एजूकेशन का उतना सेलेबस जो कि ३ साल के लिये है उसको मान्यता दी जा रही है। नियम वे हैं जो विद्यालय के हैं या प्रादेशिक बोर्ड के।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि उस समय में जो लड़के सेकेण्ड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की आर्कीटेक्चर क्लास में पढ़ रहे थे उनको आश्वासन दिया गया था कि उनको डिग्री दी जायगी, लेकिन अब यह क्लास क्यों बंद की जा रही है जबकि लड़के थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में पहुंच गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उस समय ऐसा खयाल था कि जो हमारी संस्था है उसमें से ही हम डिग्री दे सकेंगे। लेकिन यह तय हुआ कि किसी न किसी विश्वविद्यालय से ही डिग्री दी जा सकती है और उसके लिये देखा गया कि बहुत ज्यादा खर्चे की जरूरत है। इसलिये हमने समझा कि इसको चलाना उचित नहीं होगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जब पहले सवाल पूछा गया था तो उस समय खर्चे की कोई अड़चन नहीं बताई गई थी बल्कि बताया गया था कि आगरा यूनिवर्सिटी ने इजाजत दे दी है? उस समय नहीं बताया गया कि फर्स्ट ईयर वालों के लिये ही खुली रहेगी और बाकी के लिये बंद हो जायगी।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उस समय अंदाजा नहीं था, लेकिन अब हमने देखा कि इतना ज्यादा खर्चा होगा जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जो लड़के सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में हैं और जिनको आश्वासन दिया गया था उनके लिये चाहे यहां चाहे कहीं और व्यवस्था करेंगे कि वह डिग्री क्लास में पढ़ सकें और उनको डिग्री मिल जाय और सरकार का वचन भी पूरा हो जाय?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, जो फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर के लड़के हैं उनके लिये हम अवश्य कोशिश करेंगे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। मैंने सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों के लिये कहा था।

श्री अध्यक्ष—वह कहते हैं कि जिनको आश्वासन था उनके लिये वह कोशिश करेंगे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, मैं कह रहा हूं कि जो सेकेंड और थर्ड ईयर में पहुंच गये हैं उनके लिये कोई व्यवस्था करेंगे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उनके लिये कोई आश्वासन नहीं था। वैसे कहा जा सकता है कि जो भर्ती नहीं हुये थे उनके लिये भी था, लेकिन आश्वासन केवल उनके लिये था जो फोर्थ ईयर पढ़ चुके थे और उनका कहीं भर्ती होना मुश्किल था।

लखनऊ में सिनेमा प्रदर्शकों पर मनोरंजन-कर का बकाया

***३—**श्री अमरनाथ** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ सिनेमा प्रदर्शकों के जिम्मे १५ मई, १९६० से १५ जुलाई, १९६० तक कितना-कितना मनोरंजन कर का बकाया था और उसमें से १५ जुलाई को कितना वसूल हो गया? क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जितने लोगों ने टैक्स का रुपया ठीक समय पर अदा नहीं किया क्या सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही कर रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कुल १८,०३८ रुपये ४२ नये पैसे के मनोरंजन कर का बकाया था जिसमें से १५ जुलाई, १९६० ई० तक १०,५१२ रुपये ५३ नये पैसे वसूल हो गये।
जी हां।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १८ हजार में से १० हजार वसूल हुआ, लेकिन ८ हजार अभी बाकी है तो यह किन कारणों से बाकी है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कारण तो वही लोग जानें जिन्होंने दिया नहीं।

नोट:—अल्प सूचित तारांकित प्रश्न ३ श्री मदन पांडेय ने पूछा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—यह जो प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर में "जी हां" कहा गया तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—एक सिनेमा हाउस जिस पर पहले का बकाया था, उस पर मुकदमा भी चल रहा है, उसका लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया गया और उसकी चल-सम्पत्ति भी अटैच कर ली गई। बाकी दो सिनेमा हाउसेज पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ है ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुछ सिनेमा वाले ऐसे भी हैं जिन पर मई, १९६० से पहले तक का मनोरंजन-कर बाकी है ?

श्री अध्यक्ष—यह आप क्या लखनऊ के सिनेमा के बारे में पूछ रहे हैं ?

श्री देवनारायण भारतीय—जी हां ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, उस एक सिनेमा की ओर मैंने इशारा किया था कि उस वक्त से पहले का बाकी था। इसलिये उसका लाइसेंस सस्पेंड किया गया और उसकी जायदाद भी अटैच कर ली गई, चल सम्पत्ति ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—वह कौन-सा सिनेमाघर है, उसका नाम क्या है और वह कहां स्थित है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—किस मोहल्ले में स्थित है, यह तो मैं नहीं जानता। उसका नाम है रायल सिनेमा ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इंटरटेनमेंट टैक्स ठीक से वसूल हो सके, इसके लिये सरकार कोई परिवर्तन कानून में करेगी जिससे लैण्ड रेवेन्यू की तरह से वह वसूल कर सकें ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, आम तौर से जब लोग रुपया नहीं देते हैं तो केस तहसीलदार के पास भेज दिया जाता है कि लैण्ड रेवेन्यू की तरह से वसूल करें।

श्री मदन पांडेय—जिन दो सिनेमाओं के खिलाफ मुकदमा चलने की बात है क्या उनके लाइसेंस सस्पेंड करना सरकार के विचाराधीन है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभी तो नहीं है क्योंकि मई के पहले का उनके ऊपर बाकी नहीं था। थोड़े ही दिनों का बाकी है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मुख्य मंत्री स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि जब आम तौर पर लैन्ड रेवेन्यू की तरह से वसूल किया जाता है तो मुकदमा किस धारा के अनुसार चल रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—धारा तो मैं इस वक्त नहीं बता सकता। मैं जानता नहीं।

श्री अध्यक्ष—दोनों तरीके हो सकते हैं ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—जिस प्रकार प्रेशर से टैक्स-वसूली के लिये एक ऐक्ट सदन में बन चुका है कि अगर वे समय से अदा न करें तो उनका सामान या जमानत जब्त कर ली जाय, तो क्या सरकार उसमें संशोधन करने जा रही है और जमानत से क्यों नहीं वसूल करती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां। एक सिनेमा का तो मैंने बतलाया है कि उसकी चल-सम्पत्ति जब्त हुई। इसके अलावा सिनेमा की सिक्योरिटी भी रहती है। अगर बकाया उससे कम है तो वह उससे काट लिया जाता है। हमारा इरादा यह है कि जमानत की रकम बढ़ा दें। फिर भी, मैं यह नहीं कह सकता हूं कि अगर कोई नादिहन्द ही है तो उससे बाकी रकम कैसे बहुत जल्दी वसूल की जाय। हमको भी कानून के दायरे में चलना होता है।

तारांकित प्रश्न

खाद्य तथा रसद संगठन से सम्बन्धित कर्मचारियों के स्थायित्व में विलम्ब

*१---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)---क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या खाद्य तथा रसद संगठन से संबंधित कर्मचारी वर्ग को १-४-५९ से स्थायी कर दिया गया है ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)---जी नहीं।

*२---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---यदि हां, तो क्या खाद्य मंत्री उन कर्मचारियों की संख्या और पद बताने की कृपा करेंगे जिनको १-४-५९ से स्थायित्व प्राप्त हुआ ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि खाद्य तथा रसद संगठन के अन्तर्गत कर्मचारियों को अभी तक स्थायी न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---प्रभो इस पर वित्त विभाग देखभाल कर रहा है इसलिये देरी हुई है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि वित्तीय वर्ष १९५९-६० के अनुपूरक बजट में १ लाख ६९ हजार २४३ रुपये इन कर्मचारियों के स्थायीकरण के लिये स्वीकृत किये गये हैं, फिर भी अभी तक स्थायी क्यों नहीं किया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी हां। पूरक बजट में पास किया था। इसमें विलम्ब हुआ। इसका हमें खेद है।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या माननीय खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह कर्मचारी कितने समय से अस्थायी चले आ रहे हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जब से विभाग खुला है।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस स्थायीकरण के फलस्वरूप एक्सचेकर के ऊपर कितने रुपये का भार पड़ेगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह ठीक याद नहीं है। आप बजट को देख लें।

श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)---अभी मंत्री जी ने बताया कि देखभाल हो रही है तो देखभाल कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---वित्त विभाग से लिखा-पढ़ी की जायगी।

पंखे में आग लगना

श्री गज्जूराम (जिला झांसी)---पंखे से धुंवा आ रहा है।

श्री अध्यक्ष---वह बन्द कर दिया गया है। कुछ देर तक धुंवा चलेगा।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

गुड़ का भाव नियत करने की प्रार्थना

*३--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार गुड़ का भाव प्रदेश में स्थिर करने हेतु 'गुड़ खरीद' योजना लागू करने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--गुड़ का भाव स्थिर करने के हेतु गुड़ खरीद की कोई भी योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है क्योंकि सरकार को इस प्रकार की कोई योजना चलाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि योजना चालू करने में उसे दिक्कत क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इसका स्टैंडिंग कमेटी में भी प्रस्ताव आया था । वहां पर भी लोगों ने इसको मुनासिब नहीं समझा क्योंकि गुड़ पिघलने वाली चीज है और इससे स्टेट को बड़ा भारी नुकसान हो सकता है ।

पंखे में आग लगने के कारण बैठक का स्थगन

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि अगर धुंवा बन्द नहीं होता है तो पांच मिनट के लिये उठ जाया जाय । इस बीच में वह ठीक कर लेंगे ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--एक निवेदन है कि रोज-रोज पंखे खराब होते हैं । कई दिन से ऐसा चल रहा है । इसको अवश्य कोई व्यवस्था करें । कभी इधर जल जाता है, कभी उधर ।

श्री अध्यक्ष--हमारा दफ्तर तो लिखता ही रहता है । मुख्य मंत्री जी भी बैठे हैं । एक दफा पूरा चेक हो जाय । रोज एक न एक पंखा जल जाता है ।

अब मैं सदन को पांच मिनट के लिये स्थगित करता हूं ।

(इस समय ११ बजकर १० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और ११ बजकर १५ मिनट पर कार्यवाही जारी हुई ।)

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या खाद्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, जनवरी, फरवरी के महीने में जिन क्षेत्रों में चीनी मिलें नहीं हैं उन क्षेत्रों में गुड़ का भाव सस्ता हो जाने के कारण प्रतिवर्ष किसानों का लाखों रुपये का नुकसान होता है, ऐसी दशा में उस क्षेत्र में सरकार कोई गुड़ खरीद योजना लागू करने की योजना बनायेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यह प्रश्न से स्पष्ट नहीं हुआ कि आप किसकी कीमत ज्यादा समझते हैं और किसे कम समझते हैं । मगर मुझे जो इत्तला है वह यह कि १४ से १६ के अन्दर जनवरी और फरवरी के भीतर भाव रहा तो इसे आप ज्यादा समझते हैं या कम समझते हैं, क्या समझते हैं ?

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के विचारानुसार गुड़ का भाव क्या होना चाहिये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--प्राइस सपोर्ट सन् ५४ में १० रुपये से नीचे जब भाव गिरा था, तब सरकार ने दी थी ।

श्री मदन पांडेय---यदि गुड़ खरीद करके मूल्य स्थिरीकरण की नीति सरकार के विचाराधीन नहीं है तो क्या अन्य कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर रोशनी डालेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---गुड़ का ठोक भाव चल रहा है और अभी उसमें छेड़-छाड़ करने की सरकार के लिये कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गुड़ के व्यापार पर सरकार का नियंत्रण न होने की वजह से व्यापारी मनमाने ढंग से खरीदता है और उससे गुड़ बनाने वाले किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है ? यदि हां, तो भविष्य में कोई ऐसी योजना बनाने के लिये सरकार तैयार है जिससे कि चीनी की तरह गुड़ पर भी नियंत्रण होकर खरीद-फरोख्त हो सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जैसा मैंने कहा कि सन् १९५४ में श्री रामहेतसिंह जी ने ही वह प्रस्ताव रखा था जब दस रुपये से नीचे भाव आया था और गवर्नमेंट ने उस समय प्राइस सपोर्ट दे दिया था । तब से भाव ठीक जा रहा है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---माननीय खाद्य मंत्री से पूछा गया था कि कौन-सी लिमिट होगी जिस पर वह समझेंगे कि गुड़ पर नियंत्रण होना चाहिये, तो क्या यह समझा जाय कि दस रुपया मन जो उन्होंने बताया वही उसकी लिमिट है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---परम्परा तो यही है ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जिस मौसम में गुड़ बनता है उस मौसम के गुड़ का भाव और उसके चार महीने बाद जो गुड़ का भाव होता है उसमें बहुत बड़ा अन्तर हो जाता है ? यह देखते हुये क्या वह यह नहीं समझते हैं कि किसानों को गुड़ का दाम कम मिल रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जब कभी किसानों को कमी होती है या उपभोक्ता को कमी होती है तो गवर्नमेंट उस पर विचार करती है । मगर विरोधी दल से जो प्रश्न किया जाता है वह तो अन्दाज से किया जाता है । समझ में नहीं आता कि वह क्या चाहते हैं, कम चाहते हैं या ज्यादा चाहते हैं, उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचाना चाहते हैं या उत्पादकों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि गन्ना उत्पादकों और गुड़ बनाने वालों की दृष्टि से जो एक महत्वपूर्ण लघु उद्योग है अपने प्रदेश का, उनके हितों की रक्षा के लिये गुड़ का भाव कम से कम कितना होना चाहिये, हाल में इस पर उन्होंने कोई विचार किया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---अभी ऐसी परिस्थिति सन् १९५४ से उत्पन्न हो नहीं हुई है और आशा है कि होगी भी नहीं ।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । अभी माननीय मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के अपने उत्तर में यह कहा कि विरोधीदल का प्रश्न मेरी समझ में नहीं आता है कि वह दाम बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं । यह बहुत बड़ा आक्षेप उन्होंने विरोधीदल पर किया है । मान्यवर, यदि आप मुझे इजाजत दें तो मैं यह अर्ज करूंगा कि हम लोग भी जानते हैं कि किस प्रकार से सवाल करना चाहिये और फिर उसी तरह के [illegible] जिनसे आक्षेप का प्रश्न उठ सकता है । इस लिये प्रश्नकर्ता को यह जवाब देना कि

पता नहीं चलता है कि चाहते क्या हैं, कहां तक उचित है ? जिस प्रश्न को आपने जायज करार दिया उसको वह 'हां' में जवाब दें या 'नहीं' में जवाब दें या अपनी दुश्वारी बयान करें, लेकिन यह कहना कि समझ में नहीं आता है और वह चाहते क्या हैं, इस पर आप विचार कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष---यह समझ की खूबी है या किसी प्रश्न की खूबी है । आपके प्रश्नों से मेरा यह खयाल हुआ कि आप की बात उनको समझ में नहीं आई कि आप क्या चाहते हैं । समझ में बात नहीं आई तो उत्तर देने में लाचारी है ।

श्री त्रिलोकी सिंह---समझ में नहीं आया, लेकिन जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया और जिस दिन वह छप जायगी तो उसका अर्थ वही निकलेगा जो मैं लगा रहा हूं और उसी पर आपसे व्यवस्था का प्रश्न किया ।

श्री अध्यक्ष---मैंने यही अर्थ लगाया कि जब मैंने प्रश्न की इजाजत दे दी तो उसमें कोई टीका करने का प्रश्न नहीं था । अब वह बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उसमें थोड़ा यह भी है कि आज कल के भाव को उन्होंने सामने रखा जिसको वह १५, १६ रुपये बता रहे थे । एक तरफ कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि वह स्पष्ट नहीं होती हैं इसलिये शंका-आशंका होती है । मैं समझता हूं उनकी समझ में बात नहीं आई इसी कारण आपको ऐसा मालूम हुआ ।

श्री गौरीशंकर राय---सवाल यह था कि जिस महीने किसान के घर गुड़ बनता है उस मौसम में व्यापारी बड़े सस्ते दाम पर खरीद लेता है और जब किसान के घर से व्यापारी के घर पहुंच जाता है तो गुड़ का भाव बहुत बढ़ जाता है । मकसद यह है कि किसान को उचित दाम मिलना चाहिये, इसके लिये सरकार ने सोचा है या सोचना चाहती है या नहीं कि किसान को उसकी पैदावार का उचित दाम मिल जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी हां, यह साधारण बात है कि जब गेहूं या गुड़ आदि कोई चीज पैदा होती है उस वक्त फसल होती है तो ट्रेडर्स सस्ते दाम पर ले लेते हैं । उसके लिये नियंत्रण जरूरी है । मगर जिस तरह से नियंत्रण के खिलाफ सवाल उठता है तो उसके लिये देखना पड़ता है कि किस आधार पर नियन्त्रण हो सकता है ।

श्री गौरीशंकर राय---मेरा फिर व्यवस्था का इस पर प्रश्न है कि इस तरह से किसी चीज को जनरलाइज करके जवाब देना कि इस तरह से दाम घटते हैं या बढ़ते हैं, मैं समझता हूं मेरे प्रश्न का क्या यह उत्तर है ?

श्री अध्यक्ष---आप सवाल करिये जो भी आप करना चाहते हों ?

श्री गौरीशंकरराय---किसानों को गुड़ का दाम उचित मिल सके इस सिलसिले में सरकार कुछ करना चाहती है ?

श्री अध्यक्ष---वह तो कहते हैं कि सरकार करती रहती है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैं इस बुनियादी प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि प्रश्न माननीय सदस्यों की ओर से सदस्यों के रूप में किये जाते हैं । कोई दल के रूप में, बहुमत के रूप में, या विरोधीदल के रूप में या पी० एस० पी० के रूप में प्रश्न नहीं किये जाते हैं और पार्लियामेण्ट्री प्रैक्टिस के अनुसार इंडिविजुअली प्रश्न पूछना चाहते हैं । मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि विरोधीदल की ओर से जो प्रश्न किया जाता है उसको आमतौर पर जनरलाइज कर देना क्या पार्लियामेण्ट्री प्रैक्टिस के अनुसार है ? वह तो यहां पर व्यक्तिगत रूप में प्रश्न पूछते हैं, किसी पार्टी के रूप में प्रश्न नहीं करते हैं ?

श्री अध्यक्ष---वह वैयक्तिक पार्टी के रूप में प्रश्न को लेते हैं । उनका पार्टी का जिक्र करना अनहेपी ऐक्सप्रेशन है ।

घोसी में कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला आजमगढ़ की शाखा खोलने की प्रार्थना

*४—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घोसी, जिला आजमगढ़ में जिला कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला आजमगढ़ की कोई शाखा खोलने का प्रस्ताव कोआपरेटिव रजिस्ट्रार के यहां आज्ञा हेतु लगभग १ वर्ष से पड़ा हुआ है ?

सहकारिता उप मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—जी नहीं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उन के पास कोआपरेटिव बैंक, आजमगढ़ की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव आया है कि जिले में कोआपरेटिव बैंक का काम बहुत ज्यादा है और खास कर उस एरिया में, इसलिये उधर एक बैंक खोलने की इजाजत दी जाय ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—२६-१२-५७ को इस प्रकार का प्रस्ताव पास करा कर रजिस्ट्रार महोदय के पास भेजा गया था । रजिस्ट्रार ने उपनिबंधक से इस विषय में उनकी राय मांगी और उस प्रस्ताव पर उपनिबंधक ने ९-८-५८ को अपनी स्वीकृति दी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का सवाल है । प्रश्न के उत्तर म कहा गया है जी नहीं, लेकिन इस अनपूरक प्रश्न में स्वीकार किया गया है कि १९५७ में ही इस प्रकार का प्रस्ताव आया था जिसको हमने अभी स्वीकार किया है । तो इन दोनों बातों में कौन-सी बात सही है ? मैं समझता हूं कि अगर अनुपूरक प्रश्न न किया जाता तो पहले वाला जवाब ही सही माना जाता ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—अध्यक्ष महोदय, प्रश्न में लिखा है कि कोआपरेटिव रजिस्ट्रार के यहां प्रस्ताव लगभग १ वर्ष से पड़ा हुआ है और उसी का उत्तर दिया गया है । जब आया उसकी स्वीकृति दे दी गई । वहां नहीं पड़ा है और न पड़ा था ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि यहां के हुक्म के बावजूद भी फिर से वहां के अधिकारियों ने अंतिम स्वीकृति के लिये सरकार के पास कोई प्रार्थना-पत्र भेजा है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जी नहीं, वहां के संचालक बोर्ड ने अंतिम रूप से १७-६-६० को घोसी में उसकी एक ब्रान्च खोलना स्वीकार कर लिया है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वहां के संचालक मंडल ने जो बैंक की शाखा खोलने का प्रस्ताव किया है वह कब तक खुल जायगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—यह तो मकान मिल जाने पर है । घोसी में ज्यों ही मकान मिल सके और अन्य सुविधायें जो उनको आवश्यक हों, मिल सकें उतनी ही जल्दी उस पर कार्य किया जायगा ।

*५-६—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—[२२ अगस्त, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

अमरीकी मिल्क पाउडर बेचने के लिये नामजद फर्में

*७—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या यह सही है कि सरकार ने प्रदेश में अमेरिका से सस्ता मिल्क पाउडर आयात कर के बेचने के लिये जो लोग नामजद किये थे उनके द्वारा अपने हिस्से का पूरा मिल्क पाउडर न उठाये जाने के कारण लगभग ग्यारह लाख पौंड मिल्क पाउडर अखाद्य हुआ जा रहा है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी नहीं। ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है।

*८—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उसने जिनको नामजद किया था उनके नाम और निवास-स्थान क्या हैं ? उनमें से किस-किस ने कितना मिल्क पाउडर अपने हिस्से का नहीं उठाया और क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सरकार ने जिन फर्मों को कोटा उठाने के लिये नामजद किया था उनका नाम व पता संलग्न सूची 'क' में दिया गया है। इन फर्मों में से जिन फर्मों ने अपने हिस्से का पूरा कोटा नहीं उठाया उनका नाम उपरोक्त सूची पर क्रम-संख्या ८ से १२ में दिया है। यह कोटा न उठाने का कारण आर्थिक कठिनाई बताई जाती है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७५ पर)

*९—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—क्या यह सही है कि नामजद किये हुये में से कुछ ने एग्रीमेंट को भंग किया ? अगर हां, तो किस-किस ने और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है तथा करने जा रही है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी हां, जिन फर्मों ने एग्रीमेंट को भंग किया उसकी सूची 'ख' पर दी हुई है। इन फर्मों के विरुद्ध एग्रीमेंट की धाराओं को भंग करने के कारण उचित कानूनी कार्यवाही करने का विचार हो रहा है ?

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७५ पर)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने जिन फर्मों को कोटा उठाने के लिये नामजद किया था उनको किस आधार पर नामजद किया गया था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—डिस्ट्रिक्ट्स से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स की रेकमेंडेशन पर।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि कोटा न उठाने का कारण आर्थिक कठिनाइयां बतलायी जाती हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि उन्होंने क्या-क्या आर्थिक कठिनाइयां बतलायीं और उन आर्थिक कठिनाइयों में एक यह भी थी कि जिन्होंने कोटा नहीं उठाया उनको यह कहना था कि हमारे इकरारनामे में जो कीमतें दी गयी हैं उसमें हमारे साथ रियायत की जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां, एग्रीमेंट के मुताबिक और स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ने जो दिया था कि इतना खर्च जोड़ कर कीमत निर्धारित की जाय, उसके अतिक्ति वह चाहते थे कि उनके बैंक इंटरेस्ट को भी हम जोड़ें। वह हमने नहीं जोड़ा। यह कठिनाई जरूर थी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—उत्तर में कहा गया है कि एग्रीमेंट की धाराओं को भंग करने के लिये उचित कार्यवाही करने का विचार हो रहा है। क्या सरकार बतलायेगी कि यह विचार कब से हो रहा है और कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जो हमारे हाथ की बातें थीं उनको ब्लैक लिस्ट करने की, उनकी सीक्योरिटी को फोरफिट करने की, वह हमने कर दी। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि एग्रीमेंट के अनुसार और कुछ निकल सकता है या नहीं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—जो सूची 'क' दी गई है जिसमें उन लोगों के नाम दिये हैं जिन्होंने कोटा नहीं उठाया है, उसमें ग्यारहवें नम्बर पर जो नाम हैं कि उसके बारे में यह कहा गया है कि उनके स्टाक की जिला सप्लाई आफिसर ने जांच नहीं की। तो जब सरकार को यह मालूम हुआ कि जिला आफिसर ने जांच नहीं की तो उसने कोई कार्यवाही उसकी जांच कराने के लिये की और उसका क्या नतीजा हुआ ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जितनी बार जिला आफिसर जांच करने के लिये गये वहां ताला बन्द निकला। मुझे जब वह नैनीताल में मिले तो मैंने उनसे पूछा तो वे बीवी के मरने का बहाना बताने लगे। तो वह मिलते ही नहीं थे जिसके कारण जांच नहीं हो पाई।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---जिन लोगों को स्वीकृति दे दी गई थी उन की कोई जमानत भी ली गई थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जब उनसे जमानत नहीं ली गई थी, तो जब्त कैसे हो गई ? जमानत तो ली गई थी।

श्री देवनारायण भारतीय---माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि कुछ फर्मों ने एग्रीमेंट की शर्तों को भंग किया, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसी सूरत में वह मिल्क पाउडर का कोटा खराब हो रहा है, या रुका हुआ पड़ा है या नहीं, या क्या बात है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---चूंकि एग्रीमेंट जो बन कर आया था वह स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन से आया था। उसके अनुसार उनके खिलाफ कोई खास पकड़ नहीं हो सकती थी, यह लाचारी थी। दूसरी बात यह कि एसेन्शियल कमोडिटीज के अन्दर वह आती नहीं...

श्री अध्यक्ष---उनका सवाल यह है कि जो मिल्क पाउडर मौजूद है वह खराब तो नहीं हो रहा है ? इसका उत्तर दीजिये।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मिल्क पाउडर जो था उसका वह भेद ही नहीं बताते। वह बेच दिया होगा। वह हमारी नजर में नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---श्रीमन्, यह जो सूची 'क' है इसमें १२ वें नम्बर पर एक फर्म का नाम दिया है, साहा ट्रेडर्स, जीनमंडी, आगरा, इस फर्म के मालिक का कहीं पता नहीं चल रहा है, तो मैजिस्ट्रेट महोदय ने जब मंत्री महोदय को इस फर्म के लिये सिफारिश की थी तो क्या उन्होंने इस फर्म को नहीं देखा था और क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि वह फर्म कहां चली गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---पुलिस किस की जांच करेगी, किस कानून के अन्दर जांच करेगी, इन्हीं बातों को देखना है और हम उनको देख रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह और भी कुछ फर्मों को परमिट दे रही हैं जो एगजिस्ट ही नहीं करतीं ? (हंसी)

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

*१०-११---**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)---[२२ अगस्त, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

प्रतापगढ़ जिले में सरिया तथा साफ्ट-कोक की विक्री-व्यवस्था

*१२---**श्री हरकेशबहादुर** (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उसने प्रतापगढ़ जिले में विक्रेता स्टाकिस्ट को मई तथा जून, १९६० में ३/८ इंची सरिया उसी मूल्य पर बेचने का आदेश दिया था जिस मूल्य पर वह खरीदी गयी थीं ? यदि हां, तो क्या वह आदेश बदल दिया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---सूचना एकत्र की जा रही है।

*१३---**श्री हरकेशबहादुर** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि साफ्ट-कोक के कितने लाइसेन्सी प्रतापगढ़ जिले में जून, १९६० में थे ? क्या सरकार उनके कोटे और संख्या में बृद्धि करने पर विचार कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—प्रतापगढ़ जिले के लिये दो कोल डिपो स्वीकृत थे किन्तु जून, १९६० में केवल एक ही चालू हालत में था। कोटा जिले के आधार पर बढ़ाया गया है और ४८ वैगन से ५० वैगन वार्षिक कर दिया गया है। कोल डिपोज की संख्या को भी दो से तीन कर देने के आदेश दिये जा चुके हैं।

प्रतापगढ़ में मकानों का अलाटमेंट

*१४—**श्री हरकेशबहादुर** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कितने व्यक्तियों ने नगरपालिका प्रतापगढ़ की सीमा के अन्दर मकान के अलाटमेंट के लिये प्रार्थना-पत्र जिला पूर्ति अधिकारी अथवा जिलाधीश के यहां जुलाई, १९५९ से जून, १९६० तक दिये और कितनों को मकान अलाट कर दिया गया है तथा कितनों को अभी नहीं हुआ है और ऐसी सब से पुरानी दरख्वास्त किस तिथि की है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—नगरपालिका, प्रतापगढ़ की सीमा के अन्दर जुलाई, १९५९ से जून, १९६० तक २१६ व्यक्तियों ने जिला पूर्ति अधिकारी अथवा जिलाधीश के यहां मकान के अलाटमेंट के लिये प्रार्थना-पत्र दिये। उनमें से ८५ व्यक्तियों को मकान अलाट किये गये। १३१ व्यक्तियों को मकान अलाट नहीं हो सके। सबसे पुरानी दरख्वास्त २-७-५९ की है।

रिक्शा चलाने के सम्बन्ध में सरकार की नीति

*१५—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार की ओर से रिक्शा चालकों की सहकारी समिति बनाने तथा उन्हें पूरी सहायता देकर यन्त्र चालित रिक्शा देने की कोई योजना उनके पास आयी है? यदि हां, तो कब तथा अब तक उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जी हां, परन्तु सरकार की नीति रिक्शा चलाने के विरुद्ध है और उन्होंने रिक्शा चलाना कुछ साल में समाप्त करने का निश्चय कर लिया है। लेकिन यह मामला अभी हाईकोर्ट इलाहाबाद के विचाराधीन है। अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह नीति पूर्णरूप से कार्यान्वित होगी। इसीलिये अभी तक रिक्शा चालकों की सहकारी समिति बनाने की योजना पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार का पत्र उन्हें कब प्राप्त हुआ और इलाहाबाद में जो मुकदमा दायर है वह किसकी ओर से दाखिल किया गया है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—१४ अक्तूबर, १९५९ को भारत सरकार का पत्र प्राप्त हुआ और ४ मई, १९६० को उसका रिमाइन्डर। इसी बीच में यह रिट पिटीशन दायर हुआ हाइकोर्ट में।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—यह रिट पिटीशन किन लोगों की तरफ से दायर हुआ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—नगरपालिका कानपुर की तरफ से। सरकार ने एक माडेल बाइलाज बना कर भेजे थे कि अगले १० वर्ष में धीरे-धीरे रिक्शाओं का चलना समाप्त किया जाय और बहुत-सी नगरपालिकाओं ने ऐसे बाइलाज स्वीकार कर लिये थे। उनके अगेन्स्ट में कोई केस हुआ। उस पर हाई कोर्ट का फैसला हो गया था, उसके विरुद्ध फिर नगरपालिका कानपुर ने रिट किया है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब सरकार ने यह फैसला किया कि नगरपालिका क्षेत्र में रिक्शा चलाना बन्द कर दिया जायगा तो क्या सरकार ने उनको कोई दूसरा मुकाबले का धंधा और रोजी देने की बात सोची थी ? यदि हां, तो क्या ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---सरकार की तरफ से घरेलू उद्योग-धंधे को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की सहायता भी सरकार के इंडस्ट्रीज विभाग की तरफ से दी जाती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री भारत सरकार ने जो योजना बनायी और प्रदेशीय सरकार को भेजी उसे जरा संक्षेप में बतला देंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---यही योजना थी कि रिक्शा पुलर्स की को-आपरेटिव सोसाइटी बनायी जाय और उनको आर्थिक सहायता भी दी जाय जिससे सफलतापूर्वक उस कार्य को कर सकें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---भारत सरकार की राय के विपरीत रिक्शा बन्द कराने के सम्बन्ध में जो सरकार ने निश्चय किया उसका आधार क्या है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---साधारणतया सरकार ने स्वास्थ्य की दृष्टि से इसको चलाना बन्द करने का निश्चय किया।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब सरकार ने फैसला लिया कि रिक्शा चलाना बन्द कर दिया जायगा तो उसने इस बात को असेस किया, जानकारी करायी कि प्रदेश में कितने लोग बेकार हो जायेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---यह तो सभी बातें सरकार के दिमाग में थीं जिस समय उन्होंने इस बात का निश्चय किया।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उस नीति से इस स्कीम पर सरकार का क्या असर पड़ता है कि सहकारिता द्वारा यंत्र-चालित रिक्शा चालू कराया जाय, रिक्शा चालकों को आर्थिक सहायता दी जाय ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्योंकि यह मामला अभी रुका पड़ा है और सरकार की नीति यह है कि भविष्य में रिक्शा न चलाये जायं। हाई कोर्ट में जो इस विषय में एक रिट पहुंचा हुआ है कि रिक्शा चलाये जायें या नहीं, जब तक उसका फैसला न हो जाय तब तक अन्तिम निश्चय नहीं लिया जा सकता।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---मैंने यह पूछा था कि रिक्शा चालकों को बन्द करने के खिलाफ रिट पहुंचा हुआ है और भारत सरकार का यह मंशा था कि उनको आर्थिक सहायता देकर कोआपरेटिव सोसाइटी बनाकर चलाया जाय तो इसमें सरकार को क्या बाधा पड़ रही है ?

श्री अध्यक्ष---केन्द्रीय सरकार की नीति को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, यह तो उन्होंने बताया।

श्री गेंदासिंह---जिस आधार पर सरकार ने स्वास्थ्य के सम्बन्ध में यहां स्टेटमेंट दिया वह क्या आधार है ? किस शहर में रिक्शा चालकों के स्वास्थ्य की जांच करायी गयी और उस जांच की रिपोर्ट संक्षेप में बताने की कृपा करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---जांच की रिपोर्ट तो इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है कि इस प्रकार का जब गवर्नमेंट ने फैसला लिया तो उनके पास जांच होकर आयी या नहीं।

संचालक मण्डल संघ, बड़ा गांव के सहकारी सुपरवाइजर के विरुद्ध प्रस्ताव

*१६—श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या संचालक मंडल संघ, बड़ागांव, तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ ने दिनांक ६-१२-५९ को अपने संघ के सहकारी सुपरवाइजर के अवैधानिक कार्यों के बारे में प्रस्ताव पास करके सहकारिता मंत्री, उत्तर प्रदेश, रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, उत्तर प्रदेश तथा ए० आर०, आजमगढ़ के पास कार्यवाही करने के निमित्त भेजा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जी हां ।

मामले की जांच कराने पर प्रस्ताव में कथित सुपरवाइजर के कार्य अवैधानिक नहीं पाये गये ।

*१७—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सहकारिता मंत्री उक्त प्रस्ताव व प्रार्थना-पत्र की मुख्य-मुख्य बातें बताने की कृपा करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—प्रस्ताव व प्रार्थना-पत्र की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(१) सुपरवाइजर ने बिना संचालन मंडल की आज्ञा के दिनांक ७-११-५९ को सालाना आम जलसा बुलाया ।

(२) संचालक मंडल के निर्णय के विपरीत भट्ठा द्वारा बैंक में रक्खे हुये धन को मनमाने ढंग से समितियों में वितरित कर दिया ।

(३) संचालक मंडल के दिनांक १३-१०-५९ के फैसले के विपरीत सुपरवाइजर में भट्ठे का कैश बुक रोकड़ बही तथा पे-बिल अकारण अपने पास रख कर भट्ठे के कार्य में बाधा डाल रहे हैं ।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सहकारिता उप मंत्री बतायेंगे कि सरकार की ओर से जो उत्तर दिया गया है—न० १, २, ३ , जिसमें यह है कि सुपरवाइजर ने संचालक मंडल के खिलाफ सालाना जल्सा बुलाया तो क्या यह बाई लाज की धारा ५०/१८ के विपरीत नहीं है ? और दूसरे में यह उत्तर दिया गया है कि संचालक मंडल के निर्णय के विपरीत भट्ठा द्वारा बैंक में रक्खे हुये धन को मनमाने ढंग से समितियों में वितरित कर दिया ? और प्रश्न संख्या १६ के उत्तर में लिखा है कि सुपरवाइजर के कार्य अवैधानिक नहीं पाये गये तो मिसाल के लिये मैं नम्बर (१) के लिये पूछ रहा हूं कि क्या यह बाइ लाज की धारा ५०/१८ के विपरीत नहीं है ? और यदि विपरीत नहीं है तो उसका क्या कारण है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—धारा ४७ के अनुसार सोसायटी के मंत्री को अधिकार है, वह आम जलसे की मीटिंग बुला सकता है और एग्जीक्यूटिव कमेटी की भी मीटिंग बुला सकता है ।

श्री मुक्तिनाथ राय—जैसा मंत्री जी ने कहा कि मंत्री मीटिंग बुला सकता है, लेकिन जब संघ प्रस्ताव पास करता है कि मीटिंग न बुलाई जाय तो कौन से विशेष कारणों से सुपरवाइजर ने मीटिंग बुला ली ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने तो कहा कि अवैधानिक नहीं है, यह तो दूसरी चीज है ।

श्री मुक्तिनाथ राय—नं० (२) में यह जवाब दिया है कि संचालक मंडल के निर्णय के विपरीत भट्ठा द्वारा बैंक में रक्खे हुये धन को मनमाने ढंग से समितियों में वितरित कर दिया, तो क्या यह सही है कि संघ का प्रस्ताव था कि केवल हरैया ब्लाक की समिति को प्रार्थना-पत्र देने पर धन वापस किया जाय परन्तु ऐसा क्यों नहीं हुआ ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---भट्ठा एक वर्ष से बन्द पड़ा था, बहुत सी समितियों की अमानतें उस संघ के पास थीं इसलिये मंत्री ने सही किया कि उनकी अमानतें वापस दे दीं जिससे उन्होंने बैंक में रुपया वापस देकर शेयर भी ले लिये और कर्जा अदा भी कर दिया ।

श्री मुक्तिनाथ राय---क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संचालक मंडल का यह फैसला हो चुका था कि उक्त कागजात भट्ठा मैनेजर श्री अवधेशसिंह को दे दिये जांय ? यदि हां, तो क्या सुपरवाइजर ने मनमानी नहीं की और उसका कार्य किस प्रकार से अवैधानिक नहीं हुआ ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---डी० सी० ओ० महोदय ने मैनेजर को आदेश दिया था कि वह मंत्री को सब कागजात दे दें, लेकिन भट्ठा मैनेजर ने डी० सी० ओ० के आदेश की अवहेलना की इसलिये जो कागजात मंत्री के पास थे वह उसने अपने पास रखे ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार के पास इस प्रकार की भी कोई शिकायत आई है कि सुपरवाइजर को संचालक मंडल के कुछ व्यक्तियों ने मारा और उनके खिलाफ कुछ गबन की भी शिकायत है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---जी नहीं ।

श्री मुक्तिनाथ राय---क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि संचालक मंडल संघ, बड़ा गांव ने जो शिकायत सहकारिता मंत्री, रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसायटी और अन्य उच्च अधिकारियों के पास भेजी थी उसमें यह भी शिकायत थी कि सुपरवाइजर ने बाइ-लाज की धारा ५०/१६ के विपरीत संघ के वाउचरों को कभी भी संचालक मंडल के सम्मुख नहीं पेश किया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---जी हां, यह भी शिकायत थी । लेकिन भट्ठा मैनेजर के पास शेष बहुत बड़े एकाउन्ट्स बाकी हैं, वह अभी अपने एकाउन्ट्स दे नहीं रहे हैं इसलिये यह एका-उन्ट भी संचालक मंडल के पास नहीं भेजे गये ।

अनुपस्थित मंत्री के नाम में दिये गये उत्तरों पर आपत्ति

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय सहकारिता मंत्री विदेश गये हैं, रूस गये हैं । सदन में उनके दस्तखत से सवाल के उत्तर हमको दिये गये हैं । मैं समझता हूं कि यह नियम के विपरीत हैं और यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न भी है इस तरह से, अब मैं क्या कहूं, दूसरे के दस्तखत बनाकर जाल बट्टा करके हाउस के सामने पेश किया गया है ।

श्री अध्यक्ष---अगर वह पहले मंजूर करके चले गये तो उनके दस्तखत रहेंगे ही । किसी मंत्री के चले जाने के बाद जो मंत्री या उप-मंत्री प्रश्न स्वीकार करते हैं वह अपना नाम दिया करें । अगर आप "मोहनलाल गौतम" न लिखते तो बात दूसरी थी । लेकिन जब आप "मोहनलाल गौतम" लिखते हैं और नीचे "सहकारिता मंत्री" लिखते हैं, तो अगर उन्होंने मंजूर किया है या उनके समय में मंजूर हुआ है तो ठीक हो सकता है । नहीं तो अनुचित है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---फैक्ट्स क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष---यह पता नहीं । आगे के लिये मैं एक सिद्धांत बतलाये देता हूं, जैसे काम होना चाहिये । सरकार पूरी जिम्मेदारी लेती है उनके उत्तर की ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---१५ वां सवाल उनके चले जाने के बाद हमने आपके कार्या-लय में भेजा है । तो ऐसे सवाल के लिये आपका क्या निर्णय होगा ?

श्री अध्यक्ष—ऐसे सवालों में उनका नाम न देकर जो डिप्टी मिनिस्टर मौजूद हैं जिनके चार्ज में यह काम है, वह अपना नाम लिख दें। उसमें क्या बात है? उत्तर तो वह मिनिस्टर का समझा जायगा या सम्बन्धित विषय जिसके पोर्टफोलियो में है।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि सदन के नियमों के अनुसार और जो संसदीय परम्परायें हैं, उनके अनुसार यदि कोई माननीय सदस्य दूसरे माननीय सदस्य के हस्ताक्षर बना देखता है तो उससे इस आदरणीय सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना हो जाती है। मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि यदि इस प्रकार हुआ है तो आप यह ताकीद करदें कि इस तरह की भूल नहीं होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—मैंने अभी यही कहा कि इस तरह की भूल नहीं होनी चाहिये। अगर वह मौजूद नहीं हैं तो उनका उत्तरों में नाम नहीं होना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मामले में क्या हुआ?

सहकारिता उप-मन्त्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—प्रश्न तो पहले के हैं। स्वीकार मैंने ही किये थे।

श्री अध्यक्ष—तो आप अपना नाम दे देते, कोई हर्ज नहीं था।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—भविष्य के लिये नोट कर लिया।

श्री अध्यक्ष—जिस समय मंत्री जी मौजूद हों, उसके बारे में पहले यह प्रश्न एक बार यहां आया था कि ऐसी हालत में उप-मंत्री अपना नाम न देकर मंत्री जी का नाम दिया करें क्योंकि मंत्री जी उत्तर के लिये जिम्मेदार हैं।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—मैं तो सुन भी नहीं पाया कि उप-मंत्री जी ने क्या कहा।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कहा कि प्रश्न तो पहले आया था, लेकिन उत्तर को उन्होंने स्वीकार किया।

श्री गेंदासिंह—उनके इस तरह से शरमाने से कैसे काम चलेगा?

श्री अध्यक्ष—वह शरमाये नहीं। मैंने तो सुन लिया। मालूम नहीं कि आप शरमा गये जिस कारण आपने नहीं सुना, या वह शरमाये।

(श्री अध्यक्ष ने श्री ब्रजनारायण तिवारी का नाम पुकारा।)

श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)—मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप बाद में कहिये।

विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—मैं विशेषाधिकार की सूचना देना चाहता हूं। "स्वतंत्र भारत" अखबार में तारीख ६ को यह प्रकाशित हुआ है कि खंड ४ में जो ४० एकड़ की सीलिंग की बात थी वह विधान सभा से पास हो गई। अध्यक्ष महोदय, यह विशेषाधिकार का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, आपने सूचना दे दी। बाकी लिखकर भेज दें।

श्री रूमसिंह—आप कहिये।

प्रश्नों के उत्तर में विलम्ब की शिकायत

श्री रूम सिंह---डेढ़ हफ्ता हुआ, सवाल हुआ था, लखनऊ जेल के अन्दर मृत्यु का मामला है। वहां से जवाब २,३ दिन में आ सकता था, लेकिन हम लोगों को कोई सूचना नहीं दी गई। माननीय राजनारायण जी ने लिखा भी था।

श्री अध्यक्ष---आप मेरे कार्यालय में पूछ लें तो ज्यादा अच्छा है।

लखनऊ विश्वविद्यालय में ७ अगस्त को पी० ए० सी० के प्रवेश से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष---मैंने कार्य-स्थगन प्रस्ताव तो कोई स्वीकार नहीं किया है, लेकिन जिस विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव थे कि युनिवर्सिटी में पी० ए० सी० क्यों कर गई, उसके लिये मदन पांडेय जी का नियम ५२ में ध्यान आकृष्ट करने वाला विषय मैंने स्वीकार किया। उसे मैं पढ़े देता हूं।

"गत ७ अगस्त को लखनऊ विश्वविद्यालय मे सशस्त्र पुलिस के अकारण प्रवेश तथा कई छात्र-नेताओं की गिरफ्तारी से प्रदेश का जनमत तथा विशेष रूप से विद्यार्थी समुदाय क्षुब्ध हो उठा है। तो मैं उस अविलम्बनीय लोक-महत्व के प्रश्न की ओर सरकार तथा सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।"

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---पेश्तर इसके कि आप आगे बढ़ें मैं अनुगृहीत हूंगा यदि आप यह बताने की कृपा करेंगे कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव कैसे अनियमित है, अनिश्चित है या अविलम्बनीय लोक-महत्व का नहीं है, या किस शर्त को पूरा नहीं करता है। वैसे आपको अधिकार है कि आप कारण न बतलावें, लेकिन इसके साथ-साथ यह भी उतना ही सही है कि उस अधिकार का प्रयोग साधारणतया न हो।

श्री अध्यक्ष---आप चाहते हैं तो कारण मैं बताये देता हूं। आप का प्रस्ताव इस प्रकार है---

"मैं नियम ५७ के अन्तर्गत सदन के कार्य-स्थगन का प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से एक अविलम्बनीय लोक महत्व के निश्चित विषय अर्थात् लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रबंध को साधारण पुलिस व पी० ए० सी० की बहुत बड़ी संख्या में जिससे कि ऐसा मालूम पड़ता होता है कि किसी देश पर कब्जा किया गया हो ७-८-६० से सहायता देने पर चर्चा करने के लिये उपस्थित करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि वह इसके लिये आज्ञा प्रदान करेंगे।"

आपने सरकार के ऊपर यह आक्षेप लगाया है कि किसी देश पर हमला कर दिया इस प्रकार से यूनिवर्सिटी पर हमला कर दिया। यह निश्चित नहीं है। मैं इसको अनिश्चित समझता हूं कि उन्होंने हमला कर दिया। यह इतना स्पष्ट अनिश्चित है कि इसको मैं किसी भी तरह से स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन इसलिये कि उस बारे में कुछ स्पष्टी-करण हो जाय, मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत जो प्रश्न उठाया गया था उसकी अनुमति दे दी।

श्री त्रिलोकीसिंह---अध्यक्ष महोदय, मैंने जो भाषा का प्रयोग किया है, अगर आप इजाजत दें तो उसको स्पष्ट कर दूं।

श्री अध्यक्ष---आपने कारण पूछा था, मैंने कारण बता दिया।

श्री त्रिलोकी सिंह---मैं इसमें बहस नहीं करना चाहता, लेकिन आपने जो माने लगाये हैं वे उसके माने बिलकुल नहीं होते। अगर आप चाहें तो उसे किसी आचार्य के पास भेज दें तो वह उसके माने हरगिज हरगिज इस तरह से न लगायेगा।

श्री अध्यक्ष---आपने जो शब्द लिखे हैं उनसे तो मैं अर्थ उचित लगाऊंगा ही।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—श्रीमन्, लखनऊ विश्वविद्यालय में इधर कुछ दिनों से एक आन्दोलन सा चल रहा है, प्रायः २८ जुलाई से ही। अभी ५ अगस्त को वहां के वाइस चांसलर साहब ने एक पत्र हमको लिखा था यहां के चीफ सेक्रेटरी के नाम। उन्होंने उस खत में यह लिखा कि अब यूनिवर्सिटी का साधारण काम काज भी चलाना हमारे लिये असंभव हो गया है तथा यूनिवर्सिटी के स्टाफ के लोगों की जान को भी खतरा है तथा यूनिवर्सिटी की सम्पत्ति को भी खतरा है। इसके साथ उन्होंने यह भी लिखा कि आप हमारी रक्षा करें। उनके इस लिखने के बाद ही पी० ए० सी० यूनिवर्सिटी कैम्पस में गयी ४ बजे सुबह ६ तारीख को प्रातः काल भारतीय हिसाब से और अंग्रेजी हिसाब से ७ तारीख को। श्री सुरेंद्रविक्रमसिंह जो वहां भूख हड़ताल कर रहे थे, उनको हबीबुल्ला हाल से हटाया गया तथा एम्बुलेंस में एक डाक्टर के साथ सेंट्रल प्रिजन ले जाया गया। इनकी गिरफ्तारी प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के आदेश से हुई। जिस वक्त वे हटाये गये उस वक्त वहां किसी प्रकार का कोई झगड़ा फसाद नहीं हुआ और न किसी प्रकार के बल का प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ी। इस समय यूनिवर्सिटी में लोगों के आने जाने पर अभी कोई रुकावट नहीं है। श्री सुरेंद्रविक्रमसिंह के अलावा तीन व्यक्ति और श्री गोमती भारती, श्री प्रकाशनारायण अवस्थी तथा श्री यज्ञदत्त त्रिपाठी प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट के मुताबिक जिला मैजिस्ट्रेट की आज्ञा से गिरफ्तार किये जा चुके हैं। इस समय यूनिवर्सिटी में किसी प्रकार की गड़बड़ होने की कोई सूचना नहीं है।

श्री त्रिलोकीसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वाइस चांसलर महोदय ने जो चिट्ठी भेजी है होम सेक्रेटरी को उसमें कुछ यह भी लिखा था कि महज नुक्सान होने का अन्देशा है या कुछ नुकसान हो गया है इसका भी कोई जिक्र था?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, उनकी ५ और ६ तारीख की दो चिट्ठियां मेरे पास हैं। उनके कुछ अंश आप कहें तो मैं पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—संक्षेप में आप बतला दें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—५ तारीख की चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि बड़ा वाइलेंट डिमान्स्ट्रेशन यानी तीव्र प्रकार का हिंसात्मक प्रकार का डिमांस्ट्रेशन वाइस चांसलर के मकान के सामने हुआ और गालियां दी गयीं। फिजिकल वायलेंस की भी कुछ घटनायें हुईं जिनकी पुलिस में रिपोर्ट कर दी है। एक सज्जन जो कि स्टुडेंट नहीं हैं यूनिवर्सिटी प्रिमिसेज में आमरण उपवास कर रहे हैं। ५ तारीख की चिट्ठी में उन्होंने लिखा है—

"I apprehend serious danger to breach of peace and harm to person and property in the University campus."

मुझे भय है कि बहुत भयंकर रूप में यहां उपद्रव होगा और यूनिवर्सिटी में लोगों की जान और माल का खतरा है।

"I request that all necessary steps including police action be immediately taken to avoid what might be a major catastrophe."

जो बड़ा भारी संकट हो सकता है, उसे बचाने के लिये मेरा यह अनुरोध है कि तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाय और पुलिस का प्रोटेक्शन हमको मिले। दूसरा लैटर भी उनका ६ तारीख का है उसमें उन्होंने यह लिखा है—

"The teachers also waited on deputation on the Vice-Chancello and earnestly requested him to secure to them adequate protection against the attacks on their name, person and property."

और उन पत्रों के आधार पर सरकार के लिये फिर कोई दूसरा मार्ग नहीं था सिवा इसके कि वह उनके संरक्षण और वहां शांति बनाये रखने के लिये कोई उचित व्यवस्था करती और वह सरकार ने किया।

श्री त्रिलोकीसिंह---मान्यवर, मेरे आधे सवाल का उत्तर नहीं मिला। मेरा प्रश्न यह था कि कोई नुकसान यूनिवर्सिटी की किसी सम्पत्ति को या किसी अध्यापक को या उसके परिवार को जान या माल का--कोई अन्दाजा नहीं बल्कि कोई वाक्या भी हुआ है इस मदद के मांगने के पहले। डिमांस्ट्रेशन हुए यह तो सही है, लेकिन कोई ऐसी निश्चित बात हुई, किसी को नुक्सान भी पहुंचाया गया?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, जो वाइस चांसलर साहब की चिट्ठी थी मैंने उसके उस अंश को बतलाया जिसमें उन्होंने मांग की थी। अब, ऊपर भी कुछ लिखा है और यह भी लिखा है कि केसेज पुलिस को रिपोर्ट हुए और किस तरह की कार्यवाही हुई।

श्री अध्यक्ष---क्या लिखा है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---"The situation has progressively been deteriorating. Cases of physical violence have occurred and two have already been reported to the Police."

यह लिखा है और नाम भी दिये हैं जिनके द्वारा कार्यवाही हो रही है। यह भी लिखा है कि "Violent demonstration held at the Vice-Chancellor's residence at 2.30 a.m. on the 6th August, 1960 stones were thrown." ढाई बजे रात्रि को डिमांस्ट्रेशन हुआ और ढेले फेंके गये और शीशे वगैरह भी टूटे हैं।

श्री त्रिलोकीसिंह---इस बात को तस्लीम करते हुए कि ढेले फेंके गये, सिवाय सैकड़ों की तादाद में पुलिस वालों को वहां भेजने के साधारण कानून के अन्दर कोई कार्यवाही करने का अख्तियार ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को प्राप्त नहीं था या है?

श्री अध्यक्ष---यह तो आप राय पूछ रहे हैं।

श्री त्रिलोकीसिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस बात को तस्लीम करते हुए कि वहां ढेलेबाजी हुई या गालियां दी गईं, साधारण जो कानून है पुलिस का और फौजदारी का उसको अमल में क्यों नहीं लाया गया और बजाय उसके सैकड़ों की तादाद में पुलिस वहां क्यों भेज दी गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैं समझता हूं कि इसका उत्तर स्वयं नेता विरोधी दल बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जब कहीं से यह मांग हो, एक बहुत बड़ी यूनिट में जहां कि हजारों विद्यार्थी भीतर बैठते हों और सैकड़ों स्टाफ के लोग मौजूद हैं, और दो-दो बार मांग की जाय कि हमारी जान माल का खतरा है, तुरन्त हमारी रक्षा का प्रबन्ध किया जाय, वह स्थिति साधारण नहीं थी, विशेष थी और विशेष स्थिति में विशेष प्रकार का आयोजन करना ही पड़ता है और सरकार ने किया। जहां तक और साधारण केसेज की बात है, जो पुलिस में रिपोर्ट वगरह हुई थी, उसमें साधारण काम होगा।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार के पास वाइस चांसलर अथवा किसी दूसरे सूत्र से उन मांगों के संबंध में सूचना आई है जो कि अंशनकारी छात्र ने की थीं, और उनको दूर करने में यूनिवर्सिटी को क्या अड़चन थी?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह प्रश्न उठता नहीं है।

श्री मदन पांडेय---यह जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में लोग गिरफ्तार किये गये हैं इनको कोई ऐसी सूचना दी गई है कि वह किन कारणों से गिरफ्तार किये जा रहे हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी---उसका तो प्रोसीजर है। प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट में जो लोग पकड़े जाते हैं उसकी एक पद्धति है कि क्या-क्या उसमें करना होता है और पद्धति के अनुसार कार्यवाही होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—होम सेक्रटरी महोदय ने इस पत्र का कोई जवाब लिखा और क्या यह भी लिखा है कि पी० ए० सी० कब तक यूनिवर्सिटी में रहेगी ? यदि हां, तो वह अवधि बता दें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—काम किया गया कुछ लिखा पढ़ी नहीं की गई। वहां पी० ए० सी० गई है शांति स्थापित करने को। तब तक रहेगी जब तक कि उसकी आवश्यकता समझ में आयेगी।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या यह सत्य है कि लखनऊ के सभी अधिकारियों डी०एम, एस० एस० पी, और दूसरे लोग जो कि शांति और व्यवस्था की देख-रेख करते हैं, उन्होंने कोई सूचना नहीं दी कि विश्वविद्यालय में पुलिस की आवश्यकता है, बल्कि वाइस चांसलर और चीफ सेक्रेटरी ने मिलकर ऊपर से ऊपर यह हुक्म ले लिया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं कुछ समझ नहीं सका माननीय सदस्य के प्रश्न को। ऊपर से ऊपर हुक्म ले लेने का कोई प्रश्न नहीं है। वाइस-चांसलर ने चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा, अपनी स्थिति बतायी, उस पर सरकार ने कार्यवाही की और कार्यवाही करते हुये यहां के स्थानीय अधिकारी जिनके ऊपर मुख्य रूप से उसकी जिम्मेदारी है उन्होंने उस जिम्मेदारी को उठाया और उन्हीं की ओर से यह कार्यवाही की गई।

श्री गौरीशंकर राय—अध्यक्ष महोदय, मैंने जो बात कही थी मंत्री जी ने उसका जवाब न देकर दूसरी बात कह दी। सरकार की एक मशीन है जो देखती है हर जगह पर शांति या व्यवस्था है या नहीं। सरकार के होम डिपार्टमेन्ट ने, किसी सोर्स ने या एडमिनिस्ट्रेशन के किसी डिपार्टमेंट ने, सरकार को नहीं बताया कि यूनीवर्सिटी में अशांति है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि केवल उप-कुलपति और चीफ सेक्रेटरी के कहने पर ही दूसरों की सहमति या असहमति न होने पर यह हुक्म दे दिया गया ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं मंत्री जी ने बहुत साफ उत्तर दे दिया।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)—क्या यह सही है कि यूनीवर्सिटी अथारिटीज की तरफ से यह मांग की गई थी कि तीन स्टूडेंट्स पर एक सिपाही दिया जाय इसलिये पौने दो हजार पी० ए० सी० के आदमी दिये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं, ऐसी न उन्होंने मांग की थी, न ऐसी मांग करने की उन्हे आवश्यकता थी। उन्होंने लिखा कि हमारी रक्षा करो और उसके लिये जो आवश्यक और उचित प्रबन्ध समझा गया, किया गया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या इस बात को ध्यान में रखते हुये कि विश्वविद्यालयों में पी० ए० सी० का नियुक्त किया जाना सरकार के लिये शोभनीय और वांछनीय नहीं है, सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जल्द से जल्द वहां से पी०ए० सी० हटा ले ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सरकार इस बात को जानती है कि किसी यूनिवर्सिटी में पी० ए० सी० का भेजना अशोभनीय है। सरकार यह भी जानती है कि यूनिवर्सिटी में टीचरों को गाली देना, महिलाओं का अपमान करना और उपद्रव खड़े करने की चेष्टा करना यह भी शोभनीय नहीं है स्वयं यूनिवर्सिटी के लिये, सरकार के लिये और प्रदेश के लिये। सरकार यह भी जानती है नार्मल फंक्शनिंग यूनीवर्सिटी की रोक दी जाय, क्लासेज का चलना बन्द कर दिया जाय, पढ़ना लिखना असम्भव हो जाय यह भी अशोभनीय है, सरकार के लिये, प्रदेश के लिये और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिये भी। और मान्यवर अगर आप कहें तो हम जो जनता के प्रतिनिधि यहां बैठे हुए हैं उनके लिये भी अशोभनीय है। ऐसी

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

परिस्थिति में पी० ए० सी० गयी। सरकार की नीति है कि जब तक यूनिवर्सिटी से इसकी स्पष्ट मांग न हो, यों हमको रिपोर्ट मिलती रही, तब तक सरकार अपनी ओर से हस्तक्षेप नहीं करती है। हमारे पास रिपोर्ट्स थीं कि वहां क्या हो रहा ह, सूचना मिलती रही, अभी गौरीशंकर राय जी ने कहा कि सूचना नहीं मिली? मिलतीं रही। पर जब तक वहां से मांग न की जाय तब तक हमारे लिये पी० ए० सी० भेजना उचित नहीं था और जो रिपोर्ट्स सरकार को मिलती रहीं उन पर उसमें कोई कदम नहीं उठाया जब तक कि यूनिवर्सिटी से उस संबंध में लिख कर नहीं आ गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो पत्र उनके पास वाइस-चांसलर ने भेजा है उसमें यह भी लिखा है कि कुछ ऐग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेम्बर्स ने और विधान सभा में जो विभिन्न दल हैं उनके नेताओं ने इस बात का प्रयास किया था कि बातचीत द्वारा इस समस्या को सुलझायें और उस बातचीत का परिणाम अभी पूरा नहीं हुआ सफलता हुई या विफलता, इसका भी कोई जिक्र किया?

श्री कमलापति त्रिपाठी---वाइस-चांसलर ने इसका कोई जिक्र नहीं किया। उनके पत्र का अंश मैंने पढ़कर सुना दिया उतना ही है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---मंत्री जी बतायेंगे कि जब वाइस-चांसलर ने पुलिस ऐक्शन की मांग की, मंत्री जी ने फरमाया कि पत्रों के आधार पर कार्यवाही हुई, तो क्या इसके पहले कि वहां पी० ए० सी० भेजी जाती, मंत्री जी ने यहां के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस कप्तान से लिखित रिपोर्ट ले ली थी?

श्री अध्यक्ष---मंत्री जी ने जो उत्तर दिया वह बहुत स्पष्ट है, उसी से समझ लेना चाहिये।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)---जैसा मंत्री जी ने कहा कि विश्वविद्यालय में गुरुजनों का अपमान करना और महिलाओं का अपमान करना बुरी बात है इसलिये वहां पी० ए० सी० लगायी गई।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह गलत आक्षेप है कि इसलिये पी० ए० सी० लगाई गई। उन्होंने यह नहीं कहा। उन्होंने बहुत सी अन्य बातें भी बताईं जो उनकी दृष्टि से शोभनीय नहीं थी।

आचार्य दीपंकर---मैं यह प्रश्न करना चाहता हूं। क्या सरकार यह बतलायेगी कि पिछले कई वर्ष से विश्वविद्यालय का पठन-पाठन पी० ए० सी० और पुलिस के संरक्षण में चल रहा है तो क्या वह उन मूल कारणों को हटाने की कृपा करेगी जिनकी वजह से विद्यार्थियों में इतना असंतोष फैला हुआ है और वे अधिकारी जो स्वयं अपनी कन्याओं, छात्राओं को अपमानित करते हैं जिनकी वजह से असंतोष होता है, उनको भी हटाने की कृपा करेगी?

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री त्रिलोकीसिंह---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालय से पुलिस कब हटाई जायगी? विश्वविद्यालय के अधिकारियों के कहने पर कि वहां अब शांति कायम है या जो पुलिस के अधिकारी तथा मैजिस्ट्रेट हैं उनके इत्मीनान हो जाने पर कि वहां शांति कायम है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---हटाने के वक्त उनकी भी राय ले लेंगे और अपने भी विवक का प्रयोग करेंगे तब हटायेंगे।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---पी० ए० सी० लगाने के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य रोक दिया गया जिससे विद्यार्थियों की शिक्षा की हानि होगी, क्या इसे दूर करने के लिये सरकार कोई उपाय कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, आज पढ़ाई नहीं हो रही है इसे मैंने अखबारों में पढ़ा। मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। जानकारी यह है कि यह पढ़ाई आज १०, १२ दिन से बन्द हो गयी है, क्लासेज चल नहीं पाते। लेकिन हम में से अब तक कोई नहीं जागा, सब सो रहे थे और जब आज शांति तथा व्यवस्था को कायम कराने की चेष्टा हो रही है तब हममें से हर एक जागा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अलमोड़ा)---जब से यूनिवर्सिटी में झगड़ा चला और लड़कों को वहां से निकाले जाने के फलस्वरूप स्ट्राइक हुई तो अपने पिछले अनुभव को देखते हुये शांति व व्यवस्था सरकार के सर पड़ती है। तो क्या माननीय मंत्री जी ने, इस साल जब शांतिपूर्वक सेशन शुरू हुआ तो तीन लड़के जो शुरू में निकाल दिये गये वहां से झगड़े की शुरूआत हुई, पुलिस तथा शिक्षा मंत्री की हैसियत से इस बात की राय दी कि शांति भंग होने का डर है इसलिये लड़कों को रहने दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष---इस प्रश्न की मैं इजाजत नहीं देता।

श्री रूम सिंह---वाइस चांसलर जो पत्र लिखा है उसी को ब्रह्म वाक्य मान कर माननीय मंत्री जी ने कार्यवाही की या स्वयं जांच की ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने स्पष्ट जवाब दे तो दिया।

श्री रूमसिंह---स्पष्ट नहीं बतलाया।

श्री अध्यक्ष---बिलकुल स्पष्ट बतला दिया है।

श्री गौरीशंकरराय---क्या माननीय शिक्षा मंत्री को ऐसा विश्वास है कि वे अन्तकाल तक विश्वविद्यालयों में सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्तियों के नैतिक प्रभाव के अभाव तथा प्रशासकीय अयोग्यता का शमन पुलिस तथा पी० ए० सी० के डंडों के द्वारा कर लेंगे ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री मदन पांडेय---माननीय मंत्री जी ने वाइस चांसलर महोदय के दो पत्र पढ़ कर सुनाये हैं और उनसे यह मालूम होता है कि उन्हे आउटसाइड एसिस्टेंस की जरूरत है तो क्या पी० ए० सी० भेजने के अलावा कोई दूसरा तरीका सरकार की तरफ से इस्तेमाल किया गया जिससे शांति व्यवस्था कायम हो ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---लाइफ और प्रापर्टी के खतरे के लिये मांग की गई। न तो किसी के साथ कोई बल प्रयोग हुआ और न किसी के चोट चपेट आई सिवा इसके कि पी० ए० सी० की पोस्टिंग वहां हो गयी। अब मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य वहां क्या समझते थे उपदेश करते या शंख बजाते, यह हमारी समझ में नहीं आया।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)---माननीय गृह मंत्री ने बतलाया कि इस वाइस चांसलर के पत्र के अतिरिक्त भी सूचना थी तो क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वाइस चांसलर या अन्य अधिकारी के पत्र के अतिरिक्त उनको अपनी इंटेलिजेंस द्वारा कोई सूचना प्राप्त थी ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि जितने प्रदर्शन हुए हैं उनमें फतेहगंज के मशहूर गुंडे भी मौजूद थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, जो सूचनायें हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की हैं उनको तो यहां रखना मुनासिब नहीं होगा लेकिन यह अवश्य कह सकता हूं कि यह सूचना है और उस सूत्र से भी और दूसरे सूत्रों से भी आयी कि जो वहां प्रदर्शन इत्यादि हुये उनमें बाहर से आने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी।

श्री सुरथबहादुरशाह—मान्यवर, मैं सूचना को मेज पर नहीं चाहता लेकिन क्या माननीय मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि इन गुंडों को जो पेमेंट्स हुये हैं वे छात्रों द्वारा न होकर किसी अन्य व्यक्ति या शक्तियों द्वारा हुये हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी कोई सूचना मालूम नहीं है। बाहरी तत्त्व उसमें घुसे थे इसकी सूचना है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—(जिला देवरिया)—पी० ए० सी० का विश्वविद्यालय में भेजना अवांछनीय है ही, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने स्वीकार भी किया, तो क्या मंत्री जी को यह भी मालूम है कि विरोधी पक्ष के कुछ नेताओं ने भी कोई प्रयास किया कि वहां ऐसी अव्यवस्था न आने पाये?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, विरोधी दल के नेता यहां हैं, उनसे पूछ लें, मैं क्या जानूं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल(जिला आगरा)—क्या माननीय गृह मंत्री जी को इस बात की सूचना मिली है कि जो विद्यार्थी गिरफ्तार किये गये हैं उनकी गिरफ्तारी के संबंध में दो, तीन विद्यार्थियों को चोटें भी आयी हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है कि किन्हीं विद्यार्थियों को चोटें आयीं, न किसी ने अभी तक बताया। अभी सुन रहा हूं, मैं इसकी जांच करा लूंगा।

श्री लालबहादुर (जिला वाराणसी)—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जो वहां गड़बड़ी हो रही है उस में कुछ विरोधी दल के नेताओं का भी हाथ है?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं, यह आक्षेप है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि विश्वविद्यालय में एक स्वच्छन्द वातावरण हो और शांति जल्दी से जल्दी स्थापित हो निकट भविष्य में या शीघ्र ही अभिभावक, छात्रों के प्रतिनिधि और वहां के अध्यापकों की कोई कांफ्रेंस बुलाने की योजना सोच रहे हैं ताकि वहां स्थायी शांति स्थापित हो सके क्योंकि यह पी० ए० सी० द्वारा नहीं किया जा सकता?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अगर कोई कांफ्रेंस बुलाने से शांति हो जाय तो वह बुला ली जा सकती है। दिक्कत तो यह महसूस होती है कि जब विश्वविद्यालय में कोई गड़बड़ी होती है वहां के कार्य में रुकावट डालने की या कुछ अनुशासनहीनता प्रदर्शित होती है तब कोई समिति दिखायी नहीं देती है और बाद में जबकि कुछ उसे दमन करने की या रोकने की चेष्टा की जाती है तो फिर अभिभावकों की भी समिति बन जाती हैं और बहुत सी समितियां बन जाती हैं। मैं समझता यह हूं कि यह सब तब हो सकेगा जबकि इस प्रकार की अनुशासनहीनता न हो और उसमें सरकार, जिसके ऊपर भी इस संबंध में कठिनाई आती रहती हैं और जो बहुत उत्सुक भी है शांति के बनाये रखने में, यदि कोई ऐसा मौका आयेगा तो वह उसमें पूरा सहयोग देगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय गृह मंत्री जी को ज्ञात है कि ५ तारीख को माननीय विरोधी दल के नेता, त्रिलोकी सिंह जी, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता झारखंडेराय जी, सोशलिस्ट पार्टी के नेता देवनारायण जी भारतीय आदि यूनिवर्सिटी में गये, उन्होंने विद्यार्थियों से बातचीत की और इस बात की पूरी-पूरी कोशिश की कि मामला किसी तरह से आपस में सुलझ जाय और क्या उनको यह भी मालूम है कि कल भी माननीय विरोधी दल के नेता त्रिलोकीसिंह जी और उनके साथ कुछ लोग विश्वविद्यालय में गये और वे विद्यार्थियों से भी मिले थे और वाइस चांसलर से भी मिले थे और उन्होंने कोशिश की कि आपस में मामला सुलझ जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, मुझे कुछ लोगों ने बताया और यह भी सूचना मिली कि बावजूद माननीय सदस्यों के प्रयास के कि तुम लोग गालियां बन्द करो और माफी मांग लो, विद्यार्थियों ने उनकी बात नहीं मानी और माफी वगैरह कुछ नहीं मांगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या मंत्री जी को मालूम है कि उन्होंने यह कहने से पहले कि विद्यार्थियों ने उनकी बात नहीं मानी, विरोधी दल के नेता से यह पूछा कि उन्होंने उनकी बात मानी या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मुझे विरोधी दल के नेता ने न तो जाने की सूचना दी और न यह कि उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। दूसरे सूत्रों से मुझे खबर मिली। संभव है वह निराधार हो।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस समय यनिवर्सिटी में शांति स्थापनार्थ कितने पी० ए० सी० के जवान काम कर रहे हैं और बाहरी अवांछनीय लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---पी० ए० सी० की भरपूर शक्ति वहां पर है। अब यह कि कितने जवान हैं यह हमारे पास इस समय नहीं है लेकिन काफी अच्छी तादाद है। जिस प्रकार का भय था उसका निराकरण करने में वह समर्थ होंगे। बाहरी तत्त्वों के संबंध में जैसा कि मैंने निवेदन किया कि जो साधारण कानूनी कार्यवाही होती है उसके अनुसार रिपोर्ट तैयार हो रही है और कार्यवाही की जायगी।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि कुछ बाहर के लोग जो विद्यार्थी नहीं हैं और विशेषकर शहरी मजदूर गुंडे यूनिवर्सिटी के कम्पाउन्ड में जाकर वहां के वातावरण को क्षुब्ध करते हैं और ऐसी कार्यवाही में प्रोत्साहन देते हैं और भाग ले रहे हैं; तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध उन्होंने क्या कार्यवाही की है और भविष्य में ऐसे लोग विश्वविद्यालय के वातावरण को क्षुब्ध न कर सकें और शांतिपूर्वक शिक्षा का कार्य चल सके, इसके लिये आइंदा क्या व्यवस्था करने का विचार है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---बात यह है कि इसकी सूचना हमें अभी वाइस चांसलर के पत्र से मिली है और क्या कार्यवाही होगी इसके लिये मैं यही उत्तर दे सकता हूं कि "वेट ऐंड सी"।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या मंत्री जी को विदित है कि माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेताओं के प्रयत्न करने पर माननीय वाइस चांसलर तथा उनके सहयोगियों ने उनकी सलाह नहीं मानी और इसी कारण से संघर्ष बढ़ा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—श्रीमन, माननीय नेता विरोधी दल से पूछ लें। मुझे उनस बात करने का मौका मिला है और ने उन्होंने ही अपने आने-जाने की तथा बात करने की मुझे सूचना दी है। वह तो ऐसे ही हैं जैसे माननीय सदस्यों ने बताया, मैंने सुन लिया या वहां के किसी टीचर से पूछ लिया जाय।

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)—क्या मंत्री जी मेरी बात को सूचना मानकर कि वहां सत्ताधारी दल की ओर से ऐसे गुंडे प्रदर्शनों में शरीक किये जाते हैं छात्रों को बदनाम करने के लिये, इसकी जांच करायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यदि माननीय सदस्य के पास ऐसी कोई सूचना है या प्रमाण है कि सत्ताधारी दल की ओर से या अन्य विरोधी दलों की ओर से गुंडे भेजे जाते हैं तो वह कृपाकर मुझे दे दें। उनके खिलाफ अवश्य कार्यवाही की जायगी चाहे वह कोई भी हों।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो अनशन कर रहे थे वह क्यों कर रहे थे जिसके कारण यह सारा उपद्रव हुआ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐक्शन कमेटी का हुक्म हुआ कि अनशन करो और अनशन किया इसलिये कि तीन विद्यार्थी दाखिल नहीं किये गये। उन्होंने मांग की कि इनका ऐडमिशन जरूर होना चाहिये। लेकिन इन्होंने कहा कि हम अन्डर रूल्स नहीं कर सकते हैं। इस पर अनशन किया।

श्री अध्यक्ष—अब इस विषय पर चर्चा समाप्त होती है। लगभग आध घंटे के समय लग गया।

श्री गौरीशंकर राय—अध्यक्ष महोदय, काफी सवाल रह गये हैं। एक बात की मैं आपकी आज्ञा से सफाई देना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि जब विश्वविद्यालय में कुछ हो जाता है तो हम लोग चुप बैठे रहते हैं। मैं आपको गवाही में देता हूं। मैं पांच दिन से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न कर रहा हूं। आपने स्वीकार नहीं किया और आपने कहा कि मैं इसको महत्वपूर्ण विषय नहीं समझता हूं। यह उनसे बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष—आपका कहना सही है। उन्होंने खुद कहा कि उनको यह खबर लगी कि नेता विरोधी दल और कुछ अन्य विरोधी पार्टियों के नेताओं ने प्रयत्न किया।

श्री मदन पांडेय—एक चीज आपकी आज्ञा से निवेदन करूंगा। अभी इधर से जिक्र किया गया कि विरोधी दल के लोगों ने प्रयत्न किया। मैं १९५२ तक देखता रहा कि यही कांग्रेस के नेता जब कहीं कोई इस प्रकार की घटना विश्वविद्यालय में हुआ करती थी तो वहां जाया करते थे। तो क्यों नहीं माननीय गृह मंत्री तथा माननीय मुख्य मंत्री वहां पहुंचे और अपने गुड अफिसेज का इस्तेमाल किया ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि पार्टियों की ओर न जाइये। एक गम्भीर और महत्वपूर्ण विषय था। उस पर आपने काफी चर्चा कर ली।

बुन्देलखंड में लेवी स्कीम के अन्तर्गत लाल गेहूं का मूल्य कम निर्धारित करने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब माननीय गोविन्दनारायण तिवारी ने जो प्रश्न उठाया था उसके ऊपर खाद्य मंत्री अपना वक्तव्य देंगे।

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, तिवारी जी के प्रश्न के पहले अंग में १३ और १५ रुपये की बात लिखी है, कि यह गेहूं का भाव है। उनकी इत्तला गलत मालूम होती है। १४ रुपये सफेद गेहूं का भाव है। १५ रुपये का भाव फार्म क्वालिटी के गेहूं का है चाहे वह बुंदेलखंड का हो या और कहीं का। इसलिये शायद वह इस भूल को समझ गये होंगे कि फर्क नहीं है। एक रुपया का केवल मात्र फर्क है। मैं नहीं कहता कि बुंदेलखंड का गेहूं पौष्टिक नहीं है। लेकिन उपभोक्ता लोग उसमें कुछ मिट्टी होने के कारण लेते नहीं हैं। इसीलिये लाल गेहूं चाहे वह बुंदेलखंड का हो या कहीं का हो उसका भाव १३ रुपये मुकर्रर किया है। उनका यह कहना है कि अगर इसे खोल दिया जाय तो व्यापारियों को बड़ा लाभ होगा।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने व्यापारियों को नहीं कहा। किसानों के लिये कहा।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—फायदा उसमें किसानों को नहीं होता है बल्कि व्यापारियों को होता है अब चूंकि हमारे पास इस वक्त स्टाक में बहुत काफी अनाज है, पहले १९ हजार टन के करीब हमारा मिलों का आटा बनता था और अब ५७ हजार टन के करीब आटा आयेगा। इसलिये अब हमने सारे उत्तर प्रदेश में गेहूं पर लेवी उठा दी है। कबाल टाउन्स में आधा आटा और आधा गेहूं देते थे राशन में। अब आटा हटा दिया है। अब सब गेहूं दिया जायगा कबाल टाउन्स में और दूसरी दूकानों पर भी। आटा केवल ऐच्छिक रहेगा। उनकी मर्जी है लें या न लें। उनकी सुविधा के लिये दस रुपये प्रति व्यक्ति करेंगे। २५० रुपये से ऊपर वालों के लिये प्रयत्न किया जा रहा है कि उनको भी गेहूं दिया जाय। चूंकि प्रदेश में स्टाक की पोजीशन अच्छी है इसलिये लेवी की आवश्यकता नहीं समझी गयी और गेहूं पर लेवी उठा दी है। इसलिये अब कोई प्रश्न नहीं उठता है कि किसी को कोई दिक्कत हो। अब देखें कि कितना फायदा किसान उठाता है और कितना उपभोक्ता उठाता है। यह भी परीक्षण करके सामने आ जायगा।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)—माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने बुंदेलखंड के लाल गेहूं और प्रदेश के अन्य अंगों के सफेद गेहूं के पौष्टिक तत्वों की जांच करवा ली है? यदि नहीं, तो लाल और सफेद गेहूं के मूल्यों के निर्धारण का आधार क्या है?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने बता दिया कि थोड़ी सी मिट्टी होती है इसलिये लोग उसे अच्छी कीमत पर नहीं खरीदते हैं। वह जरा गलत कह गये कि लोग नहीं खरीदते हैं। उनका मतलब है कि उस कीमत पर नहीं खरीदते जिस कीमत पर सफेद साफ गेहूं लोग खरीदते हैं।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—क्या यह सही है कि बुंदेलखंड में सेंट परसेंट लाल गेहूं लेवी स्कीम में तब तक नहीं लिया जाता था जब तक उसमें ४५ प्रतिशत सफेद गेहूं न मिला हो? यानी सेंट परसेंट अगर कोई लाल गेहूं बेंचना चाहे तो लेवी स्कीम में वह इनकार कर दिया गया है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अब तो आपको संतोष कर लेना चाहिये। अब तो लेवी हमने बिलकुल खत्म कर दी। जहां चाहे ले जायं कोई सवाल ही नहीं रहा।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—क्या माननीय मंत्री महोदय इस बात का आश्वासन दे रहे हैं कि बुन्देलखंड में लाल गेहूं अगर सेंट परसेंट कोई बेचेगा तो फूड डिपार्टमेंट उसको खरीद लेगा?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह तो मैंने कह दिया कि हमने सारे यू० पी० में लेवी उठा दी है।

श्री अध्यक्ष---वह यह कहते हैं कि उसके पहले लेवी के हिसाब से खरीदना आपका बाकी है, तो उसमें आप पूरा का पूरा लाल गेहूं लेने को तैयार हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---वह तो जिस डेट से या इम्मीडिएट एफेक्ट जब से दिया है उस वक्त तक जितना ले रखा है उतना लेंगे ही हम। भविष्य में नहीं लेंगे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या इस बात को ध्यान में रखते हुये कि बुन्देलखंड की तरफ से यह शिकायत है कि वहां लाल गेहूं के जो भाव हैं उनसे किसानों को हानि पहुंचती है और उन्हें उसका अपना खर्चा भी नहीं मिलता है, सरकार इस बात पर विचार करेगी कि बुन्देलखंड के प्रतिनिधियों के शिष्ट मंडल से मिलकर बातचीत करके वहां की विशेष परिस्थिति पर अच्छी तरह से विचार करें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--- जो सरकारी रेट उस वक्त मुकर्रर हुआ था वह १३ रुपया लाल के लिये, १४ रुपया सफेद के लिये और फार्म वाले के लिये १५ रुपया प्रतिमन था। यह एक ऐसी कीमत मुकर्रर की गई थी कि जैसा उनके अन्दर जितना कूड़ा-करकट या और ऐसी चीजें हों, उनको देखकर के जैसे कि आम बाजार में भी बिकता है, वैसे ही किया गया था और मैं समझता हूं कि उसके लिये कोई ज्यादा छानबीन करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)---क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी फार्म पर जो गेहूं पैदा हो रहा है उस पर १३ रुपया फी मन लागत आती है, तो १३ रुपया मन ही लाल गेहूं का दाम क्यों रखा गया ?

श्री अध्यक्ष---यह कुछ स्पष्ट नहीं हुआ।

श्री बलदेवसिंह---सरकारी फार्मों की रिपोर्ट यह है कि १३ रुपये मन लागत आती है।

श्री अध्यक्ष---फार्मों का तो वह कह रहे हैं कि १५ रुपये मन है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मैं तो कह रहा हूं कि फार्म का १५ रुपये मन है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जैसा उन्होंने कहा कि लाल गेहूं में ज्यादा मिट्टी होती है तो अगर गेहूं में सिर्फ ३० प्रतिशत लाल गेहूं मिला होता था बुन्देलखंड में और ७० प्रतिशत सफेद गेहूं होता था तब भी उसकी कीमत लाल गेहूं की ही दी जाती थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---वह तो कुछ रूल्स के अन्दर स्पेसिफिकेशंस थे कि अगर इतना होगा तो उसकी कीमत यह होगी, उतना डिडक्शन हो जाता था।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि भविष्य में जब कभी भी लेवी लगायेंगे या लेवी करने की आवश्यकता पड़ेगी तो क्या वह इस प्रकार का प्रबन्ध करेंगे कि लाल और सफेद गेहूं का अन्तर समाप्त करके कोई विशेष मूल्य नीति निर्धारित की जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---अध्यक्ष महोदय, भले बुरे का तो हमेशा विचार करना ही पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष---अब इस विषय पर चर्चा समाप्त हुई।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी---एक प्रश्न सिर्फ और करना था कि जो लेवी स्कीम हटा ली गई है उससे क्या सीमा बन्धन से मुक्ति भी हो गई है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---अब आप पूछ लीजियेगा बाद में। यह प्रश्न पहले ही आपको पूछ लेना चाहिये था।

सदन के इर्द-गिर्द गुप्तचरों की उपस्थिति के सम्बन्ध में व्यवस्था

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। पिछले कुछ महीनों से इस विधान भवन में सरकार की ओर से गुप्तचर विभाग की इतनी जबरदस्त व्यवस्था है कि आपके कमरे के सामने, उपाध्यक्ष महोदय के कमरे के सामने, नेता विरोधी दल के कमरे के सामने, प्रत्येक दफ्तर में और प्रत्येक स्थान पर ये मौजूद हैं। टेलीफोन करते समय भी लगे रहते हैं। हम इनको देखते हैं। मालूम होता है पूछने पर कि ऐसे ही आ गये थे लेकिन वह गुप्तचर विभाग के हैं और मैं आशा करता हूं कि आपको तो सूचना मिल गई होगी।

श्री अध्यक्ष—मुझे भी कोई पहचान नहीं है और न इसकी कोई तरकीब मालूम है।

श्री गौरीशंकर राय—हम लोगों के पास भी कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं है कि उनको पहचान जायं लेकिन जानकारी की है और विश्वास के साथ मैं बता रहा हूं कि हम लोगों की मालूमात सही हैं। मैं आपसे बड़ी नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि इससे हमारे विधान सभा के कार्यों में बाधा पड़ती है। हम लोगों के पीछे-पीछे स्पीकर के कमरे के सामने, डिप्टी स्पीकर के कमरे के सामने, सचिव, विधान सभा के कमरे के सामने, सचिव, विधान मंडल के कमरे के सामने, चारों तरफ इस तरह से उन गुप्तचरों का जाल-सा बिछा हुआ है। यह आजकल की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में किसी प्रकार से अनुकूल नहीं है।

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी जांच करूंगा।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९

खण्ड ४ (क्रमागत)*

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)—मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि खंड ४ इस विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण खण्ड है। चूंनाचे इस खण्ड पर इतने संशोधनों का आना बहुत ही स्वाभाविक प्रतीत होता है और यही कारण है कि इस सदन के सभी दलों की ओर से इस महत्वपूर्ण खण्ड के प्राविधानों के सम्बन्ध में संशोधन आये हैं। इन संशोधनों को देखकर जो "मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना" कहा गया है यह चरितार्थ होता प्रतीत होता है। यहां तक कि एक ही दल के सदस्यों की ओर से विभिन्न प्रकार के संशोधन आये हैं। यदि विरोधी दलों का आपस में इस खण्ड के प्राविधान के सम्बन्ध में इतना मतभेद हो कि समाजवादी पार्टी कुछ कहती है, प्रजासोशलिस्ट पार्टी कुछ कहती है, कम्युनिस्ट दल के सदस्य सिर्फ १२॥ एकड़ सीमा रखना चाहते हैं, जनसंघ के एक सदस्य २५ एकड़ की सीमा रखना चाहते हैं और दूसरे सदस्य ३० एकड़ की सीमा रखना चाहते हैं, जहां तक कुछ अन्य सदस्य हैं समाजवादी दल के, उन्होंने भी इसी प्रकार की अपना अलग-अलग मत व्यक्त किया है। यदि इस विषय पर विरोधी-दल के सदस्यों में ही विचारों में समानता नहीं है तो मान्यवर, मैं यदि यह मान लूं कि जो राय विचारपूर्वक सरकार ने कायम की है और जिसकी व्यवस्था प्रस्तुत खण्ड में की गई है, वही सब बातों पर विचार करते हुये ठीक है तो यह अनुचित न होगा।

मान्यवर, इस खण्ड पर बहस के समय कतिपय सदस्यों ने उधर के दूसरी पंचवर्षीय योजन में योजना आयोग ने जो इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं, उनका हवाला दिया और कैमिलो होल्डिंग के सिलसिले में उन्होंने अपनी राय व्यक्त की और प्रत्येक ने यह कहने का साहस किया कि यहां पर जो कहते हैं वही प्लानिंग कमीशन की राय है। मैं आपकी आज्ञा से दूसरा पंचवर्षीय योचना में इस सिलसिले में जो प्लानिंग कमीशन की राय है, उसके कुछ अंश को इस

*५ अगस्त, १९६० की कार्यवाही से।

[श्री महावीरप्रसाद]

माननीय सदन के सामने पढ़ देना चाहता हूं। फेमिली होल्डिंग के सिलसिले में मत व्यक्त करते हुये उसमें यह दिया हुआ है कि :—

"The income from a given area of land depends on the crops grown, the level of agricultural efficiency and the amount of investment which is made. A given area of land may yield different incomes to different individuals, depending on their skill, capacity and resources. As improved agricultural practices are adopted and agriculture becomes more efficient and diversified, income per unit of land should increase steadily. Thus, it is difficult to correlate a family holding to a given level of money income adjusted to a supposed level of prices. The balance of convenience, therefore, lies in favour of each State specifying, according to the conditions of different regions, classes of soil, irrigation, etc. the area of land which may be declared to be a family holding." (Second Five-Year Plan, 1956, pp. 195-196.)

इससे मान्यवर, स्पष्ट है कि किसी-किसी विशेष क्षेत्र से सबको समान आय हो सकती है, प्लानिंग कमीशन की राय में यह सही नहीं मालूम होता। उन्होंने कहा है इसीलिये कि इस बात का फैसला राज्य स्वयं करे और यह मुनासिब होगा कि वहां की परिस्थिति क्या है, सिंचाई इत्यादि की व्यवस्था क्या है, भूमि की उर्वरा शक्ति कैसी है इसको देखते हुए, राज्य स्वयं तै करे कि एक फेमिली होल्डिंग का आकार क्या होगा तथा उसके यहां अधिकतम जोत की सीमा क्या हो और इसका अधिकार राज्य को ही रहे।

हमारे प्रदेश के शासन ने अभी तक हमारे प्रदेश में फेमिली होल्डिंग क्या हो इस बात की घोषणा नहीं की। परन्तु मान्यवर, प्लानिंग कमीशन ने अन्यत्र यह विचार व्यक्त किया है कि फेमिली होल्डिंग किसी क्षेत्र में, उतने क्षेत्र को मान लिया जाय कि जिससे १,६०० रुपये की ग्रास इन्कम और १,२०० रुपये की विशुद्ध आय प्रति वर्ष होती हो। इस आधार को लेते हुए मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां की सरकार ने यह फैसला लिया कि इस प्रदेश की उत्तम भूमि की सीमा एक जोत में ४० एकड़ रखनी चाहिये। अब इसका आधार क्या है वह मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं।

मान्यवर, सदन के सभी सदस्य जानते हैं कि हमारे इस प्रदेश में सीरदारों की संख्या कुल काश्तकारों की संख्या की लगभग २/३ है और उनकी भूमि के लगान की शरह मौरूसी दर के हिसाब से लगभग ६ रुपया प्रति एकड़ की है। यह लगान उन काश्तकारों से जमींदारी उन्मूलन के पहले जब उनकी हैसियत दखीलकार की थी या मौरूसी काश्तकार या अदना मालिक की थी, लिया जाता था और इस शरह का निर्धारण १९०१ से लेकर १९०४ या १९०५ तक के गल्ले के भाव पर किया गया था। जो उस समय के गल्ले की उपज का पंचमांस था। आज के गल्ले की कीमतों के अनुपात को देखते हुए यह ६ रुपया प्रति एकड़ का लगान उपज का १/२० भाग रह गया है। इसलिये इस वैज्ञानिक आधार को लेते हुए एक एकड़ की कृषि आय प्रतिवर्ष प्रायः १२० रुपये के बराबर आती है। यदि १२० रुपये को आधार मान कर प्लानिंग कमीशन ने जो राय व्यक्त की है उस हिसाब से १,६०० रुपये आमदनी का हिसाब लगाया जाय तो हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि १,६०० रुपये की ग्रास इन्कम १३ १/३ एकड़ भूमि से हो सकती है जिसमें १,२०० रुपये की वास्तविक आय होगी। प्लानिंग कमीशन ने यह राय व्यक्त की है कि जोत की अधिकतम सीमा निर्धारण ३ फैमिली होल्डिंग के बराबर होना चाहिये। इस प्रकार इस हिसाब से, जिसका आधार वैज्ञानिक है और जिसे मैंने सदन के सम्मुख रखने का प्रयत्न किया, ४० एकड़ की सीमा इस खण्ड में रखी गयी है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—आप एक चीज स्पष्ट कर दें।

श्री अध्यक्ष---वह बैठ नहीं रहे हैं। आप उनके भाषण के बाद में कहियेगा।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---सदस्य महोदय धैर्य रखें मैं सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा। मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि प्लानिंग कमीशन ने जो विचार व्यक्त किया है कि १,६०० रु० की ग्रास इनकम हो और १,२०० रुपये की वास्तविक आय हो एक जोत धारक के लिये, और ३ फेमिली होल्डिग की सीमा रखी जाय, ठीक उसी आधार पर इस विधेयक में सरकार ने ४० एकड़ की सीमा रखने का निश्चय किया है।

हमारे माननीय सदस्यों ने, मान्यवर, जो संशोधन दिये हैं यदि उनकी समीक्षा की जाय तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि वे ठीक नहीं हैं। मैं आपकी अनुमति से एक एक करके उनके बारे में अपनी राय व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय भगवतीसिंह विशारद जी तथा माननीय भजनलाल जी के जो संशोधन हैं उनमें यह कहा गया है कि एक जोत की सीमा २० एकड़ रखी जाय। इसके अनुसार यदि हम प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर हिसाब लगाते हैं, जिसे उधर के सदस्यों न स्वीकार भी किया है, तो उससे हर व्यक्ति की अधिकतम आय केवल खेती करने स ३० पये मासिक होगी। दूसरे सदस्य, कम्युनिस्ट दल की तरफ से, श्री भीखालाल जी ने जो १२ १/२ एकड़ की सीमा का जो संशोधन रक्खा है उससे उसकी अधिकतम आय १८ रुपये १२ आने मासिक आती है। जनसंघ की ओर से माननीय विष्ट जीने जो संशोधन रखा है कि सीमा २५ एकड़ हो, यदि इसको मान लिया जाय तो आय प्रति व्यक्ति साढ़े ३७ रुपये मासिक होगी। माननीय कुंवर श्रीपालसिंह जी ने जो संशोधन रक्खा है उसके अनुसार प्रति व्यक्ति की आय ७५ पये मासिक पड़ती है। एक और सदस्य हैं, जिन्होंने १६ एकड़ का प्रस्ताव रक्खा है उसके अनुसार उसकी आय२४ रुपये मासिक होगी। इसके अलावा सरकार ने जो प्रावीजन इस विधेयक में किया है उसके अनुसार उसकी आय ६० रुपये प्रति मास बैठती है। अतएव इस प्रकार से २ रुपये प्रतिदिन की आय बैठती है। अभी हाल ही में केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में विरोधी दलों के कतिपय नेतायों ने उनकी १२५ रु० मासिक बेसिक वेतन की मांग से अपनी-अपनी सम्मति प्रकट की थी, जिसका विश्लेषण माननीय श्रीपालसिंह जी ने इस बहस के बीच अपने भाषणमें किया था। मान्यवर, यदि इस दश में जनता की सेवा करने वाले १२५ रुपये पायेगें, उनकी आय १२५ रुपये होगी, और इस तरह उनके मालिकों की आय २४ रुपये, १८ रुपये १२ आने, साढ़े ३७ रुपये या ३० रुपये होगी तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसे गांव में बसना चाहेगा जिसकी एक रुपये की रोज भी मजदूरी न होती हो। इसलिये हमारे देश की वर्तमान आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए इस खण्ड में यह व्यवस्था की गयी है कि प्रत्येक व्यक्ति की आय जो गांव में खेती करता हो, २ रुपये प्रति दिन की हो ताकि वह अपना जीवन गांव में रहने योग्य बना सके।

मान्यवर, कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से जो संशोधन रखा गया है, साढ़े १२ एकड़ का, उसके पीछे तो उनकी एक योजना है कि इस देश में भूखों का एक समाज बना दिया जाय। वे चाहते हैं कि किसी तरह से इस देश में भूखों का समाज स्थापित हो जाये और फिर एक, एसी क्रान्ति हो जिससे कि उनकी पार्टी की किसी लिबरेशन आर्मी को ले आने का मौका मिले मान्यवर, उस समाज की रचना का स्वप्न, सदन में इस ओर बैठने वाले सदस्य कभी नहीं देख सकते। हमारा लक्ष्य तो यह है कि हमारे देश में, प्रदेश में, अधिक से अधिक उत्पादन के साधन हों और इस प्रकार की व्यवस्था हो जिससे कि उनकी अधिक से अधिक आय हो सके। और खेती कर रहे हों तो इतना कुछ हो कि वह खेती करने के काम में लगाये जा सकें।

मान्यवर, यह भी देखने की बात है कि हमारे गांव में छोटी-छोटी जोतें हैं। गेंदासिंह जी तो जानते होंगे कि वहाँ महीने दो महीने वह गांव में रहते हैं और हल जोत कर चले जाते हैं और बोने और सिंचाई का काम माओं और बहिनों को करना पड़ता है। तो जोत कम होने के कारण किसान केवल खेती पर ही निर्भर नहीं रह सकते। १२ वर्ष में लगातार स्वाधीनता के बाद भी हम अधिकांश क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था नहीं कर सके हैं, न पूरी खाद दी जा सकती है, न पूरा बीज दिया जा सकता है और उतना आउटपुट भी नहीं हो

[श्री महावीरप्रसाद शुक्ल]

सकता है जितना की हमारे माननीय सदस्य चाहते हैं, १२ १/२ एकड़ से नहीं हो सकता, १६ एकड़ से भी नहीं हो सकता। आखिर वह १२ १/२ एकड़ कहां का क्षेत्र रखना चाहते हैं–मेरठ का, देवरिया का, बलिया का या आजमगढ़ का अगर आजमगढ़ की ऊसर भूमि में यह व्यवस्था की जाय तो ५०–६० एकड़ भी अगर दिया जाय तो भी किसान उसको छोड़ कर भाग जायगा। परिणाम यह होगा कि जो हमारी खेती की व्यवस्था है, जितनी छोटी जोतें हो जायंगी वहां इस प्रकार की आशा की जा सकती है कि आमदनी और पैदावार बढ़ेगी लेकिन अगर साधन नहीं होंगे और छोटा किसान उनसे लाभान्वित नहीं हो सकता तो पैदावार नहीं बढ़ सकती। इससे आर्थिक स्थिति में बड़ा अन्तर आ जायगा और भुखड़ों की एक जमाअत घूमती नजर आयेगी। ऐसा संशोधन जिसमें उस दल की इत्तफाक राय नहीं है, इसको मान लेने से हमारी ग्रामीण आर्थिक स्थिति में एक चिन्ताजनक स्थिति पैदा हो सकती है और अब जब हमारे गांव के बसने वालों की अधीकतम आय की सीमा एक रुपया, डेढ़ रोज तक भी न पहुंच सके तो ऐसे संशोधन को सरकार स्वीकार करने में असमर्थ है।

जहांतक इन संशोधनों में एक एक का प्रश्न है, प्रत्येक ने जो नजरिया हमारे भावी समाज के इन गांवों में बसने वालों का रखा है वह इधर के लोगों को मान्य नहीं है। बार-बार यह कहा गया कि साढ़े बारह एकड़ से ही ४–५ हजार साल की आमदनी हो सकती है, कुछ लोगों ने २० एकड़ की बात कही और जनसंघ ने २५–३० एकड़ की बाद कही, लेकिन मैं इस सम्बन्ध मे प्लानिंग कमीशन ने जो कहा है वह रखना चाहता हूं :—

(इस समय १२ बजकर ५९ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री बेचन-राम गुप्त, पीठासीन हुए।)

"A family holding was described as an area equivalent, according to local conditions and under existing conditions of technique, either to a plough unit or to a work unit for a family of average size working with such assistance as is customary in agricultural occupations".

यानी जो हमारे खेती के काम में कस्टमरी है, प्रचलित है उसको देखते हुए, जो साधन आज किसान इस्तेमाल करता है उसके द्वारा १,६०० रुपये की आय, विशुद्ध १,२०० की आय किसान कर सके, वह फैमिली होल्डिंग होनी चाहिये।

मैं माननीय सदस्यों और विशेषरूप से श्री गेंदासिंह जी से पूछना चाहता हूं कि उनके जिले मे या गोरखपुर कमिश्नरी, वाराणसी कमिश्नरी, फैजाबाद के अधिक भाग में, बुंदेलखंड कुमायूं कमिश्नरी, इलाहाबाद और मिर्जापुर के जिले में और आगरा डिवीजन में जमुना के उस पार इन कस्टमरी तरीकों से कितने एकड़ में खेती की जाय जिससे १,६०० रुपये की आय और १,२०० की विशुद्ध आय हो सकती है। मैं बहुत ही आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि हमारे इस प्रदेश की सारी भूमि-व्यवस्था को देखते हुये और सब प्रकार के कृषि साधनों को देखते हुये और भूमि की किस्मों को देखते हुये और किसानों के साधनों को देखते हुये और आनेवाले २०–२५ वर्षों में जो किसानों के साधन रहेंगे उनको देखते हुये ४० एकड़ की इस बिल में जो व्यवस्था की गई है यह उचित है और यह आर्थिक व्यवस्था में कोई खलल नहीं पैदा करने वाली है। उधर के माननीय सदस्यों ने बराबर यही कहने की चेष्टा की कि इस व्यवस्था में कोई भूमि नहीं मिलने वाली है, गरीबों को कोई भूमि नहीं मिलेगी इस सीमा के रखने से। मैं माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि यह भूमि आरोपण की सीमा निश्चित रूप से हमारे प्रदेश की भूमि की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकती। यदि हम बराबर भूमि बांटना शुरू कर दें तब भी हम भूमिहीनों और खेतिहर मजदूरों को इतनी भूमि नहीं दे सकते जिससे कि वे अपना जीवन यापन कर सकें। परन्तु यह अवश्य है कि अगर हम इस प्रकार से भूमि की सीमा को कम करते चले गये तो लोग खेती छोड़ कर भाग जायंगे क्योंकि उनकी आमदनी बहुत कम हो जायगी और कृषि का कार्य

फिर उन अबलाओं पर पड़ेगा जिनका खेती के सम्बन्ध मे कोई अभ्यास नहीं है। उस हालत में देश की बढ़ती हुई जन-संख्या के लिये बढ़ती हुई अन्न की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं हो पायेगी और फिर आज जो हमें विदेशों से अरबों रुपये का अन्न मंगाना पड़ रहा है उससे और अधिक मंगाने की आवश्यकता पड़ेगी।

मान्यवर, इन संशोधनों के द्वारा उधर के माननीय सदस्यों ने इस प्रदेश और देश में जो एक स्वर्गीय चित्र रखने का प्रयत्न किया उसका असली स्वरूप मैंने सदन के समक्ष उपस्थित किया। साम्यवादी दल के आधार पर तो एक व्यक्ति एक महीने में १८ रुपये १२ आने पायेगा जोकि १२ आने प्रति दिन से भी कम होगा। तो जब उनके तर्क से एक परिवार इतने रुपये में अपना जीवन यापन कर सकता है तो फिर उन्होंने किस आधार पर सरकारी कर्मचारियों के लिये १२५ रुपये बेसिक वेतन की मांग की थी और देश में बगावत की स्थिति लाने का प्रयत्न किया और मुक्ति सेना लिबरेशन आर्मी का आह्वान किया। उनके मतानुसार कस्टमरी तरीकों से १२ एकड़ में १,२०० रुपये की विशुद्ध आय हो सकती है। प्लानिंग कमीशन की राय से तीन फेमिली होल्डिंग पर सीलिंग होनी चाहिये लेकिन आप एक फैमिली होल्डिंग पर ही रखना चाहते हैं। यह आपकी व्यवस्था समाज नहीं देखना चाहता। हम समाज का इस प्रकार का चित्र देखना चाहते हैं—

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कश्चिद् दुख भाग्भवेत्

जिसमें सभी सुखी हों, सब कल्याण के पथ पर हों, कोई भयभीत न रहे और सभी हर प्रकार से सुखमय जीवन व्यतीत करें। इसलिये हम इन संशोधनों का विरोध करते हैं और आशा करते हैं कि यदि माननीय सदस्यों ने इनको वापस लेने की उदारता नहीं दिखाई तो सदन उनको अमान्य करेगा।

श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस समय हमारे सामने इस विधेयक का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंश विचाराधीन है। इस समय हमें यह तय करना है कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम जोत की सीमा क्या होनी चाहिये। इस संबंध में सरकार की तरफ से विधेयक में ४० एकड़ की सीमा रखी गयी है। इसमें माननीय सदस्यों ने अनेक संशोधन उपस्थित किये हैं। उन सब संशोधनों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक संशोधन तो कुंवर श्रीपालसिंह जी ने उपस्थित किया है जिसका अभिप्राय यह है कि अधिकतम जोत की सीमा को बढ़ाया जाय और बढ़ाकर उसको ४० एकड़ के बजाय ४८ या ५० एकड़ कर दिया जाय। दूसरे प्रकार के प्रस्ताव उस वर्ग के हैं जिनकी यह सम्मति है कि जोत की अधिकतम सीमा ४० एकड़ से कम कर दी जाय। ऐसी दो विचारधारायें इस संबंध में हैं।

इसके पूर्व कि मैं इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करूं, मैं संशोधन कर्त्ताओं को जरूर इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि इन संशोधनों के जरिये से उन्होंने अधिकतम जोत सीमा निर्धारण करने के सिद्धान्त को मान लिया है। अब यह बिचार की बात है कि वह सीमा कितनी होनी चाहिए। हमारी आज की स्थिति को देखते हुये हमारी सरकार ने जो कदम उठाया है वह न्यायसंगत ही मालूम होता है। जिन लोगों के पास जमीन बहुत अधिक मात्रा में है, हम जानते हैं कि वे उस जमीन का उपभोग करते हैं और उसके आधार पर उनकी गुजर बसर होती रहती है, यकायक उनसे बहुत अधिक मात्रा में जमीन छीनी जा रही है, उनके लिये यह एक कष्टप्रद बात हो सकती है, फिर भी मैं उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस सिद्धान्त को सहर्ष स्वीकार कर लिया। यह दूसरी बात है कि उन्होंने उस सीमा को ४० एकड़ से बढ़ा कर ४८ एकड़ या ५० एकड़ करने की मांग की है।

प्रस्ताव को पेश करते समय माननीय कुंवर श्रीपालसिंह ने जो दलीलें दीं, उन दलीलों में कोई बल नहीं है। मुख्य दलील उन्होंने यह दी कि प्लानिंग कमीशन ने जो ३,६०० की आय बतायी है उसके अनुसार ४८ एकड़ की सीमा होनी चाहिए। लेकिन जो हिसाब उन्होंने लगाया

[श्री मदनगोपाल वैद्य]

वह बहुत पुराने जमाने का लगाया। अगर मौजूदा मार्केट रेट से आमदनी और मौरूसी की दर निर्धारित की जाय तो आमदनी ३–४ गुनी तो बढ़ ही सकती है। इसलिये उनके इस तर्क में कोई औचित्य दिखाई नहीं देता।

सरकार ने बड़ी उदारता के साथ अनेक प्रकार की विमुक्तियां भी इस विधेयक में रखी हैं इसलिये उनको केवल ४० एकड़ जमीन ही नहीं मिलेगी। सरकार उत्तर प्रदेश में जो अनेक प्रकार की स्थिति है उसको भी भली प्रकार से समझती है।

काग़जात के आधार पर यह मांग की जा रही है कि उनको अधिक जमीन मिल जाय हालांकि उस जमीन में वे लोग स्वयं खेती नहीं करते, दूसरे लोग करते हैं, उसमें हल बैल दूसरे चलाते हैं। लेकिन काग़जात के आधार पर वे महानुभाव उसको अपनी मिल्कियत बता कर क्लेम करते हैं ताकि उनको अधिक जमीन मिल जाय। लेकिन जो लोग वास्तव में खेती करते हैं चाहे वे उनके हलवाहे हों या अन्य काश्तकार हों, उनके नाम आज भी सरकारी काग़जात में दर्ज नहीं हैं। वह जमीन वास्तव में उनके कब्जे में है और पुश्त दर पुश्त से वे उस पर खेती करते चले आ रहे हैं। हमारे पूर्वी जिले में ऐसी स्थिति है कि तमाम बड़े बड़े जमींदार जिनके नाम आज भी काग़ज में हैं लेकिन वास्तव में वे खेत उनके काश्तकारों के कब्जे में हैं। बहुत से जमींदार तो ऐसे हैं जिनके पास न हल बैल है और न भुसैला है, वे दूसरे काश्तकारों के हल बैल से अपनी खेती करते हैं। महज काग़ज में उनका नाम दर्ज है। सेंट परसेंट तो नहीं, लेकिन काफ़ी स्थिति इस प्रकार की है।

इतना ही नहीं, जब से यह विधेयक पेश हुआ है उस समय से नाना प्रकार के ऐसे हथकंडों का प्रयोग किया जा रहा है जिससे अभी भी अपनी जमीन को अपने कब्जे से और मिल्कियत से निकालने की बराबर कोशिश की जा रही है। इस कानून के अन्दर इस बात का प्रयत्न है कि २० अगस्त, ६० के बाद जमीन के ट्रांसफर को अनियमित करार दिया जायगा। लेकिन बहुत अधिक अवैधानिक कार्यवाही की जा रही है जिससे जमीन निकलती जा रही है। मैं पिछले दो दिन के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि दफा २०९ का दावा करके १०० रुपये कच्चा बीघा के हिसाब से जमीन का दाम लेकर वह जमीन काश्तकारों के नाम लिखी जा रही है। और इस प्रकार वे रुपया भी प्राप्त कर रहे हैं और उनके कब्जे में जमीन की सीमा भी कम होती चली जा रही है। तो इस सारी चीजों का उनके उपर क्या असर पड़ा कि भू-स्वामी का नाम काग़ज में दर्ज है इसलिये वह अपना हक़ समझते हैं कि हमें अधिक भूमि होनी चाहिये। जब कि वास्तविकता यह है कि जमीन भू-स्वामी के क़ब्जे में न होकर उनके हलवाहे या दूसरे काश्तकारों के क़ब्जे में है। अगर वे अपने हलवाहे को अपने परिवार का ही समझ कर चलें तो भी ४० एकड़ की सीमा जो निर्धारित की जा रही है वह बहुत उचित है। इसलिये जो संशोधन जोत-सीमा बढ़ाने के लिये उपस्थित किया गया है उसका मैं विरोध करता हूं। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने बहुत उदारतापूर्वक उसको निश्चय किया है। उनकी स्थिति, उनके रहन-सहन और भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो ४० एकड़ की सीमा रखी गयी है, मैं उसका अनुमोदन करता हूं।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, माननीय भगवतीसिंह विशारद ने जो संशोधन पेश किया है उसका मैं समर्थन करना चाहता हूं। असल में अगर यह कहा जाय कि यही क्लाज इस विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण है तो कोई बेजा बात न होगी। उनका सुझाव है कि २० एकड़ की सीमा सभी प्रकार की भूमि में रख दी जाय। श्रीमन्, २० एकड़ इस बात को ध्यान में रख कर ही है क्योंकि मैंने एक संशोधन रखा था कि एक एकड़ में ७ मन तक उपज हो तो उसे अच्छी भूमि मान ली जाय। तो जिस प्रकार से एक स्कीम सरकार की तरफ से इस विधेयक के लिये है उसी प्रकार से एक स्कीम हमारी है आल्टरनेटिव। तो उस बात को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ध्यान में रखते हुए २० एकड़ की सीमा सब जमीन के लिये रखी गयी। इससे अच्छी जमीन और खराब जमीन में कुछ अन्तर हो जाता। अभी हमारे माननीय शुक्ल जी इस सम्बन्ध में कुछ कह रहे थे और कुछ प्लानिंग कमीशन का जिक्र कर रहे थे, इत्तफाक से वह नहीं हैं। मैं उन लोगों की बातों का बहुत आदर करता हूं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन का जो कुछ उद्धरण उन्होंने हमारे सामने दिया, उसमें बहुत स्पष्ट उन्होंने कहा कि हर जगह के लिये हम एक ही सीलिंग नहीं कर सकते। यानी, रीजन रीजन के लिये कुछ अलग-अलग हो सकता है। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश सारे भारतवर्ष का वह प्रदेश है जो खेतिहर तो सब से अधिक है, लेकिन भूमि उसके पास सब से कम है। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसको कि हमें सिद्ध करने की आवश्यकता हो। समूचे भारतवर्ष में कम जमीन और अधिक आबादी वाला हमारा प्रदेश है और-खेती करने वाली तथा जंगल की—दोनों प्रकार की जमीन हमारे पास कम है। यह रीजन वह है जिसमें सीलिंग अन्य प्रदेशों से कम होनी चाहिए। यह प्लानिंग कमीशन का कहना था, और उस पर अगर हम अमल करें तो यह करना होगा कि दूसरे प्रदेशों में जो सीलिंग कायम हुई है उससे कम करनी होगी। मैं शुक्ल जी से और माननीय सदन से यह कहना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कभी इस बात का विचार किया कि अन्य प्रदेशों में सीलिंग क्या कायम हुई है? मेरे पास अधिक जगहों की तो नहीं, लेकिन बम्बई एक अपनी बराबरी का प्रदेश है, उसके बारे में सूचना है। वहां तो शुरू है ४ एकड़ से। यह बात जरूर है कि उसमें जमीन की किस्म पर एरिया बढ़ता चला गया है। लेकिन ४ एकड़ से शुरू है। मैसूर में ८ एकड़ है। सारे भारतवर्ष में शायद सब से ज्यादा रकबा देने वाले हम हो रहे हैं...

श्री अधिष्ठाता—बिहार में कितनी है?

श्री गेंदासिंह—बिहार में अभी तय नहीं हुई है, लेकिन जहां तय हुई है वहां सर्वत्र प्रदेश से कम तय हुई है। हम श्रीगणेश कर रहे हैं ४० एकड़ से। बम्बई और मैसूर में ४ और ८ एकड़ से होता है। ४० एकड़ कही जाती है लेकिन वास्तव में यह ४० एकड़ नहीं है। यह ६० एकड़ से श्रीगणेश है। वह कैसे है? मैं निवेदन करूं। हमारे प्रदेश में इस वक्त साढ़े चार करोड़ एकड़ जमीन पर खेती हो रही है और २२ करोड़ रुपया मालगुजारी है। अगर-२४ करोड़ भी हो –एग्जेक्ट फिगर नहीं है—तो ६ रुपये एकड़ अगर मालगुजारी होती तो २७ करोड़ रुपया हो जाता। तो ६ रुपये औसत हमारे प्रदेश में नहीं है। ६ रुपये से नीचे है। औसत मालगुजारी मैं कह रहा हूं। इस विधेयक में हमने गुंजायश की है कि अगर ६ रुपये एकड़ से ज्यादा मालगुजारी हो तो ४० एकड़ मिलेगा और ६ रुपये या उससे नीचे हो ४ रुपये तक तो ६० एकड़ हो जाएगा। ४ रुपये से अगर नीचे हो तो ८० एकड़ हो जाएगा। ८० एकड़ और ४० एकड़ तो हम अपवाद मान लें। असली ६० एकड़ है। हम ६० एकड़ से शुरू कर रहे हैं।

आमदनी की बात किसी भाई ने कही। ६ रुपये से ऊपर जिसकी मालगुजारी पड़ेगी वह जमीन कौन सी होगी? वह गोएंड़ होगी, जिसकी उपज दूसरे जमीनों के मुकाबले में बहुत ऊंची होगी। ऐसी हालत में ४० एकड़ होगा उसका रकबा।

फिर, फेमिली प्लानिंग और दूसरी बातें करना, तो मैं दो-एक बात निवेदन कर दूं। जमींदारी उन्मूलन समिति की रिपोर्ट बड़ी उपयोगी है और उससे बहुत ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है बशर्ते कि वह लाइब्रेरी का सामान न हो बल्कि उससे काम लिया जाय। पंडित गोविन्दवल्लभ पंत जी उसके चेयरमैन थे और हुकुमसिंह विसेन जी उसके उप-सभापति थे। उस रिपोर्ट में सारी समिति की राय यह थी कि हमारे प्रदेश में इकोनोमिक होल्डिंग १० एकड़ की हो। लेकिन चरणसिंह जी की राय थी कि सवा ६ एकड़ की इकोनोमिक होल्डिंग होगी। अब चरणसिंह जी का ज्ञान जमीन के मामले में काफ़ी है और उन्हों ने साढ़े १२ एकड़ की फ्यूचर सीलिंग कर दी, भविष्य में कोई आदमी इससे ज्यादा न खरीदे। तो ऐसा उन्होंने बहुत सोच

[श्री गेंदासिंह]

समझ कर किया। उनके मन में यह धारणा थी कि इस प्रदेश में सवा ६ एकड़ इकोनोमिक या फ़ेमिली होल्डिंग है. . .

श्री अधिष्ठाता—माननीय गेंदासिंह जी, इकोनोमिक होल्डिंग और फ़ेमिली होल्डिंग में फ़र्क़ हो सकता है।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, जरूर फर्क हो सकता है लेकिन कहीं हमारे हक़ में वह फर्क न हो। एक इकोनोमिक होल्डिंग तो वही है कि एक खानदान इकोनोमिकली अपनी गुजर कर ले जाय और फ़ेमिली होल्डिंग, मुमकिन है ४, ५, ६ आदमी की हो सकती है और इकोनोमिक होल्डिंग आम तौर से फ़ेमिली को ध्यान में रख कर किया गया है। तो माननीय चरणसिंह जी ने भविष्य में जो साढ़े १२ एकड़ की मियाद रखी है कि उससे ज्यादा खरीद नहीं सकता, यह कुछ अर्थ रखता है। साढ़े १२ एकड़ से ज्यादा कोई आदमी अपने खानदान के लिये न खरीद सके और जिन्होंने जमीन मुफ्त में रखी है वह कहें कि हमारा स्टेन्डर्ड गिर जायगा यह बात कोई समझ में नहीं आती। हम नहीं समझते कि स्वतंत्र दल की कभी मरजी होगी कि भविष्य में कोई खेती करने वाला न पैदा हो, वह ऐसा नहीं सोचते होंगे। अगर वे ऐसा सोचते हों कि भविष्य में भी कोई खानदान खेती करने की बात सोच सकता है तो भविष्य में साढ़े १२ एकड़ से ज्यादा नहीं खरीद सकता। तो किस तरह वह गुजारा करेगा?

बहुत से सवाल उठते हैं, माननीय कुंवर श्रीपालसिंह जी नहीं हैं, हमारी बदकिस्मती है कि अभी तक किसी ने माकूल तरीके से सवाल नहीं रखा जिसका जवाब दिया जाय। उन्होंने हमसे सवाल किया और अभी माननीय शुक्ल जी ने कहा कि १२५ रुपये की मांग करने वालों की ताईद करते हो, रोज उनके लिये झगड़ा करते हो। अब अगर १२५ रुपये वालों की ताईद न करूं तो मैं किसी तरफ़ बैठने का हक़दार नहीं हूं। मैं किसी दूसरे मुल्क में रहने का हक़दार हूं जो इस मुल्क को किसी न किसी तरह नीचे गिराना चाहता हो। इस मुल्क को नीचे गिराना चाहते हो तो वह कहेगा कि १२५ रुपये से नीचे एक आदमी की आमदनी होना चाहिये। मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि सेंट्रल पे कमीशन की रिपोर्ट पढ़िये। उसमें कभी भी १२५ रुपये एक आदमी को नहीं मिले हैं। जो १२५ रुपये अब एक आदमी के लिये कायम करने हैं उसका एक परिवार है, आश्रित हैं और उसकी बीबी तथा बच्चों को खाने को भर पेट मिलता और एक छप्पर ऐसा होता कि वह रात को चैन से सो सकता। किसी इंजन में उसे रात को कोयला झोंकना है तो नीद पूरी कर के वह जाय, ऐसा न हो कि नीद न आये। टेलीफोन आपरेटर लगा हुआ है तो नीद न सताये। इसलिये हम उस को देना चाहते हैं। हम उस की खूबसूरती पर नहीं देना चाहते। वह रात दिन मरता है उस की कमाई पर सारा देश आराम करता है। इस लिये जरूरत है कि वह १२५ रुपया पावे।

एक बात आप से मैं कहना चाहत हूं। आज को १२५ रुपये वालों से बड़ी नफ़रत है। हमसे आप कहते हैं कि तुम बड़ी नालायकी का काम करते हो। बिड़ला की आमदनी के बारबर, टाटा की आमदनी के बराबर हमारी आमदनी होना चाहिये। मैं आप से निवेदन करता हूं और हाथ जोड़ कर कर सकता हूं कि खेत में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनको आप सीमेंट के मजदूरों के बराबर मजदूरी देंगे? मैं आप से कहूंगा कि दीजिये तो नहीं दे सकते। आज हिन्दुस्तान की सीमेंट फैक्टरी ९४ रुपया मिनिमम वेज देती है। रेल का मजदूर ८० रुपये मिनिमम पाता है। तो वह कहता है कि हमको जीने लायक मजदूरी दो। अगर उसकी हम वकालत करते हैं तो बुरी बात नहीं करते।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि अखिल भारतीय संविधान को हमें किसी किनारे रखना है। भारतीय संविधान की देन है कि हम यहां बहस कर रहे हैं। मैं डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स की दो लाइनें पढ़ देना चाहता हूं, आखिर इस को आप कब पूरा करेंगे?

"The State shall, in particular, direct its policy towards securing—

(*a*) that the citizens, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood ;

(*b*) that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good ;

(*c*) that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment ;"

श्रीमन्, यह स्टेट पालिसी है जिसे भारतीय संविधान राज्य सरकारों को संचालित करने के लिये कहता है जिससे ये चीजें देश में हो सकें। एकनामिक तथा आर्थिक विषमता न पैदा हो। आर्थिक शक्तियां एक के हाथ में केन्द्रित न होने पायें। जो पुरानी विषमतायें हैं वे दूर हों। तो आखिर, श्रीमन्, मैं नहीं समझता कि १२५ रुपये की मांग की मैं ताईद न करूं तो आर्थिक विषमता को मिटाने का अर्थ क्या होता है ?

मैं भट्टजी से यह जरूर कहना चाहता हूं कि शुक्ल जी से पूछें कि इसमें वह इनीशियेटिव क्यों नहीं लेते हैं। उनको इसमें खासतौर से इनीशियेटिव लेना चाहिये। उनका कहना है कि अगर ५० एकड़ से हमने कम कर दिया तो वे लोग गरीब हो जायेंगे, उनका स्टैंडर्ड आफ़ लिविंग गिर जायगा और सारे देश में बेरोजगारी और गरीबी फैल जायगी। ४० एकड़ से ऊपर वाले हैं कितने ? हमारी जानकारी यह है और सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानकारी के मुताबिक मैं कह रहा हूं कि हमारे देश में १० एकड़ से नीचे वालों की संख्या ९४ फीसदी है, और ४० एकड़ से ऊपर वाले केवल कुछ हजार ही निकलेंगे। तो अगर कुछ हजार लोगों का स्टैंडर्ड आफ़ लिविंग कुछ गिर भी जाता है तो क्या देश पर कोई बड़ी भारी विपत्ति आ जायगी या कोई भूचाल आ जायगा ? म आप से कहता हूं कि अगर देश को भूचाल से बचाना है तो उन करोड़ों आदमियों की हालत को सुधारिये जिनको अंगूठा धरने की भी जगह नहीं है। सूबे भर में ३६ लाख खाते ऐसे हैं जिनके पास एक एकड़ से कम भूमि है, भूमिहीनों की संख्या तो अलग रही। यह जरूर दुर्भाग्य की बात है कि सब से पहले हमारी आंख टाटा और बिड़ला की तरफ़ गयी और उस तरफ़ जाने से इन्कार कर रही है जो भूखे और नंगे हैं। यह खतरे की बात है

मैं एक बात निवेदन करूं कि २० एकड़ में क्या उतनी पैदावार नहीं की जा सकती जिसकी दुहाई स्वतंत्र दल के नेता लोग बड़े जोरों से देते हैं कि अगर इतना कर दिरा तो मुल्क बर्बाद हो जायगा, उसकी उपज घट जायगी ? हम जो यह कह रहे हैं वह राष्ट्र के हित में कह रहे हैं। मैं स्वतंत्र दल वालों से कहना चाहूंगा कि वे मेहरबानी करके सारे देश को देखें. आन्ध्र प्रदेश को देखें, मद्रास को देखें, मैसूर को देखें, जहां कि उनका जन्म हुआ है, और पता लगायें कि वहां क्या सीलिंग मुकर्रर हुई है फिर २० एकड़ की सीलिंग को कहें कि बड़ी बुरी बात होगी। फिर यह सीलिंग कोई इस लिये थोड़े ही की जा रही है कि हमको कानून बनाने का फैशन है। मैं नहीं समझता कि हमारे माल मंत्री जी अब इस उम्र में किसी फैशन के शिकार होंगे। आखिर कोई उद्देश्य सामने होगा और वह उद्देश्य बहुत साफ़ है कि जमीन का बंटवारा हो और जो निर्धन लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं, उनके पास जमीन जा सके। जो इस मुल्क को अपना मुल्क नहीं समझते, जिनके पास अपनी कोई चीज नहीं है, उनकी अपनी कुछ प्रापर्टी हो सके। अगर हम भगवतीसिंह जी के प्रस्ताव के मुताबिक २० एकड़ की सीलिंग करना चाहते हैं तो उससे कुछ जमीन निकल सकेगी और इस लिये हम इसका सख्ती से पालन करना चाहते हैं। ४० एकड़ जो सरकार का प्रस्ताव है उस हिसाब से ६० एकड़ ही नहीं बल्कि १०० एकड़ से ऊपर बैठता है लेकिन साधारणतौर पर ६० एकड़ से शुरू होगा इसलिये हम उसका विरोध करते हैं।

मैं भाई भीखालाल जी के सीलिंग के प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता हूं और मैं उनसे कहूंगा कि २० एकड़ का उन्हें समर्थन करना चाहिये। मैंने केरल के सीलिंग वाले बिल को बहुत गौर से देखा है। साढ़े बारह एकड़ के बाद एक्जेम्पशन्स उन्होंने इतने

[श्री गेंदासिंह]

दिये हैं कि उनके सामने रखते हुये साढ़े बारह एकड़ का कोई अर्थ नहीं है । केरल में घनी आबादी है और वहां जब साढ़े बारह एकड़ की सीलिंग है तो हमें जिद नहीं करनी चाहिये कि हमारे यहां भी इतनी ही रखी जाय । जब हमारी सरकार ६० एकड़ से शुरू करने वाली है तो उसको साढ़े बारह एकड़ पर नहीं लाया जा सकता । इसलिये श्रीमन्, हमने मध्यम मार्ग चुना है । हम भाई श्रीपालसिंह की बात भी नहीं मानते कि कोई सीलिंग ही न रखी जाय और न भीखालाल जी की बात मानते हैं कि साढ़े बारह एकड़ रखी जाय और न विष्ट जी की २५ एकड़ वाली बात ही पसन्द करते हैं । सब से ज्यादा शिकायत हमें सरकार से है । अगर मंत्री जी भगवतीसिंह जी की बात मान लें तो मैं कोई दलील नहीं देता और इतना कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं ।

श्रीमन् कल नारायणदास जी ने हमारी बहुत तारीफ कर दी । उन्होंने कहा कि गेंदासिंह जी और राजनारायण जी के यहां खेती की जाय तो वह १५ एकड़ में काम चला लेंगे । मैं कहता हूं कि १५ एकड़ में गुजर हो सकती है । श्रीमन्, आज से आठ वर्ष पहले की बात है कि एक होनहार नौजवान थे । उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी में आने की बात कही । मैंने से उनकहा कि सोशलिस्ट पार्टी तो ३० एकड़ की सीलिंग रखना चाहती है और तुम्हारे पास २००/२५० एकड़ भूमि है तो यह कैसे सम्भव हो सकता है ? इस पर उन्होंने कहा कि आप चिन्ता न करें । हमने वह हिसाब लगा लिया है कि जिस स्टेंडर्ड से हम २००/२५० एकड़ से इस समय रहते हैं उसी स्टेंडर्ड को हम ३० एकड़ में भी मेनटेन कर सकते हैं । श्रीमन्, मुझे आज भी उनके टैलेंट पर विश्वास है । मामूली टैलेंट वाले आदमी को २०० एकड़ भी कुछ नहीं है और अच्छे टैलेंट वाले आदमी को ३० एकड़ ही बहुत काफी है । इसलिये मैं कहता हूं कि अगर मंत्री हमारी बात मान लेंगे तो ठीक रहेगा । इससे विषमता भी कम बढ़ेगी और डेमोक्रेसी की भी हिफाजत होगी । इन सब बातों को ध्यान में रखकर २० एकड़ की सीलिंग का समर्थन कर रहा हूं । मैं उम्मीद करता हूं कि सदन इसे स्वीकार करेगी ।

*श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)—मान्यवर्, माननीय श्रीपालसिंह जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और बकिया संशोधनों का विरोध करता हूं । माननीय गेंदासिंह जी को स्वतंत्र दल के सदस्यों के बल पर बड़ा भरोसा है । श्रीमन्, मैं परम स्वतंत्र हूं । मैं स्वतंत्र दल का नहीं हूं । मैं भी एक छोटा मोटा किसान हूं । साथ ही साथ मैं यह भी जानता हूं कि माननीय गेंदासिंह जी भूमि सुधार के प्रश्न को अच्छी तरह से समझते हैं और पी० एस० पी० में इस विषय के सबसे एक्सपर्ट माने जाते हैं । लेकिन दुख तब होता है जब कि आज वह माननीय चरणसिंह की दुहाई देते हैं । कहते हैं कि माननीय हुकुमसिंह जी, माननीय पंतजी यह समझते थे कि इकनामिक होल्डिंग दस एकड़ की होगी । लेकिन माननीय चरणसिंह जी सवा ६ एकड़ समझते थे । जमींदारी अबालीशन ऐक्ट में अब क्या है ? उस वक्त माननीय हुकुमसिंह जी थे या माननीय चरणसिंह जी ? सीलिंग के बारे में माननीय चरणसिंह ने बार-बार इस सदन में कहा जब कि लार्ज होल्डिंग टैक्स इस सदन में रखा गया तो उनका दावा था यदि हमारा यह ऐक्ट सफल हुआ तो उत्तर प्रदेश में सीलिंग की कोई आवश्यकता नहीं होगी । माननीय चरणसिंह को कोट करना एक जगह सुविधाजनक है और दूसरी जगह वह भूल जाना चाहते हैं ।

माननीय गेंदासिंह को परिवार के लिये दर्द होता है । तो क्या आज जिनके पास ४० एकड़ जमीन है उनके परिवार नहीं है या इस अधिनियम के पारित होते-होते वे पत्नी और पुत्र विहीन हो जायेंगे या उनके परिवार में जितने लोग हैं वे जीवित नहीं रहेंगे ? आप को एक परिवार से बहुत प्रेम हो सकता है लेकिन दूसरे के परिवार से उनका घोर विरोध हो सकता है ।

माननीय गेंदासिंह जी कांस्टीट्यूशन की दुहाई देते है । कांस्टीट्यूशन के हिसाब से अगर मुआवजा मिलता हो तो वह कहते हैं कि न मिलना चाहिये और अगर मिलना चाहिये तो बहुत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नामिनल । ये लोग जो कि अपने को समाजवादी कहते हों या न हों, इस बहस में नहीं जाता, क्या समाजवाद के यही मानी हैं कि गरीब को गरीब कर दें, जो एक वक्त खाता हो उसको एक वक्त भी न मिले, मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं । सोशलिज्म के माने ये नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन आफ पावर्टी हो । वह चाहे जिस तरह की सोशलिज्म हो और उसकी परिभाषा चाहे जिस रूप में आयी हो ।

आपने डाइरेक्टिव प्रिंसिपुल्स के ए, बी, सी, पढ़ डाले । उसमें कौन सी आफत आई जा रही थी । माननीय हुकुमसिंह ने कौन सा विधेयक ऐसा रख दिया है कि जिससे उन डाइरेक्टिव प्रिंसिपुल्स पर कुठाराघात हो रहा हो ।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—मान्यवर, माननीय गेंदासिंह साहब ने भी अंग्रेजी में पढ़ा और उसका हिन्दी नहीं किया और माननीय सदस्य भी वही कर रहे हैं । या तो हिन्दी में वह पढ़ें या अंग्रेजी में पढ़ने के बाद उसकी हिन्दी भी करें ।

श्री अवधेशप्रतापसिंह—मान्यवर, यह कब्ल अज वक्त वावेला, रात को खांसी आवे और शाम से मुंह बाये बैठे हैं । अभी मैंने पढ़ना शुरू भी नहीं किया...

श्री सीताराम शुक्ल—आपके हाथ में अंग्रेजी की किताब थी....

श्री अधिष्ठाता—जब तक वह अंग्रेजी पढ़ना शुरू न करें तब तक आप कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते हैं ।

श्री अवधेशप्रतापसिंह—इस मानी में उनको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये । राजाजी का मैं भी अनुयायी हूं जहां तक कि अंग्रेजी का प्रश्न है । उन्हीं के नेता का मैं भी अनुकरण कर रहा हूं ।

तो मान्यवर, मैं पढ़ने जा रहा था—"अनुच्छेद ३९ (क) समान रूप से नर और नारी सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो,"

क्या इसके मानी यह हैं कि जो इस वक्त कमा रहा है दो वक्त खा रहा है, उसका छीन लिया जाय, क्या यह डाइरेक्टिव के माने हैं ?

"(ख) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो,

(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिये अहितकारी केन्द्रण न हो ।"

४० एकड़ खेत में हम बिड़ला, डालमिया और टाटा बन रहें हैं ? जो देहात में रहने वाले हैं, माननीय गेंदासिंह, वह यह समझते हों कि ४० एकड़ भूमि में बिड़ला और डालमिया और टाटा हम बन रहें हैं तो मुझे दुख है । ४० एकड़ जमीन इतनी काफी नहीं है कि इस प्रदेश में कोई रुपया लगाकर खेती पर जा सके । जब मिनिमम वेजेज ऐग्रीकल्चरल लेबर की एक रुपया प्रति दिन है, उस समय आप किसी खेतिहर से यह चाहते हैं कि वह दो रुपये पर खेती करे । खेती में भी कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होता है । मेरे माननीय दोस्त फैजाबाद के अब भी शायद यह समझते हैं कि हरी और बेगारी अब भी चलती है । उनको मालूम होना चाहिये कि उनके माल मंत्री महोदय ने आज के दस वर्ष पहले हरी और बेगारी को भी समाप्त कर दिया है ।

अगर हमारे माननीय दोस्त जो इधर बैठे हैं वह या जो उधर बैठे हैं वह यह चाहते हैं तो इसका इलाज यह नहीं है । इसका इलाज यह है कि औद्योगीकरण कीजिये । रुपया पेट्रोल और धुंयें में न जाय । अगर आपको उत्तर प्रदेश का कल्याण करना है तो मैं एक मूल कारण आपके द्वारा माननीय गेंदासिंह को बताना चाहता हूं कि भूमि की आज वह परिस्थिति नहीं है । यह होगा कि जो आज दो वक्त खा रहे हैं वह एक वक्त खाने लगेंगे और फिर जो आज साढ़े बारह एकड़

[श्री अवधेशप्रतापसिंह]

कह रहें हैं कुछ दिन के उपरान्त वही ६ एकड़ कहेंगे और माननीय गेंदासिंह आज २० एकड़ कह रहें हैं वह १० एकड़ कहेंगे क्योंकि इसका कोई अन्त नहीं होने का। अगर अन्त है तो वह यही कि आज जो लैंड पर प्रेशर है उसको हटाइये।

ऐग्रीकल्चर में आप सबको जगह नहीं दे सकते। उसके बजाय आज उस मजदूर को कोई और काम दीजिये, वह लोग जिनका खेती से काम नहीं चल रहा है उनके लिये दूसरा काम पैदा कीजिये। यह उसका रास्ता है। दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। यह रास्ता नहीं है कि उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है तो जो पैदावार आज है उसको भी खत्म कर दीजिये। इसका नतीजा आज नहीं मालूम हो सकता है। यह जो कहते हैं कि क्या काबलियत उन्हीं के पास है पैदा करने की जिनके पास कि अधिक खेत हैं, तो उनकी काबलियत तो उस दिन मालूम होती है जब उनकी पैदावार से गल्ले का भाव लखनऊ बाजार में घटने लगता है। गल्ला आता है बड़े फर्मों से तब, भाव में फर्क आता है। देवरिया और गोरखपुर की पैदावार से कोई भाव घटा ले तो मैं जानूं।

जिनके पास दो वक्त खाने के लिये नहीं हो सकता, भूमि से इतना पैदा नहीं हो सकता तो जब तक वह आबादी मार न डाली जाय, बम वगैरा से या मर न जाय, उसके लिये कोई इन्तजाम करना ही पड़ेगा। उनके लिये कोई आल्टरनेटिव इन्तजाम करना ही होगा। आप औद्योगीकरण कीजिये या और प्रबन्ध कीजिये; उनकी गुजर का इन्तजाम करना ही होगा।

हमारे मित्र ने बम्बई का उदाहरण दिया। बम्बई की यदि आमदनी को देखा जाय तो जितनी कुल वहां की आमदनी होती है उसमें आधे से अधिक आमदनी पोर्ट से बम्बई को होती है। बम्बई का मुकाबला आप उत्तर प्रदेश से नहीं कर सकते हैं। उसने जो तरक्की की है वह इंडस्ट्री की बदौलत की है। यदि वेस्ट बंगाल और बम्बई से वहा की इंडस्ट्री की आमदनी को निकाल दिया जाय तो फिर उनके पास कुछ बचता नहीं है। यहां पर आप २० एकड़ जमीन देना चाहते हैं कि यह समदर्शी उसूल है। चाहे बंजर हो, कछार हो, मांझा हो, कैसी भी बेकार जमीन हो वह २० एकड़ देने की बात आप कहते हैं जिसको हर दूसरे तीसरे साल नदी बहा ले जाती है।

इसके साथ-साथ यह भी है कि उत्तर प्रदेश के हर मौजे में आप कागजात उठाकर देख लीजिये तो १० किस्म की जमीन एक ही गांव के अन्दर मिलेगी और सब जमीनों की कीमत अलग-अलग है। अगर मेरे मित्र गेंदासिंह जी बन्दोबस्त के कागजात जो बने हुये हैं, उनके ऊपर निगाह डालने का कष्ट करें तो उनको यह मेरी बात मालूम हो जायगी कि कहां तक सच है। यह उनकी सद्भावना हो सकती है लेकिन उस सद्भावना की प्रेरणा में वह यह भूल गये कि इस २० एकड़ का उनका आधार क्या है। आप उस धारणा में रह सकते हैं लेकिन मैं उस गलत धारणा में नहीं रह सकता हूं।

बहस इस बात की थी कि प्लानिंग कमीशन का यह रिपोर्ट है कि ३,६०० होना चाहिये। मुमकिन है किसी को इसकी शिकायत हो लेकिन मुझे जरा भी शिकायत नहीं है। मैं अपनी जगह पर यह समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस सीलिंग से कोई लाभ नहीं होगा। स्वतंत्र दल कहता हो या नहीं लेकिन मैं अपनी जगह पर यह साफ कहता हूं क्योंकि यह ३,६०० की आमदनी इस ४० एकड़ से नहीं आ रही है। यह आमदनी यदि आती है तो तब आती है जब इसका एकरेज ४८ का कर दिया जाय आप कम से कम ऐसी सीमा तो रखिये जिससे एक आदमी गांव में टिक सके।

माननीय मंत्री जी देहात से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। खेती भी जानते हैं और देहात के लोगों को भी जानते हैं। देहाती बोली भी बोलते हैं और समझते हैं। यह सब गुण उनके अन्दर विद्यमान हैं। मगर मैं आपके द्वारा उनसे यह जानना चाहता हूं कि अगर इन माननीय दोस्तों के पसन्द करने की बात हो तो दूसरी है, आप तो ४० एकड़ दे रहे हैं। गेंदासिंह जी तो यह कहते हैं कि ६० एकड़ से शुरूआत हो इसी वजह से मैं बार-बार उनको कोट कर रहा हूं। वे पी० एस० पी० की कृषि मामलों में अथारिटी माने जाते हैं। वह किस हिसाब से ६० एकड़ की

सीलिंग लगाते हैं यह मैं जानना चाहता हूं। उनका शायद यह खयाल है कि ६ रुपये के सर्किल रेट की जमीन इस प्रदेश में बहुत कम है। यह गलत है। इस से भी ऊंचा सर्किल रेट है और उस तरह की बहुत काफी जमीन इस प्रदेश में है। यह भी कहा जायगा कि ५ लाख एकड़ इस तरह से जमीन मिल सकती है, लेकिन ५ साल पहले मिल सकती थी।

आपके लार्ज होल्डिंग टैक्स ने सब जमीन बिकवा दी है जो सरकार की नीति थी और जिसके उद्देश्य और कारण में भी लिखा गया था कि हमारी यह नीति है। अतः मैं इन मौलिक प्रश्नों को उठाना चाहता था। अपने समाजवादी दोस्तों को मैं सलाह तो नहीं दे सकता, क्योंकि वास्तव में मैं छोटा काफी हूं, लेकिन चाहता हूं कि कम से कम नारे बाजी को छोड़कर हमें इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करना चाहिये और हमें इसका हल निकालना होगा। इसका हल सीलिंग नहीं है। पर कैपिटा इन्कम बढ़ाने के लिये देश में सीलिंग की नहीं बल्कि उद्योगीकरण की आवश्यकता है। नेशनल इन्कम बढ़ाने के लिये आप इस प्रदेश में उद्योग बढ़ाइये। हमें इस समय इस पर नहीं जाना चाहिये कि मुख्य मंत्री ने एम० पीज० सम्मेलन में क्या कहा और सदन में क्या कहते हैं, असलियत को असलियत की तरह से स्वीकर करना चाहिये।

सूरज जब निकला हुआ है तो उसे सब को स्वीकार करना होगा। यह भूमि सुधार जमींदारी उन्मूलन से नहीं हुआ, लार्ज होल्डिंग टैक्स से नहीं हुआ और सीलिंग से भी होने वाला नहीं है। पर कैपिटा इन्कम और नेशलन इन्कम बढ़ाने के लिये भूमिसुधार करना अनर्थ करना है। आप भूमि सुधार के नाम पर भूमि पालिसी पर कुठाराघात करते हैं। प्लानिंग कमीशन ने जो मत दिया है क्या वह खुदा का मत है? वह कोई संविधान का डाइरेक्टिव प्रिंसिपुल नहीं है। यह एक रिपोर्ट है यह मैं मानता हूं और यह मानता हूं कि वह विशेषज्ञों की रिपोर्ट है, लेकिन बुद्धि का सारा केन्द्र प्लानिंग कमीशन में और सरकार के उच्चाधिकारियों में केन्द्रित हो गया है यह मैं नहीं मानता। जब यह सीलिंग बिल डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार के पास पहुंचेगी उस समय इसकी क्या दुर्दशा होगी इसको माल मंत्री जी अभी नहीं जान पायेंगे। जो सुविधा वह कृषक को देना चाहते हैं उसे डिप्टी कलेक्टर महोदय नहीं समझ सकते और इसका मकसद वे जिस तरह हलाल करेंगे कि जिसकी इंतहा न होगी। कानून बनाते समय मंत्री जी ने आश्वासन दिये और हम सब ने भरोसा कर उसको पास कर दिया, लेकिन इस पर अमल डिप्टी कलेक्टर महोदय की बुद्धि से ही होगा, मंत्री महोदय की अक्ल से नहीं इस बात को सरकार ध्यान में रखे। इन शब्दों के साथ मैं माननीय श्रीपाल जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)—मान्यवर, खण्ड ४ के उपखण्ड २ में जो संशोधन उपस्थित हुये हैं उनको मैंने गौरसे सुना और माननीय गेंदासिंह जी की तकरीर को भी गौर से सुना। मैं उन सभी संशोधनों का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे खेद है कि माननीय गेंदासिंह ने श्री भगवतीसिंह बिशारद के जिस संशोधन की ताईद की है, मैं उसका विरोध कान्स्टीट्यूशनल आधार पर करता हूं। श्रीमन्, लेजिस्लेशन के कुछ उसूल होते हैं और सबसे पहला उसूल उसका हमारे देश में यह है कि हमारे तमाम कानून हमारे संविधान के मुताबिक होने चाहिये। हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है उसमें आर्टिकल १४ में यह दिया हुआ है कि एक सी परिस्थिति के व्यक्तियों के साथ एक सा वर्ताव किया जायगा। कानून के समक्ष इक्वालिटी होगी। Like shall be treated a like यह उसका मंशा है। यह जो संशोधन है इसके द्वारा इस बात की चेष्टा की गयी है कि सब के लिये सीलिंग २० एकड़ होगी, उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिन लोगों के पास बढ़िया जमीन है उनको भी २० एकड़ मिलेगी और जिनके पास घटिया जमीन है उनको भी २० एकड़ मिलेगी। अगर उनका संशोधन मान लिया जाता है तो श्रीमन्, मुझे तो संदेह है, वह अल्ट्रावायर्स हो जायगा क्योंकि इसके द्वारा हम प्रत्यक्ष रूप से आर्टिकल १४ का उल्लंघन करते हैं।

दूसरी बात श्रीमन् यह कही गयी कि यह वास्तव में भूमि ४० एकड़ रखी गयी है लेकिन इससे दरअसल में भूमि ६० एकड़ पड़ जायगी। मुझे खेद है कि आंकड़े पेश करने में उन माननीय सदस्य से कुछ भूल हो गयी है। जहां तक मुहकमें माल द्वारा माल के आंकड़ों का हवाला दिया

[श्री शिवराजसिंह यादव]

गया, उनको मैं सही मानता हूं। वह २२ करोड़ रुपये हैं लेकिन जिस भूमि पर काश्त की जाती है उसके आंकड़े प्रस्तुत करने में उनसे भूल हो गयी है। बजाय उस भूमि के कि जिस पर काश्त होती है, उन्होंने तमाम एग्रीकल्चरेबिल एरिया को पेश कर दिया। मैं आपको बतलाऊं कि उत्तर प्रदेश का ऐग्रीकल्चरेबिल एरिया है वह ५.७७ करोड़ एकड़ है लेकिन प्रदेश का वह रकबा व जिस पर आजकल काश्त होती है वह करीब साढ़े तीन करोड़ एकड़ है। इस प्रकार से दूसरा प्रति एकड़ जो औसत लगान आता है वह ६ रुपये से ज्यादा आता है और सरकार ने उसी हिसाब से जो सीलिंग की है वह वास्तव में ४० एकड़ रखा है न कि ६० एकड़ जैसा कि माननीय गेंदासिंह जी कहते हैं।

श्रीमन्, आज देश में और प्रदेश में दो तरह की विचारधारा और कोशिशें हैं। पहली विचारधारा और कोशिश तो यह है कि देश और प्रदेश में दौलत की पैदावार में इजाफा हो। दूसरी कोशिश यह है कि पैदावार में बढ़ोत्तरी के साथ साथ जो देश में और प्रदेश में दौलत पैदा करने के साधन हैं उनमें भी न्याय संगत बटवारा हो। दोनों ही प्रकार की कोशिशें हैं और दोनों विचारधाराओं की मैं कद्र करता हूं और दोनों से ही आज सहमत हूं। किन्तु इससे मुख्य जो चीज है वह यह है कि इन दोनों में विशेष संतुलन होना चाहिये। अगर ऐसा नहीं होगा तो निश्चय ही हमारा देश आगे चल कर गरीब हो जायगा।

श्रीमन्, माननीय गेंदासिंह जी ने अपनी तकरीर के दौरान यह कहीं साबित करने की कोशिश नहीं की कि ज्यादा आदमियों को खेती की तरफ ले जाकर खेती की पैदावार बढ़ सकती है। मेरा विचार इसके बिलकुल बरअक्स है। आज संसार के और अपने देश तथा प्रदेश के आंकड़े इस बात के साक्षी हैं कि जिस देश के अन्दर, प्रदेश के अन्दर, या जिले के अन्दर ज्यादा प्रतिशत आबादी का खेती पर आश्रित है वही देश, वही प्रदेश, वही जिला उतना ही ज्यादा गरीब है तो आज आवश्यकता श्रीमन्, इस बात की है कि खेती से हटा कर, अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके आदमियों को हम अन्य व्यवसायों पर लगा दें। आज इस बिल के द्वारा जितनी भूमि हमको मिलेगी, साफ जाहिर है कि वह भूमि अच्छी उपजाऊ न होकर खराब से खराब होगी और आज जो बड़े बड़े काश्तकार उस भूमि पर अपने अच्छे साधनों को इस्तेमाल करके पैदावार बढ़ा रहे हैं, आइंदा जमाने में उस भूमि से गरीब काश्तकारों को जिनके पास खेती करने के इतने अच्छे साधन नहीं हैं, उतनी पैदावार लेना संभव नहीं होगा, इसलिये एक सी जमीन के इतने छोटे टुकड़े करके प्रदेश की पैदावार बढ़ाने की बात सोचना प्रदेश के हित की बात नहीं है।

पिछले १० वर्षों में हमारे प्रदेश में पैदावार और आबादी में जो इजाफा हुआ है उन आंकड़ों को भी इस सवाल को तय करते समय सामने रखना चाहिये। १९५१ से १९६० तक और स्टेट्स की जितनी आमदनी बढ़ी है उससे कहीं कम हमारी बढ़ी है, तो हमको और सतर्क होना चाहिये कि हम वही साधन अपनायें अपनी योजनाओं द्वारा जिनसे प्रदेश की दौलत बढ़े और खेती की पैदावार पर बुरा प्रभाव न पड़े।

जहां तक क्वांटम आफ सीलिंग की बात है, यह बहुत अहमियत रखती है, इस सीलिंग की चर्चा देहात में हुई है और जो लैन्ड रिफार्म्स बढ़ते चले जा रहे हैं उससे खेती की पैदावार पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। आज खेती की व्यवस्था इतनी अनिश्चित हो गयी है और उसमें इतना डर पैदा हो गया है कि उतना और किसी व्यवसाय में नहीं है। इस व्यवसाय का हमारे खाद्य-पदार्थों से सम्बन्ध है और हमारे खाद्यान्न हमारे प्रदेश और देश की जिन्दगी में खास अहमियत रखते हैं। इसलिये खाद्यान्न सम्बन्धी व्यवसाय में किसी प्रकार की अनिश्चितता पैदा करना अकलमंदी की बात नहीं है। एक डेमाक्लीज की तलवार हमेशा खेती के व्यवसाय पर लटकी हुई है कि न मालूम किस समय जमीन छिन जाय। इसका परिणाम यह हुआ है कि जहां और देशों में एटामिक इम्प्लीमेंट्स फार्म पर आ गये हैं, तरह तरह की ईजादें आ गयी हैं, यहां लोगों ने अपनी थैली बन्द कर ली है और खेती में उन्नति के साधन करना कम कर दिया है।

तो मैं चाहूंगा कि इस बिल के द्वारा जो यह ४० एकड़ की सीमा लगी है उसके साथ इस बिल में ऐसा कोई प्राविजन होना चाहिये जिससे लोगों को यह आश्वासन हो सके कि यह सीमा आगे कम नहीं होगी, उससे यह डर कम होगा और लोग इस ओर झुकेंगे।

माननीय गेंदासिंह जी ने एक और तथ्य बताया जो मेरी समझ में नहीं आया कि अक्वीजीशन आफ फर्दर लैन्ड्स पर लैन्ड रिफार्म्स ऐक्ट में साढ़े बारह एकड़ सीलिंग है, अब ४० एकड़ करना कहां तक उचित है सो मुझे इस पर एतराज है। आज जिन के पास ४० एकड़ भूमि है वह कल को ८-८ एकड़ का बटवारा कर सकते हैं और हर एक लैन्ड रिफार्म्स ऐक्ट में तहत साढ़े चार एकड़ और परचेज कर सकते हैं। इस तरह से वह साढ़े बासठ एकड़ की सीलिंग प्रति व्यक्ति हो जाती है। अब पांच व्यक्तियों पर ४० एकड़ की करके तो उसको कम कर दिया है। इन तमाम तथ्यों के अनुसार जो सीलिंग सरकार ने की है वह मुनासिब है और उससे जो हमारे दोनों लक्ष्य हैं वह प्राप्त होते हैं। प्रदेश की पैदावार में कोई खास कमी नहीं पड़ती और जो सम्पत्ति का न्याय संगत बटवारे का उसूल है उनका भी प्रतिपादन होता है।

इन शब्दों के साथ मैं उन तमाम संशोधनों का विरोध करता हूं।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—सभापति जी, हमारी पार्टी की ओर से जो प्रस्ताव आया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सीलिंग के नाम पर जो यह ढकोसला वह खड़ा कर रहे हैं और सदन का समय व्यर्थ बरबाद कर रहे हैं यह न करते तो ज्यादा अच्छा होता क्योंकि जनता में तो यह हवा है कि जिसके पास ज्यादा जमीन है उसकी जमीन छीन ली जायगी और उसका बटवारा होगा लेकिन सरकार न कुछ लेना चाहती है और न कुछ ले पावेगी। अगर जमीन ही लेनी होती तो ४०एकड़ की क्या बात है, पहले ३० एकड़ तय किया था अब ४० कर रहे हैं और लगान के हिसाब से जमीन की नाप कर रहे हैं जो गलत है। ६ रुपये की जमीन उन्हीं के पास है जिनके पास दो चार एकड़ ही जमीन है। जिनके पास ज्यादा जमीन है कम लगान है। हमारे जिले में भल्ला साहब का फार्म १,१०० एकड़ का है जिसका लगान १,१०० रुपया है और अब उन्होंने दसगुना जमा कर दिया तो साढ़े ५ सौ रुपया ही लगान रह गया है। वहां पर वन विभाग की तख्ती लगी थी। रानी साहब सिंगाही का जंगल था जिसको लेकर वन विभाग वालों ने भल्ला साहब को जमीन दी है चारों ओर घोर जंगल है नैपाल की सरहद है। वन विभाग की सड़क है, मगर उन पर कोई बन्धन नहीं लगा है। खेतिहर वहां रह नहीं सकते। वहां पर खेतों में जरीब चल रही है। वन विभाग वालों ने कह दिया यह वन विभाग की जमीन है, खेतिहरों की जमीन छीनी जा रही है। अगर किसी किसान ने २०० रुपया दे दिया तो जरीब उठाकर दूसरी जगह लगा देते हैं। दोनों हाथ मन मोदक मेरे। वहां पर जिनके घर में जंगली जानवर की एक पूंछ तक कहीं कहीं मिल जाती है उनके ऊपर जुर्माना हो जाता है। अभी पिछले साल की बात है मैंने बहुत सरकार से कहा था और अपने बड़े बंधु हुकुमसिंह जी से भी कहा था जिनका कि हुकुम है कि लूटो, मारो खाव .....

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—ऐसा मेरा कौन सा हुकुम है कि लूटो, मारो खाव।

श्री बंशीधर शुक्ल—श्री हुकुमसिंह का हुकुम है कि लूटो, मारो खाव। तो श्री सभापति जी, मैं कह रहा था कि अम्बारा गांव में पंडित बेनी माधो के घर पर सुबदन लकड़ी की तलाशी ली गई। जब उनके घर में लकड़ी नहीं निकली तो बाहर निकल कर जंगल वालों ने उनके घर वालों को गाली दी। घर वालों ने भी उसका जवाब गाली से ही दिया। इस पर नाराज होकर उन्होंने पुलिस को बुलाकर एक ट्रक भर जंगल के आदमी उनके यहां ले आये और लूट मार की।

(इस समय २ बजकर १३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये।)

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसका तरमीम से क्या सम्बन्ध है।

श्री बंशीधर शुक्ल—मैं सीलिंग की ही बात कह रहा हूं। उस जमीन की बात कह रहा हूं जिसको आप लेना चाहते हैं। तो श्रीमान् जी हमने सरकार से दरख्वास्त की, हाकिम परगना कन्हैयालाल ने जांच की, उसके बाद उस मामले की मिसिल बनती है। करीब १५० आदमियों के बयान होते हैं लेकिन वह मिसिल ही गायब कर दी गयी और उन पर मुकदमा वही चलवाकर उनको दो-दो साल की सजा और १००-१०० रुपये जुर्माना किया जाता है। यह सरकार की नीति है जो सीलिंग कर रही है। हमारे यहां भल्ला साहब का एक १,१०० एकड़ खेती का फार्म है। हरगांव मिल वाले बिड़ला साहब का ३ हजार एकड़ का फार्म है। वह तीन चार आदमियों के नाम है, उसमें से आप एक बिसुवा भी नहीं पायेंगे क्योंकि आपने उसको यांत्रिक फार्म बना दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—किस विभाग पर आप बोल रहे हैं ?

श्री बंशीधर शुक्ल—माल विभाग, वन विभाग, खेती से संबंधित जितनी बातें हैं उन सब पर बोल रहा हूं क्योंकि सिर्फ नाड़ी देखने से ही रोग नहीं मालूम होता, इसके लिये सारा जिस्म देखना पड़ता है। सरकार का ही वन विभाग है, माल विभाग है और यह सब चीजें जमीन से संबंधित हैं। अगर जमीन ही नहीं है तो माल विभाग किस लिये होगा। तो श्रीमान् जी, भल्ला जी को जो जमीन दी गई उसमें उनको २७ हजार दरख्त ऐसे मिले जो १०० रुपये से कम कीमत के कोई नहीं थे। उन्होंने वह सब पेड़ कटवाकर बेच लिये जिसमें उनको कम से कम ४०, लाख की आमदनी हुई। और सरकार ने उनको पैसा भी दिया और उसका लगान भी कुछ नहीं है और उसको अब यह सरकार सीलिंग में ले भी नहीं सकती। वहीं पर यह विभाग की सड़क भी है उसको वन विभाग नहीं ले सकता है। राजा साहब ओयल का ४०० एकड़ का जंगल था जो कटा पड़ा है, इसी तरह कुटवारे का जंगल था, वह भी कटा हुआ है। एक धस्सू गद्दी की जमीन थी जो नदी के किनारे है। जहां कभी जंगल नहीं था वहां उसके बाप-दादा के जमाने से खेती होती चली आ रही है। मुकदमे में भी वह एक बार जीत गया, फिर भी उसके ऊपर दावा है कि जंगल की भूमि है तो यह क्या बात है, अगर सरकार इसी प्रकार का जुल्म करती रहेगी तो आगे क्या होगा। वन विभाग नष्ट करो, मैं कई बार कह चुका हूं। पुस्तक छपवा कर भी सरकार की कर्ण कन्द्रावों में गूंजा दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—सीलिंग कितनी होनी चाहिये।

श्री बंशीधर शुक्ल—एक आदमी का पेट २ एकड़ से भर सकता है। एक परिवार में ५ व्यक्ति भी मानें, तो १० एकड़ काफी है, भले ही वह दलदल की जमीन हो। लेकिन अगर कोई आजकल की तेजी, फैशन या फजूलखर्ची से नाप करे तो उसके लिये तो चाहे जितनी जमीन हो, वह भी कम होगी। जो कुछ भी हमारी पार्टी ने तय किया है मैं उसका समर्थन करता हूं, जो २० एकड़ है। लेकिन परिवार तो घटता बढ़ता रहता है। जमीन बढ़ नहीं सकती है। तो फिर क्या परिवार को कम किया जायगा ? यह क्या ढकोसला है। अगर आप जमीन का मामला हल करना चाहते हैं तो जमीन पर चलिये। आकाश पर चलने से जमीन का मसला हल होने वाला नहीं है, श्रीमान् जी, हमारे यहां पानी नहीं बरस रहा है, धान सूख रहा है, ४,५ दिन और नहीं बरसा तो सब सूख जायगा। धान सेर भर नहीं होगा। बोलो भारत माता की जय ! खेती में क्या है ? सिंचाई का प्रबंध सरकार कर नहीं पाती है। नहरवाले पानी नहीं देते हैं। हम किससे कहें ? माननीय मुख्य मंत्री जी से या ठाकुर दादा से ? नैनीताल में जाकर हमने चौधरी गिरधारीलाल जी को दरख्वास्त दी। एक प्यारे लालफलाहारी के केस में कमलापति जी को अर्जी दी मगर कोई जांच पुलिस की नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष—अब आप भाषण समाप्त करें या केवल विषय पर ही बोलें।

श्री बंशीधर शुक्ल—जरा हमारी बात तो थोड़ी सी सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—सीलिंग के बारे में कहना हो तो कहें।

श्री बंशीधर शुक्ल—बटवारे में आप किसी की जमीन नहीं ले पावेंगे और न आपकी इच्छा है। आप केवल सेंटर को दिखाना चाहते हैं कि हम भी सातवें सवारों में हैं। इसलिये यह ढकोसला आप रच रहे हैं। जिसमें व्यर्थ सदन का समय जा रहा है, उसे समाप्त कीजिये। कोई कामरोको प्रस्ताव देते हैं तो सभापति जी उसे अस्वीकार कर देते हैं कि समय नहीं है। और यह जो ७,८ दिन से जबान की पटापटी में समय बरबाद हो रहा है, यह क्या बात है? इसलिये सीलिंग का ढकोसला सरकार को बन्द करना चाहिये। सीधा-सादा कोई प्रस्ताव लावे कि डकैती चोरी जो बढ़ रही हैं उनका उपाय किया जाय। यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों पर अत्याचार हो रहा है, उसकी बात करें। इस पागलपन में क्या रखा है।

श्री उपाध्यक्ष—अब आप कृपया भाषण समाप्त करें।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—मैं प्रस्तुत खण्ड का समर्थन करने के लिये और जो संशोधन इसमें रखे गये हैं उनका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जितने भी संशोधन रखे गये हैं उनमें, सिवाय कुंवर श्रीपालसिंह जी के को छोड़कर, सब में भूमि की मात्रा कम की गई है। मैं सबका ही विरोधी करता हूं, इस विधेयक का प्रभाव सैकड़ों वर्षों तक हमारी आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। खेती के व्यवसाय से प्रदेश की ७० फीसदी जनसंख्या का सम्बन्ध है समूचे देश में ६९ –७० प्रतिशत और इस प्रदेश में ७० में कुछ अधिक प्रतिशत जनसंख्या खेती करती है। वह उससे रोटी पाती है। जब हम किसी व्यवसाय के लिये कोई बन्दिश लगाना चाहते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि उस व्यवसाय में यह गुंजायश रहे कि कुशल से कुशल काम करने वाला अच्छे से अच्छा जीवन स्तर रख सके। ऐसा नहीं होना चाहिये कि अच्छे से अच्छा काम करने वाला, अच्छी से अच्छी पूंजी लगाने वाला भी पापड़ बेलकर मर जाय। बंशीधर जी ने कहा कि एक व्यक्ति के लिये २ एकड़ भूमि काफी है, इस प्रकार५ व्यक्तियों के परिवार के लिये १० एकड़ जमीन काफी हुई। १० एकड़ में तो वे रोटी खाकर पेट भी नहीं भर सकेंगे। ४० एकड़ जो सरकार ने रखी है, उसके लिये उप-मंत्री जी ने आंकड़े बता कर कुशलता सिद्ध किया कि दूसरे संशोधनों में और इसमें आय में कितना अन्तर है। ४० एकड़ की इनकम ३,६०० या ४,००० रुपये सालभर की जाकर पड़ती है। प्लानिंग कमीशन ने जो १२० रुपये प्रति एकड़ ग्रास इनकम मानी है। वह ठीक ही है इसका अर्थ हुआ कि १०० रुपये या कुछ कम प्रति एकड़ नेट इनकम होगी। इस प्रकार की ४० एकड़ की आय ३,६०० या ४००० रुपये हुई। इससे लगभग ३०० रुपये माहवार होते हैं। आप पी० सी० एस० की नौकरी ३०० रुपये माहवार से शुरू करते हैं। एक नया नौजवान जहां से शुरू करता है उसे आप एक किसान परिवार के लिये अधिकतम बनाना चाहते हैं। एक नौजवान पी०सी०एस० की जो आय होगी इस प्रदेश के एक लाख गांवों में बिखरे हुये बड़े से बड़े किसान की भूमिधर वह आय न होगी। दूसरे अर्थों में यह मतलब होगा कि आज के युग के जितने भी साधन या आराम कहिये वह उनको नहीं मिल सकेंगे आप पानी का, बिजली का, टेलीफोन और सड़क वगैरह का आराम गांवों में देने जा रहे हैं, तो ये सब लगाकर साधारणतया २०, २५ या ३० रुपये माहवार से कम नहीं पड़ेंगे। तो क्या आप यह चाहेंगे कि देहात का कोई मनुष्य वाटर–वर्क्स से पानी न ले, या दूसरे साधन न ले, १० वर्ष या २० वर्ष बाद भी जाकर? आप किसी प्रकार की शिक्षा को ले लीजिये, इंजीनियरिंग या ऐग्रीकल्चर की शिक्षा को ले लीजिये, अगर आप एकेडेमिक उच्चतम शिक्षा अपने बच्चे को देना चाहते हैं तो १०० रुपये प्रति मास से कम खर्च नहीं होगा। एक परिवार जिसकी ४,००० रुपये सालाना आमदनी है तो वह कैसे १२००) एक बच्चे की पढ़ाई पर खर्च कर सकता है? क्या आप यह चाहेंगे कि ७० प्रतिशत जनता के बच्चे इंजीनियर या ऐग्रीकल्चर के ग्रेजुएट ही न हों या पी०सी०एस० या आई०ए०एस० में न बैठ सकें या एम०बी०बी० एस० करके डाक्टर न बन सकें? इसका यही परिणाम होगा कि वह परिश्रम करें और अपना केवल पेट भरते रहें। ऐसी परिस्थितियों में ये लोग सैकड़ों और हजारों वर्षों से चले आ रहे हैं।

[श्री जगदीश प्रसाद]

किसान ने पैदा किया और हिसाब लगाया कि साहूकार का इतना देना है। उसके बच्चों के न पढ़ने से विकास रुक जायगा उन्नति का अवसर न होने से उनके मस्तिष्क का विकास रुक जायगा। उनका जीवन लादने के भैंसे के समान होगा जो, बोझा ढोने के लिये ही उत्पन्न होता है और वे आगे कोई उन्नति नहीं कर पायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, एक दूसरी बात हमें और भी देखनी होगी, जैसा कि मैंने निवेदन किया हमारे प्रदेश में ७० प्रतिशत से अधिक लोग खेती पर निर्भर करते हैं जब कि सारे देश में ६९–७० के करीब उनकी संख्या है। इस सम्बन्ध में बहुत कह कर इस सदन का समय नष्ट करना होगा। बहुत बार इसी सदन में कहा गया कि जिस देश में ज्यादा जन संख्या खेती पर निर्भर करती है, वह देश बहुत तरक्की नहीं कर सकता। अपनी आय बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। इसलिये इस भार को जो हमारी भूमि पर है उसको हमें कम करना होगा। लेकिन अगर हम फ़ग्मेंटेशन को बढ़ाते जायें भूमि के छोटे टुकड़े करते जायं तो भार और भी अधिक हो जायगा। इसलिये मैं समझता हूं कि बहुत सोच समझ कर ही इस खण्ड पर हमें विचार करना चाहिये। केवल इतना ही कहते हुए मैं इस खण्ड का समर्थन करता हूं और संशोधनों का विरोध करता हूं।

*श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन कुंवर-श्रीपाल सिंह जी ने उपस्थित किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। यों तो सीलिंग का उन्होंने विरोध ही किया है लेकिन प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ४८ एकड़ का उन्होंने संशोधन रखा। मैं उसका समर्थन करता हूं। सरकार की तरफ से ४० एकड़ कहा गया है, दूसरे माननीय सदस्यों की ओर से १२ एकड़, २० एकड़ और २५ एकड़ कहा गया है लेकिन मैं ४८ एकड़ वाले संशोधन का समर्थन करता हूं।

मान्यवर, यहां जो सीमा-रोपण विधेयक प्रस्तुत किया गया है, इसको यदि आप एक नजर से देखें कि आया हमको इसका अधिकार है या नहीं तो इस आदरणीय सदन को हर किस्म के कानून बनाने का अधिकार है, जो उचित हो, न्यायसंगत हो, और जनहित का हो। जहां तक जनहित का प्रश्न है इसकी धारा २७ (क) (ख) को यदि आप पढ़ें तो मालूम होगा कि जो वितरण होगा उसमें किसी को मिलने वाला नहीं है, वह तो सारी जमीन सहकारी समितियों को जायगी।

अब श्रीमन्, औचित्य के प्रश्न को लीजिये। जो ८० प्रतिशत गांव के रहने वाले हैं, उनकी स्वयं की किस्मत का फैसला करने के लिये यह सदन बैठा है। उनको उस दल के लोग कहते हैं कि वे हमारे मालिक हैं, दूसरे दलों के लोग भी कहते हैं कि वे हमारे मालिक हैं और हम भी कहते हैं कि वे मालिक हैं और हम सब मिल कर उनकी किस्मत का फैसला यहां करने के लिये बैठे हैं। माननीय शुक्ल जी के आधार पर सबसे ऊंची सीलिंग जो माननीय श्रीपाल सिंह जी ने रखी है उससे उनकी आय ७५ रुपया माहवार होगी और अगर सरकारी सीलिंग को माना जाय तो ६० रुपया माहवार होगी, भीखा लाल जी के मुताबिक १४ रुपया होगी। अगर ४० रुपया को ही मान लिया जाय तो उनके अनुसार उनकी आय ६० रुपया होगी लेकिन जो उनकी इस आय को पास कर रहे हैं, जो उनके सेवक कहाते हैं, उन सेवकों में से किसी की आय भी २०० रुपया माहवार से कम नहीं है लेकिन उनके लिये जो हमारे मालिक हैं हम कह रहे हैं कि ६० रुपया माहवार से अधिक आय न हो। मैं भीखा लाल जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तमीज तो किया कि १२ एकड़ से २५ एकड़ तक रख दिया।

माननीय गेंदासिंह जी ने तो सब धान १६ पसेरी ही तौल दिया। उन्होंने कहा कि २० एकड़ जमीन की सीमा हर जगह के लिये होनी चाहिये, चाहे बुन्देलखंड की जमीन हो,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहे गोएंड जमीन हो, चाहे पालो हो, चाहे मझार हो। उनकी तराजू तो और है, उसके लिये मैं क्या कहूं? तो आज इस सदन में जो सीलिंग का कानून बनने जा रहा है, इस संबंध में न मालूम कितने प्रकार की बातें बतलायी गयीं, मैं एक एक को क्या बतलाऊं। कुंवर श्रीपाल सिंह ने जब अपना संशोधन पेश किया उसके बाद ही हमारे माननीय नारायण दास ने १६ एकड़ का प्रस्ताव उपस्थित किया और उन्होंने जोरों से कहा कि राजा लोग अब भी जुल्म करते हैं। राजा लोग मिट गये लेकिन राजा लोगों का जुल्म ८, १० वर्ष के बाद भी कितने दिनों तक याद रहेगा पता नहीं है। अंग्रेजी राज्य में भी राजा रहे और १६ एकड़ सीमा हो जाने के बाद भी राजा रहेंगे। लिहाजा उनको कहने का मौका मिलेगा। लेकिन एक बात उन्होंने यह बतलायी कि अगर १६ एकड़ की सीलिंग कर दी जाय तो निश्चित रूप से हमारे यहां अन्न की समस्या हल हो जायगी।

जहां तक अन्न समस्या हल करने की बात उन्होंने कही, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बदलाऊं और अपने विरोधी भाइयों तथा कांग्रेस के लोगों से भी कि यही एक कारण नहीं है। मान्यवर, मैं आपको याद दिलाऊं कि अंग्रेजी राज्य में विदेशी कपड़ों की होली खेली और जलायी गयी। जितना विदेशी कपड़ा साल भर में आता था उतने का अन्न १४ रोज में इस देश में आता है विदेश से और अब उसकी होली नहीं जलायी जाती। कहा जाता है कि हमारे यहां अन्न की मांग है और लोग भूखों मर रहे हैं इसलिये हम उसे लेते हैं। आज आप चाहे जितने भी कानून बनावें लेकिन किसान को इतना भरोसा नहीं रह गया है कि आगे जमीन हमारे पास रहेगी भी या नहीं रहेगी।

आप जिस कानून को बना रहे हैं उसके लिये कोई कहता है कि ६ एकड़ रहे, कोई कहता है कि सहकारिता से कल्याण होगा, कोई कहता है कि सब सरकार करे तो कल्याण होगा। उसका परिणाम यह है कि किसान अपना साहस खो चुका है और वह रात दिन ऊबता चला जा रहा है, वह खेत में भर्ती नहीं लगाता है जिससे पैदावार गिरती चली जा रही है जब किसान को पता लग जाय कि हमारी भूमि हमसे जाने वाली है तो कौन ऐसा भकुआ होगा तो उसमें भर्ती लगायेगा। जिस तरह से किसी को पता लग जाय कि उसकी बीबी उसको छोड़कर चली जाने वाली है तो वह उसके लिये जेवर कभी नहीं बनवायेगा क्योंकि उसे बराबर डर लगा रहेगा कि न मालूम वह कब जेवर लेकर चली जाय। उसी तरह से आज लोग परेशान हैं।

माननीय गेंदासिंह जी ने तो यहां तक कह दिया और मैं समझता हूं कि उनका कहना उचित है उन्होंने कह दिया कि इधर की बेंचों पर बैठने वाले जो स्वत्रतंत्र पार्टी के लोग हैं वे टाटा, बिड़ला और डालमिया का मुकाबला करना चाहते हैं और शहरों के ऊंचे लोगों को देख रहे हैं। तो श्रीमन् यह कौन सा बेजा काम है, हर आदमी अपनी तरक्की की तरफ देखता है, मैं समझ नहीं पाता। लेकिन स्पष्टरूप से उन्होंने अपनी विमति टिप्पणी में भी लिख दिया कि जिस दिन थोड़ी सी मुट्ठी भर शहर वालों का मुकाबला गांव वाले करने लगेंगे तो सब जगह अन्धकारमय हो जायगा। सारे देश में अन्धकार छा जायगा। तो ऐसी बातें जो है वे उन्हीं के कहने पर शोभा दे सकती हैं मैं और क्या कहूं। लेकिन एक बात निश्चित है। आज हम इस आदरणीय सदन के जितने माननीय सदस्य यहां बैठे हुये हैं, हम लोगों को इस खेती के भविष्य को निश्चित रूप से तय कर लेना है कि आया हमारा क्या कदम होगा, रात दिन इसके साथ खिलवाड़ होगा या कुछ फैसला होगा।

एक बात निश्चित रूप से जब प्लानिंग कमीशन ने मान लिया है जिसके अनुसार कि शुक्ल जी ने बतलाया कि १२० रुपये एकड़ फायदा हो सकता है किसी ने बतलाया कि ७५ रुपये एकड़ फायदा हो सकता है और ७५ रुपये एकड़ ही फायदा जोड़ कर आज तक हम लोगों से एग्री-कल्चरल इनकम टैक्स वसूल किया गया और यही माना जायगा। लेकिन अब मुमकिन है कि बढ़ गया हो, हम कह नहीं सकते। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ओर जिनका चित्र आपके ऊपर लगा है। उन्होंने जब खद चर्खा चलाया

[श्री बल्देवसिंह]

तभी लोगों से कहा कि चलाइये। खुद लगोंटी पहनी तब लोगों से कहा कि सादा रहो और जब खुद कम खाने लगे तो लोगों से कहा कि ऐसा काम करो। अपने ऊपर जितना नियंत्रण बरता वही सलाह दूसरों को दी। मैं मंत्रियों का मुकाबला नहीं करता, लेकिन जो सेवक हैं, जो उन मालिकों के गांवों का वोट लेकर आये हैं, वह उनके भविष्य का फैसला, माननीय भीखालाल जी १४ रुपये महीने का, गेंदासिंह जी ३० रुपये महीने का और सरकार ६० रुपये महीने का करना चाहती है। और खुद २०० रुपये ले रहे हैं। तो मैं सब भाइयों से कहना चाहता हूं कि न्यायोचित ढंग से इस बात को सोचें कि क्या हमें ऐसा अधिकार है कि हम तो अधिक लेते रहें, लेकिन दूसरों के ऊपर प्रतिबन्ध लगायें। और इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, जैसा कि गेंदा सिंह जी ने कह दिया कि इसमें ज्यादा समय नष्ट करना तो बालू से तेल निकलना है, और बालू से तेल निकलेगा नहीं, इसलिये विवाद बन्द किया जाय। सीलिंग के सिद्धांत को न मानते हुये भी मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर कोई विचार करना है और आप यहां बैठे हैं और आप उचित समझते हैं कि सीलिंग हो, तो जो बात कुंवर श्रीपालसिंह ने कही है उसको मान लें।

दूसरे लोगों ने पता नहीं किस हिसाब से कहा, मैं नहीं कह सकता, लेकिन चारों तरफ से आवाज आई कि २० कर दें, १२ कर दें। तो यह घुड़दौड़ की रेस है। लोगों ने सोचा कि कैसे वोट हासिल करेंगे। थोड़े खेत वाले ज्यादा हैं, सोचा कि उनसे कहेंगे कि हमने तो कम ही कहा था, लेकिन उन्होंने माना नहीं। दूसरा सुझाव सरकार को प्रत्यक्ष रूप से दिया गया है कि ८० लाख एकड़ कल्चरेबिल लैंड पड़ी है और इस सीलिंग के करने से महज ३ लाख एकड़ जमीन आपको मिलेगी आपके डेटा के हिसाब से, और ९ करोड़ रुपया कम्पन्शेशन देना होगा। इस ९ करोड़ रुपये को खर्च करके चाहें तो ९ लाख एकड़ भूमि बनाकर दे सकते हैं। लेकिन महज इसलिये कि गांव में कोई रफेदपोश न रह जाय, ६० रुपये से अधिक इनकम वाला न रह जाय, उसके लिये यह बिल लाया गया है, वरना इससे कोई लाभ नहीं है।

मैं तो निहायत नम्रता से निवेदन करूंगा कि इन सब चीजों को देखते हुये और औचित्य के प्रश्न को देखते हुए, यह सोचना चाहिये कि हम को यह लाजमी है या नहीं कि हम यहां बैठकर अधिक तनख्वाह लें और जिनके वोट पर आये हैं उन ८० फीसदी गांव वालों की इनकम के लिये यह तय करें कि ६० रुपये से अधिक न हो। यह न उचित है और न इसको मानना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को वापस ले लें और जो तमाम बंजर भूमि पड़ी है उसको इस ९ करोड़ रुपये से बनाकर बांटे जिससे देश की समृद्धि हो।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—किसी को विरोध है इसमें ?

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—काफी महत्वपूर्ण संशोधन है, हमको बोलने का अवसर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री भीखालाल से) अभी आपका यह प्रस्ताव नहीं लिया जायगा।

***श्री राजदेव उपाध्याय** (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय भगवती-सिंह विशारद जी का जो संशोधन है मैं इसका विरोध करता हूं। अभी माननीय गेंदासिंह जी ने संविधान का हवाला दिया और कुछ उद्धरण भी पढ़ा। लेकिन वह भूल जाते हैं कि ४० एकड़ वाला जो मूल प्रस्ताव रखा गया है वह बहुत सोच समझ कर रखा गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अभी पूर्वी अंचल के माननीय सदस्य ने देखा होगा सारे जिले में इस समय अकाल की छाया है, फसल सूख रही है और सरकार ने जो ३,६०० रु० का आंकड़ा लगाया है वह किस बेसिस पर रखा गया है, जरा मैं जानना चाहता हूं ? एक वर्ग इस देश में था जो सम्पन्न था, लेकिन अगर उस वर्ग की तरफ हम न देखें, एक मध्यम क्लाज पर विचार करें तब भी ४० एकड़ जो जमीन दी जा रही है वह कोई ज्यादा नहीं है इसलिये कि अगर प्रकृति ने साथ नहीं दिया, अच्छी खाद नहीं डाली, पानी का प्रबन्ध उचित नहीं रहा और एक खानदान में जिसमें ४,५ सदस्य हों और कोई नौकर पेशा भी नहीं है तो उस खानदान के लोग भूखों मरेंगे। अगर प्रकृति ने साथ दिया, अच्छी खाद मिली, तब तो ३,६०० रुपये की आमदनी होगी। सरकार ने जो बिल रखा है वह हर वर्ग के लिए सोचकर विचार कर ४० एकड़ रखा है।

आपने असमानता की बात कही कि उसे मिटाना जरूरी है। बहुत ठीक है। लेकिन अगर बराबर-बराबर जमीन का बटवारा कर दिया जाय तो ८,१० गट्ठा जमीन एक आदमी पर पड़ेगी जिससे किसी की गुजर नहीं हो सकती। जमीन से अकेले असमानता, अशिक्षा, भुखमरी बेकारी हल होने वाली नहीं है। उसके लिये हमको वैज्ञानिक तरीके से सोचना होगा ताकि गरीबी तथा भुखमरी हल हो सके। कोई १३ रु० महीना आमदनी की बात करता है, कोई ६० रु० कोई ७५ रु० की बात करता है। लेकिन अगर प्रकृति साथ देगी तब तो काम चलेगा अन्यथा परिवार को संकटों का मुकाबला करना पड़ेगा। हम लोग २०० रु० लेते हैं, कोई १५०० रु० लेता है एक इंजीनियर ४,००० रु० लेता है, उनके बच्चे शहरों में आराम से रहते हैं लेकिन किसान जिसके ऊपर समाज की सारी बुनियाद है उसकी हालत सबसे खराब है। मेरे पास ४० एकड़ से कम जमीन है, पारसाल २२ बीघे धान बोया था, सूखा आया नतीजा यह हुआ कि बीज तक वापस नहीं हुआ।

बहुत से आदमी इसमें ऐसे हैं जो कभी जमींदार रह चुके हैं लेकिन मैं कभी जमींदार नहीं रहा। मैं मामूली काश्तकार हूं लेकिन भुक्तभोगी हूं। मैं निवेदन करूंगा कि ४० एकड़ की बात जो कही जा रही है वह ठीक कही जा रही है। मैं अपने मित्रों से कहूंगा कि वे प्रदेश के भविष्य तथा किसानों के भविष्य के संबंध में सोच समझ कर कदम उठायें। नेतागीरी बहुत सस्ती हो चुकी है। कहा जाता कि एक किसान अपने मजदूर को ४ रुपया, २ रुपया दे। मैं पूछना चाहता हूं कि वह कैसे दे सकता है अपने मजदूर को ४ रुपया और २ रुपया। ४० एकड़ जमीन जो दी जा रही है वह सोच समझ कर दी जा रही है। अभी विषमता की बहुत बड़ी श्रेणी हमारे प्रदेश में बाकी है और सरकार इन विषमताओं को दूर करने के लिये पूरी-पूरी कोशिश कर रही है। ४० एकड़ वाला किसान अगर चाहता है कि उसका लड़का पढ़े, सम्मानित हो तो वह ऐसा कर सकता है लेकिन नीचे करने के मानी यह हैं कि उसके यहां जो खेती करने की परिपाटी है वह बदल जायगी। वह सोचेगा कि जो अच्छी आमदनी वाले है, बड़े-बड़े पैसे वाले हैं उनकी वह नकल करे। वह भी खेती छोड़ देगा और खेती छोड़ने का परिणाम यह होगा कि प्रदेश के सामने अन्न का संकट होगा ।

छोटी-छोटी खेती करने वालों की आज हालत यह है कि उनके परिवार के लिये ही अन्न पैदा नहीं होता। लेकिन जो ३०, ४० एकड़ वाले हैं वे इतना अन्न पैदा करते हैं कि अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें और अन्न संकट भी वक्त जरूरत पर दूर कर सकें। लिहाजा बड़ी गंभीर समस्या है। इस समस्या पर हमारे विरोधी दल के सदस्य, कम्युनिस्ट भाई जरा सोच समझ कर कदम उठायें। यह प्रदेश के किसान का सवाल है। प्रदेश की गरीबी की समस्या हमारे सामने है । इसलिये मैं मूल प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं और जितने संशोधन आये है उनका विरोध करता हूं।

*श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं भजनलाल जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। जो बहस हो रही है कि ४० एकड़ अधिकतम जोत मानी जाय या ३० एकड़,

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री रूर्मासिह]

तो मेरा भी यह खयाल है कि २० एकड़ रखी जाय और सीमा बन्दी के सिद्धान्त को तो सभी लोगों ने मान लिया है । कांग्रेस तथा सभी पार्टियां कहती हैं इस बात को । माननीय शुक्ल जी ने तशरीह की है कि साढ़े १२ एकड़, २० एकड़ तथा ४० एकड़ पर कितनी इनकम हो सकती है ? ज्यादा से ज्यादा उन्होंने ६० रुपये प्रति मास बताया है । तो मैं शुक्ल जी से यह पूछना चाहता हूं कि साढ़े १२, एकड़, २० एकड़ और ४० एकड़ का हिसाब उन्होंने बताया, मेहरबानी करके वे यह भी बताते कि जिनके पास तीन एकड़, दो एकड़ और एक एकड़ जमीन है उनको कितनी आमदनी है । भूमि या संपत्ति कोई ईश्वर की देन तो है नहीं , यह तो समाज की देन है इसलिये हम और आप सब को, जिनको जनता ने यहां पर चुन कर भेजा है और मेरा खयाल है कि उन्हीं लोगों के वोट ज्यादा हैं जिनके पास जमीन नहीं है या बहुत कम जमीन है, यह महसूस करना चाहिये कि आज उनको मजदूरी तक नहीं मिलती है । मैंने शहरों में देखा है कि सैकड़ों की तादाद में लोग आ कर बैठे रहते है और १० बजे तक जब वे देखते है कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है तो अपने घरों को चले जाते हैं । यही हाल आज देहात में है कि हजारों आदमियों को आज वहां काम नहीं मिल पा रहा है और दूसरी तरफ कुछ लोग बड़ी-बड़ी जमीनों को घेरे बैठे हैं, तो उन गरीब लोगों का भला यहां बैठ कर हमें करना चाहिये ।

माननीय बलदेव सिंह जी ने कहा कि अगर २० एकड़ सीलिंग कर दी गयी तो बड़ी मुसीबत आ जायगी, अन्न की पैदावार घट जायगी । मेरा कहना यह है कि २० एकड़ की सीलिंग कर देने से यहां की जमीन जर्मनी, इंगलैन्ड या जापान तो चली नहीं जायगी, वह हमारे ही देश में रहेगी और आज जिनके पास भूमि नहीं हैं उनको मिलेगी । वे भी हमारा एहसान मानेंगे और देश की अन्न की पैदावार को बढ़ायेंगे । इसलिये हम और आप, सबको मिलकर २० एकड़ की हदबन्दी करनी चाहिये और फिर शहरों में जिनके पास लाखों की संपत्ति है उसकी तरफ भी हमारी तवज्जह जायगी ।

इस सम्बन्ध में सरकार को सब से बड़ा डर यह है कि आज वह पूंजीपतियों की गोद में बैठी हुई है और उसका हर प्रयत्न उनकी रक्षा के लिये होता है और इसीलिये उसका ख्याल है कि अगर हम इनको ज्यादा जमीन नहीं देंगे तो इनकी निगाह शहर के पूंजीपतियों की तरफ जायगी और फिर हम जिन सरमायेंदारों की रक्षा कर रहे हैं उनकी रक्षा नहीं हो सकेगी । इसके अलावा ज्यादा सीलिंग करने का एक कारण और भी है कि आज जिनके पास ज्यादा जमीन है उन्हीं के साथ ज्यादा लोग हैं और चूंकि सन् ६२ में चुनाव लड़ना है इसलिये इनको खुश रखो ताकि वोट ज्यादा मिल सकें । इसके साथ ही साथ एक कारण है यह भी है कि आज देहात की जनता में जो यह जागृति हुई कि कुछ लोगों के पास तो बहुत जमीन है और हमारे पास कुछ भी नहीं है इस भावना को खत्म करने के लिये भी हदबन्दी करने का यह एक तमाशा सरकार ने खड़ा कर दिया ताकि जो भूमि के बटवारे की इच्छा उनके मन में पैदा हुई थी वह खत्म हो जाय । इसलिये मैं आप सब लोगों से यह दरख्वास्त करूंगा कि हमको २० एकड़ की सीलिंग करनी चाहिये और फिर सरमायेदारी को खत्म करने पर जुटें और समाज में फैली हुई असमानता को दूर करें जिससे हमारा देश और प्रदेश सुखी होगा और पैदावार भी बढ़ेगी ।

इन शब्दों के साथ मैं २० एकड़ वाले संशोधन का समर्थन करता हूं और मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि प्रदेश में क्रान्ति की भावना को जगाये रखने के लिये वे इस संशोधन को मान लें ।

*श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश आशा भरी दृष्टि से हमारी ओर देख रहा है और हम एक बहुत ही क्रांन्तिकारी निर्णय करने की ओर अग्रसर हुये हैं । हमने बहुत पहले से यह वातावरण तैयार कर लिया था कि ३० एकड़ से अधिक भूमि किसी व्यक्ति के पास नहीं होगी । जिस समय यह बात की जा रही थी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उस समय हमारे परिवार की परिभाषा भी बदली हुई नहीं थी बल्कि स्पष्ट रूप से हम एक परिवार में वह सब आदमी गिनते थे जिनके लिये एक खाता था। इसको मानकर हम चलते थे। लेकिन समय बदला, प्लानिंग का काम चालू हुआ और प्लानिंग कमीशन ने कुछ निर्णय किये और उनके आधार पर हदबंदी की योजना चलाई गई और हमारी सरकार की ओर से ४० एकड़ की सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव पेश किया गया। यह सीमा अच्छी जमीन के लिये थी और अच्छी जमीन की परिभाषा यह रखी गई कि जिस जमीन का रेट लगान के हिसाब से ६ रुपये से अधिक हो वह अच्छी जमीन मानी जायगी। इसके नीचे के रेट की जमीन बुरी मानी जायगी। अब कितनी अच्छी जमीन है और कितनी बुरी जमीन अपने प्रदेश में है इसके आंकड़े बिल लाने से पूर्व जरूर देखे गये होंगे। इसी आधार पर जनता का लाभ देखकर यह ४० एकड़ की सीमा निर्धारित की गई है।

यह मैं जानता हूं कि जहां पर परमानेन्ट सेटिलमेंट है वहां पर जमीनों का रेट बहुत कम है। लेकिन लोगों के पास बहुत सी जमीन ऐसी है जो जमींदारों से ली गई थी और उनके खराब होने पर भी उनका रेट बहुत ज्यादा रखा गया था। लोगों ने जमींदारों की मर्जी से जो रेट मान लिये थे उसी आधार पर खातों का लगान मुकर्रर कर दिया गया। इस तरह से बहुत-सी ऐसी जमीन है जो खराब किस्म की है लेकिन उसका रेट बहुत ज्यादा चला आ रहा है और सरकार ने जो नियम बनाये थे उनके अनुसार यह निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता कि कितना लगान होना चाहिये। फिर हमारे मंत्रियों ने इन सब बातों को सोचा होगा और विचार करने के बाद ही यह ४० एकड़ की सीमा निर्धारित की होगी।

मैं समझता हूं कि जहां तक हम लोगों की आवश्यकताओं का सम्बन्ध है उस लिहाज से ४० एकड़ की जो सीमा रखी गई है वह ज्यादा नहीं कही जा सकती है। लेकिन मैं कहता हूं कि इसको निश्चित करते समय क्या यह देखना उचित नहीं होगा कि जो भूमि पर काबिज हैं, उनके हाथ में और भी व्यवसाय हैं या नहीं? जिन लोगों के हाथ में और व्यवसाय हैं और भूमि पर भी काबिज हैं, उनके लिये भी उसी हिसाब से सीमा निर्धारित की जाय, जो भूमि पर ही आश्रित रहने वालों के लिये की जाय तो यह न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता है।

एक आदमी रोजगार करता है, नौकरी में है और भूमि के एक बड़े भाग पर फार्म के रूप में कब्जा किये बैठा है, उसके लिये भी वही सीमा निर्धारित की जाय तो ठीक नहीं होगा। अगर इस तरह के लोगों की तालिका बनायी जाय तो थोड़े से लोग ऐसे होंगे जरूर जिनके हाथ में हमारे समाज का बहुत-सा आर्थिक साधन मौजूद हो चुका है। उन लोगों को ही सीमाबन्दी से कुछ नुकसान हो सकता है वरना और लोगों को नुकसान नहीं होगा। मैं अपने जिले को जानता हूं। १२ लाख की आबादी है। उसके भीतर एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिससे सरकार को जमीन निकालनी पड़े। तो यह बड़ी शान्तिपूर्ण क्रान्ति कही जायगी। किसी को भी तकलीफ नहीं होगी। किसी को कष्ट पहुंचाने की आवश्यकता सरकार को नहीं पड़गी। हो सकता है कि कुछ थोड़े से राजा महाराजा या पश्चिमी जिलों में जहां पर ज्यादा जमीन है, जहां पर सरकार हजारों एकड़ जमीन ले कर बांट रही है, वहां पर लोगों की जमीन छीननी पड़े या जहां पर जंगल वगैरह हैं, जहां पर लोगों ने ज्यादा जमीन जोत ली है, उनकी थोड़ी जमीनें निकलें। वरना मुझे ऐसा नहीं लगता कि पूर्वी जिलों में कहीं किसी को तकलीफ दी जाय।

यह सही है कि यह योजना जनता को सुख पहुंचाने के लिये है। लेकिन जनता को सुख नहीं पहुंच सकेगा जिस जनता के लिये सीमाबन्दी करने की चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन किसी को दुख पहुंचा कर सुख पहुंचाने की चेष्टा करना भी उचित नहीं है। भारतीय संस्कृति के खिलाफ ही होगा। इस लिये जो भी सीमाबन्दी का निर्णय सरकार की ओर से किया गया है तमाम पहलुओं पर अच्छी तरह से विचार करने के बाद जान पड़ता है कि ठीक ही है। वैसे यह क्लास इंटरेस्ट का युग है। सारा समाज वर्गों में बटा हुआ है। जिस वर्ग की जनसंख्या अधिक होती है उस वर्ग के स्वार्थों की रक्षा ज्यादा होगी। जो किसान बिना भूमि के थे,

[श्री रामलक्षण तिवारी]

या जिनको यह आशा थी कि सीमाबन्दी के बाद गांव-गांव में बहुत सारी जमीनें निकलेंगी और उसको भी कुछ जमीन मिल सकेगी, जिस आदमी को यह आशा थी कि हम भी उस परिधि में बराबर के हिस्सेदार हो जायेंगे, उन लोगों को गहरी निराशा होगी। उन लोगों को कहीं कुछ मिलने की गुंजायश नहीं होती है। अगर कुछ जमीन निकलेगी भी तो उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति न हो कर सहकारी भूमि घोषित कर दी जायगी। तो इससे अच्छा वह रहता कि सारे प्रदेश की सारी भूमि सरकार की हो गयी होती और सब पर सबका अधिकार घोषित कर दिया गया होता जिससे रोज व रोज हमारे सामने कठिनाइयां प्रस्तुत न होतीं।

लोगों ने कहा कि आज उत्पादन में वृद्धि इस लिये नहीं होती है क्योंकि भूमि पर काम करने वाले को आज यह विश्वास नहीं है कि जिस भूमि पर वह काम कर रहा है वह भूमि उसके कब्जे में रहेगी या नहीं। यह बात बिल्कुल सत्य है। प्रदेश के अन्दर एक कानून बना था वह एक मौलिक सिद्धान्त की पृष्ठभूमि पर बना था कि जो खेत को जोते बोये, उसे ही उसका स्वामी होने का अधिकार है। इस सिद्धान्त के अनुसार यह तय किया गया कि जिस खेत पर जो काबिज होगा वह उसका मालिक माना जायगा। उसका यह दुष्परिणाम हुआ कि कोई गांव ऐसा नहीं जिसमें झगड़े न हों मुकदमे बाजी न हो रही हो। जो भी भूमि सम्बन्धी कानून विगत वर्षों में पास हुए हैं लोग उन पर हमारी बाहर हंसी उड़ाते हैं। यह बात सही है कि जनता तबाह हो रही है। मुकदमे लड़ते-लड़ते कितने ही खान्दान तबाह हो गये। जिन लोगों को हम लाभ पहुंचाना चाहे उनको लाभ नहीं पहुंचा सके। दूसरे लोगों को लाभ पहुंचा और जो लोग वकील पेशा थे उन लोगों को बहुत काफी लाभ हुआ। हर कानून से उन्हें लाभ पहुंचा और इस कानून से भी सम्भव है कुछ लाभ पहुंचे।

जितने अधिक कानून हम बनाते हैं उतनी ही अधिक मुकदमे बाजी बढ़ती जाती है और जो मुकदमे खत्म करने का नारा हमने आज से पहले लगाया था कि एक समय होगा कि स्वराज्य होने पर इन कचेहरियों में सियार बोलेगा, कोई आदमी नहीं दिखाई देगा, आज उन कचेहरियों में आदमियों का तांता लगा हुआ है। मुकदमों में लोगों को परेशान किया जा रहा है। वर्षों तक किसी का नाम नहीं दर्ज होता खेतों पर, वर्षों तक किसी का निश्चय नहीं हो पाता कि इस जमीन पर कौन काबिज है। एक बार एक मैजिस्ट्रेट एक फैसला करता है, दूसरी बार दूसरा मैजिस्ट्रेट आकर कुछ और फैसला कर देता है। इस तरीके से मुझे बहुत ही असन्तुष्ट होकर के आज सदन के बीच इस बात को कहना पड़ता है। मैं बहुत दुखी हूं और इस कारण से दुखी हूं कि मैं उस जमात में से हूं जिस जमात को यह कानून बनाने का दायित्व दिया गया है और इस दायित्व को जब उनके जिम्मे सौंपा गया है तो मुझे यह कहने का पूरा पूरा अधिकार है कि वह लोग अपने अपने दायित्व को ठीक से निबाहने में जनता की तकलीफों को भी देखते।

सीलिंग का कानून बनाते समय हमको देखना चाहिये था कि उत्तर प्रदेश की आबादी में कितने लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर हमारी सीलिंग से असर पड़ेगा। अगर थोड़े से लोगों के ऊपर असर पड़ने से अधिक लोगों को लाभ पहुंच सकता है तो नियम यही है दुनिया का, धर्म का और नीति का कि अधिक से अधिक लोगों को सुख पहुंचाने वाला काम ही हमारे लिये उचित है और न्यायसंगत है। अधिक से अधिक लोगों का हित जिसमें हो उस काम को करने के लिये हमने जो किया है वह उचित है, इसको हम तो नहीं कस पाये हैं, लेकिन हमारे मन्त्रिगण जरूर ही कसे होंगे। हरएक पार्टी के सामने एक राजनैतिक दृष्टिकोण भी हुआ करता है। एक सज्जन ने कहा कि वोट के लिये ऐसा किया जा रहा है लेकिन दुर्भायवश अगर वोट के लिये ऐसा किया गया होता तो ४० एकड़ और ५० एकड़ की सीलिंग रखने की बात न की गई होती। बात वह की गई होती जिससे ८० प्रतिशत किसानों के भीतर जो बिना भूमि के लोग हैं उनको हम कुछ दे पाये होते और उनसे हम अधिक से अधिक लाभ लेने की चेष्टा करते। लेकिन यहां पर आज मानवता के सिद्धान्त की दुहाई दी जा रही है, आदर्श की और दूसरे चीजों की दुहाई दी जा रही है। कहा जाता है कि हमारा आदर्श ऐसा होना चाहिये कि किसी का तकलीफ

न पहुंचे । हम किसी को सुखी करें लेकिन किसी को दुखी न करें । यह सोचकर के हमें सब कानून बनाने चाहिये । भले ही दस आदमियों को सुखी करने के लिये हम ९० आदमियों को सुखी न कर पायें । अगर वोट का खयाल सामने रहा होता तो जो पहले कानून बनाये गए थे जिसमें कितने ही गांव बरबाद हो गए, उन किसानों की जमीनों पर शिकमी का कानून कभी बनाया न गया होता । नैतिक दृष्टि से मैंने उन कानूनों को अनैतिक कहा था ।

मैंने कहा था कि जनता के भीतर पारस्परिक समझौते को और उसके अन्दर के सम्मान और आदर को इस कानून के द्वारा नष्ट कर दिया गया । आज मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है, खेती नहीं है, हमारे लड़के मारे-मारे फिर रहे हैं । हम जाते हैं किसी भूमि वाले के पास और कहते हैं कि तुम्हारे पास दस बीघा जमीन है, तुम दो बीघा मुझे भी दे दो। जिससे मैं भी अपने बाल-बच्चों की रक्षा कर सकूं तो एक युग था जब वह खुशी से दो बीघा जमीन दे देता था और उसमें काम करके वह अपना तथा अपन बच्चों का जीवनयापन किसी तरह कर लेता था लेकिन आज यह स्थिति है कि गंगा के किनारे हम लोग बसे हुये हैं। हमारी सारी भूमि गंगा में विलीन हो गई । घाघरा के किनारे के लोगों की जमीन विलीन हो गई, चारों तरफ केवल रेत और पानी ही दिखाई दे रहा है । वह लोग अगर कहीं जाते हैं और किसी से भूमि मांगते हैं तो कोई एक धूर भी जमीन देने के लिये तैयार नहीं हैं । आज उनके लिये कोई व्यवसाय नहीं रहा, कोई नौकरी नहीं रही, केवल इस कानून के भय से कि शिकमी लग जायगी हरगिज हरगिज कोई जमीन देने को तैयार नहीं होता ।

हजारों परिवार आज भूखे मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, जो पारस्परिक समझौते की चीज थी उसको आज समाज से खत्म कर दिया गया है । जिस सहयोग से हमारा समाज चल रहा था उस सहयोग को खत्म करके आज इतना विद्वेष पैदा कर दिया गया है कि गांव गांव में इसको लेकर जो लड़ाइयां हैं उससे कोई तबका खुश हुआ ? अगर वोट लेना रहता तो उस कानून को यहां हरगिज पास न किये होते । उससे मध्यम वर्ग लाभान्वित हुआ और उस मध्यमवर्ग के बल पर यहां पर हुकूमत चल रही है । यदि मध्यमवर्ग के सामने कोई दूसरी पार्टी कांग्रेस से अधिक क्रान्तिकारी रहती तो वह कभी भी कांग्रेस के साथ न रहता लेकिन जनता देखती है कि कम्युनिस्ट पार्टी का क्या प्रोग्राम है और वह यह भी जानती है कि सोशलिस्ट पार्टी गरम बातें करती है । वहां वह नहीं गई । उसने समझा कि कांग्रेस के साथ रहना अधिक अच्छा है । इसलिये भगवान् के नाम पर यहीं वह रहती है और हमको और आपको विवश होकर वोट देती है। हम और आप उसके प्रतिनिधि होकर यहां पर आये हैं और उनके हितों को धक्का पहुंचाते हैं । यह उनके लाभ के लिये नहीं बल्कि अपने लाभ के लिये यहां पर इस प्रकार की बात की जाती है ।

जो भी कानून बने वह जनता के लाभ के लिये बनना चाहिये । मैं नहीं समझता कि यह सीलिंग का कानून जो यहां पर बनाया जा रहा है उससे कितना लाभ जनता का होगा और कितने लोगों का अहित होगा । चिल्लाहट बहुत है कि इससे हमारा बहुत नुकसान हो जायगा । हो सकता है कि कुछ राजा महाराजे या भूमिवाले लोग घबरा रहे हों लेकिन वह घबराहट दिखाने के लिये है, उसके भीतर कोई दम नहीं है । मैं जानता हूं कि जिस प्रकार से बहस के साथ यह कानून बन रहा है और जिस तरह से इसके ऊपर बात होती है उसमें आपके स्वार्थ में और हमारे स्वार्थ में कोई अन्तर नहीं है । आप भी और हम भी जनता को लाभ पहुंचाना चाहते हैं । जो पक्ष इसकी मुखालफत कर रहा है वह अच्छी तरह से समझ रहा है कि जो कुछ हो रहा है वह ठीक हो रहा है। वह भी केवल इसलिये विरोध कर रहा है कि हम जनता को दिखावे कि हम भी २० एकड़ और ३० एकड़ चाहते थे लेकिन आमतौर पर जितने लोग भी यहां पर बैठे हुये हैं उनमें अगर कोई भूमिहीन किसानों का स्पोक्समैन रहता तब पता चलता कि वे क्या चाहते हैं । जितने लोग यहां पर बैठे हुये हैं अपने हित की बात यहां रख रहे हैं । इस वजह से यह कहना कि वह बहुत न्याय और सच्चाई की बात यहां पर रख रहे हैं मैं इसको नहीं मानता हूं ।

[श्री रामलक्षण तिवारी]

आज दुनिया की सारी हुकूमतें कर्ज के द्वारा संचालित हो रही हैं। उनकी पार्टी, जिसकी हुकूमत बनी हुई है, उसके आधार पर सारा काम हो रहा है। जितने सिद्धान्त प्रतिपादित किये जाते हैं उन सिद्धान्तों के पीछे भूमिहीन तबका रखा गया है चाहे वह प्रकटरूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। फिर भी मैं समझता हूं कि जो कुछ हो रहा है वही होगा। जब तक जनता के अन्दर कान्शेसनेस नहीं आयेगी तब तक वह अपने आप खड़ी नहीं होगी। जनता के अन्दर कांशेसनेस का आना केवल समय की बात है और समय का प्रश्न है। इसलिये जो कुछ सरकार की ओर से पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि विरोधी भाई समय की प्रगति को देखते हुये अपने संशोधन को वापस ले लेंगे और जो कुछ हो रहा है उसको जल्द से जल्द हो जाने देंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्,. . . .

श्री मुकुट विहारीलाल अग्रवाल (जिला बाराबंकी)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—अब तो मैं रामसुन्दर पांडेय जी को बोलने के लिये बुला चुका हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, मैं अपने साथी श्री भगवती सिंह विशारद के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जो धारा सरकार की ओर से प्रस्तुत है और उन माननीय सदस्यों ने जो संशोधन दिये हैं, उन पर विचार किया जाय तो मेरे ऐसे आदमी के दिल में यह बात बैठती है कि यह सरकार की ओर से जो यह धारा मूल विधेयक में जोड़ी गई है वह इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों के विपरीत है। इसके उद्देश्य और कारण में स्पष्ट कहा गया है कि खेतिहर मजदूरों और दुर्बल वर्ग के लोगों की सहायता करने के लिये यह विधेयक लाया गया है।

श्रीमन्, आप को याद होगा कि जब गलत इंदराज दुरुस्त करने के लिये एक कानून इस असेम्बली में पेश किया गया था उस समय माननीय चरण सिंह जी ने कहा था कि अकिंचन लोगों को सहायता के लिये इस प्रकार का संशोधन लाया गया है और माननीय वीरेन्द्र शाह जी की आपत्ति पर, जो इस समय सदन में मौजूद नहीं हैं, कि इस बिल के लाने का उद्देश्य क्या है, इस प्रदेश में कितनी ऐसी शिकायतें आयी हैं कि बड़े लोगों ने छोटे किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया है और सरकारी कागजों में उनका इंदराज नहीं होने देते, सरकार की ओर से एक बुलेटिन बांटी गयी थी जो आप के सामने भी पड़ी होगी और उसमें सरकार ने बतलाया था कि इन इन माननीय सदस्यों की ओर से शिकायतें आयी हैं और यह स्थिति है। मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि उधर के बैठने वाले जो स्वतंत्र पार्टी के लोग हैं और बराबर गरीब जनता और ग्रामीण जनता की दुहाई देते रहते हैं वह कितने पानी में हैं और उनके कहने में कितनी सच्चाई है यह मैं देखना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप के पास भी एक बुलेटिन आई होगी जो उनकी ओर से छपती है। उसका नाम है गांव की पुकार। उसे मैं बड़े यत्न से अपनी फाइल में रखता हूं। उसे आज उठा कर लाया हूं इसलिये कि उसमें एक बड़ी लम्बी कविता छपी है "झोपड़ियों की ओर चलो"। परसों श्रीपाल जी ने आक्षेप किया था कि इस पार्टी के लोगों का यकीदा किसी प्रकार चुनाव जीतने का है। गांव की पुकार में जो झोंपड़ियों की ओर चलने की पुकार लगायी गयी है वह किसके लिये है? यह क्या है? मैं इसके आगे बढ़ना चाहता हूं। राजदेव जी, सौभाग्य से सदन में हैं उन की बात सुन कर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। उनकी ओर से दलील दी गयी कि हम भी एक किसान हैं और ४० बीघा धान हमने पार साल बोया था और उसमें बहुत कम हुआ. . . .

श्री राजदेव उपाध्याय—मैंने २२ कहा था ४० नहीं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—खैर २२ ही सही, लेकिन मैं समझता हूं कि २२ बीघा धान बोने के बाद भी उन के पास दूसरी फसल बोने के लिये जमीन होगी। यह मेरा आक्षेप है कि सरकार के लोग भूल भटक कर ही सही बात इस हाउस में कह दिया करते हैं और वे लोग सही मानों में जमीन का बंटवारा नहीं चाहते। श्रीमन् को याद होगा कि जब १९५२ में हम लोग पहले पहल चुन कर इस हाउस में आये थे और आप हमारी पार्टी के उपनेता थे उस समय इस पार्टी की ओर से जमीन के बटवारे का प्रश्न उठाया गया था और उस समय माननीय गोविन्द बल्लभ पंत जी ने, जो सदन के नेता थे, कहा था कि प्रजा समाजवादी पार्टी के लोग जमीन को रबड़ समझते हैं। जमीन रबड़ नहीं है और इसलिये बांटी नहीं जा सकती और उससे समस्या का हल होने वाला नहीं है। माननीय चौधरी चरण सिंह जी आज सरकारी कुर्सियों पर विराजमान नहीं हैं, लेकिन उनकी दलील यही रही है कि जमीन का बटवारा नहीं होना चाहिये। आज मैं फिर कहता हूं कि उधर से जो यह जमीन के बटवारे का सवाल लाया गया है यह गलत कल्पना है, लेकिन यह पूर्व की ओर चलने की दिशा में एक कदम है। शायद एक ऐसा समय आये कि जो सरकारी दल के लोग जमीन के बटवारे के नाम पर चिल्लाते थे और जो आज उसकी शक्ति महसूस कर रहे हैं, वे उसके पीछे छिपी जनता की ताकत का अंदाजा लगा सकें और एक दिन जनता अवश्य ही इतनी मजबूत होगी कि उधर के लोगों को मजबूर हो कर श्री भगवती सिंह जी विशारद का २० एकड़ वाला प्रस्ताव लाना पड़ेगा। मैं इस बात को मानने के लिये कतई तैयार नहीं हूं कि ४० एकड़ जमीन देने से भूमि की समस्या का हल हो जावेगी।

श्रीमन्, उस समय जब कि यह विधेयक इस हाउस में आया था, २६ लाख एकड़ जमीन प्राप्त होने की आशा की गयी थी। मैं आज पूछना चाहता हूं, क्या माननीय मंत्री जी आज यह कहने के लिये तैयार हैं कि इस संशोधन के रखने के बाद, इस विधेयक की जो रूप-रेखा रखी गयी है इसको देखने के बाद, क्या आप को २६ लाख एकड़ भूमि मिल सकेगी? मुझे विश्वास है २६ लाख एकड़ की बात तो दूर रही, आप को ४,५ लाख एकड़ भी मुश्किल से मिल पायेगी। आप इस विधेयक को लाकर भूमिहीनों की जिस समस्या को हल करना चाहते हैं, वह इससे हल होने वाली नहीं है। मैं आप के जरिये से इस हाउस को बताना चाहता हूं कि इस बिल को पास करने के पहले, जो संशोधन यहां पर आया है, आप इस पर गम्भीरता के साथ विचार करें। आज जो पूर्वी जिले हैं, बलिया, आजमगढ़ गोरखपुर, बस्ती, जौनपुर वगैरह। जिनकी आबादी बहुत ज्यादा है, जहां के बारे में सरकार के पास आंकड़े हैं कि वहां पर ३३ प्रतिशत खेतिहर मजदूर बसते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप जो सीलिंग मुकर्रर करने जा रहे हैं उससे वहां के खेतिहर मजदूरों को कुछ जमीन दे सकेंगे। वहां पर जो २६ लाख की तादाद में खेतिहर मजदूर हैं क्या उनको आप कुछ जमीन दे पायेंगे? वही मिसाल होगी, "खोदा पहाड़ निकली चुहिया।" इसलिये अगर सरकार प्रदेश की बेकारी और ग़रीबी को दूर करना चाहती है, भूमिहीनों को भूमि देना चाहती है, तो उसे इस पर बड़ी गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये।

श्रीमन्, आप देखें कि जहां पर इसमें उद्देश्य और कारणों में यह लिखा है कि उसका उद्देश्य भूमिहीनों को भूमि देना है वहां अमल में यह देखने में आ रहा है कि इस सरकार का उद्देश्य यह है कि बड़े लोगों की जमीन को किस प्रकार बचाया जा सके और किस प्रकार कम से कम छीना जा सके।

श्रीमन्, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमको इस बात पर भी गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये कि जमीन किस प्रकार की है। इस ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो मेरा ख्याल है कि जो जमीन की हदबन्दी का एक निश्चित पैमाना माना गया है उससे जमीन ज्यादा उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनके पास जमीन अधिक है। माननीय रामलक्षण जी ने जो कहा कि आज जो मालगुजारी है वह भिन्न-भिन्न है और एक ही

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

गांव में बसने वालों की मालगुजारी, कहीं कुछ है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है । ऐसी सूरत में, मैं समझता हूं कि आप जिस समस्या का हल करना चाहते हैं, वास्तव में उसको हल करने का आपका इरादा नहीं है ।

आपके प्रदेश में करीब ३६ लाख खेतिहर मजदूर हैं। ३६ लाख मजदूरों को आप काम देना चाहते हैं और साथ ही साथ गल्ले की समस्या को हल करना चाहते हैं तो यह ४० एकड़ रखकर यह समस्या हल होने वाली नहीं है । आप तो स्वंय जानते हैं कि इस प्रदेश में गलत इन्दराज हैं । आज जबकि चकबन्दी हो रही है तो ५० फीसदी, ७५ फीसदी गलत इन्दराज रेकार्ड्स में हैं और उसी की बिना पर आप सीलिंग मुकर्रर करने जा रहे हैं । तो जमीन की सीलिंग इन रेकार्डर्स और पुरानी मालगुजारी पर हो जिसको हम और आप खराब कहते थे यह कहां तक उचित है ? चौधरी चरणसिंह भी कहा करते थे कि गलत इन्दराज नहीं हैं, मगर जब चकबन्दी शुरू हुई तो मुसाफिर खाना तहसील, सुल्तानपुर में मालूम हुआ कि ७५ फीसदी रेकार्ड्स गलत हैं । उसी तरह से माननीय हुकुम सिंह को कहना पड़ेगा । इस तरह से रोज रोज कानून असेम्बली में नहीं आने चाहिये ।

जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट बना, उसमें ३० एकड़ सीलिंग रखी गई । फिर चरणसिंह साहब ने साढ़े बारह एकड़ कर दी । अब माननीय हुकुमसिंह का बिल है उसमें ४० एकड़ है । कोई एक पैमाना होना चाहिये । आपने देखा होगा कि दिल्ली और राजस्थान में जहां सीलिंग बिल पास हो चुका है वहां ३० एकड़ सीलिंग है और यहां अच्छी जमीन की ४० एकड़ है । माननीय नन्दा जी ने बयान दिया है कि जो प्रदेश में सीलिंग मुकर्रर करने जा रहे हैं वह संतोषजनक नहीं है, इसलिये उधर के बैठने वालों को शान्तिपूर्वक विचार करके भगवती सिंह जी के संशोधन को स्वीकार करना चाहिये ।

*श्री सीताराम शुक्ल---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े ध्यान से मैं व्याख्यान को सुनता रहा और इस पर मेरी बोलने की इच्छा भी नहीं थी पहले ।

श्री उपाध्यक्ष---रहने दीजिये, मत बोलिये । क्या बात है ?

श्री सीताराम शुक्ल---ठीक है, आपने मेहरबानी की जो कहा कि इच्छा नहीं है तो मत बोलो । लेकिन मजबूर हो गया आज की स्पीचों से । अगर जवाब जिया गया होता तो मैं नहीं बोलता । इन्तजार करने के बाद भी जवाब नहीं दिया गया, लिहाजा खड़ा हो गया ।

तो सबसे पहले मैं श्रीपाल सिंह जी को धन्यवाद देता हूं कि जो वह ४८ एकड़ की चीज ले आये । उनको मेरे मित्र रामदास जी ने भी धन्यवाद दिया कि आज इतना तो हुआ कि जमींदार साहबान ४८ एकड़ तक आ गये । इस मामले में हम और यह लायक दोस्त एक राय हैं आपको धन्यवाद देने के लिये, लेकिन उनका धन्यवाद देने का कारण दूसरा है, मेरा दूसरा है । मेरा कारण यह है कि "सर्वनाशे समुत्पन्ने, अर्धत्यजति पंडितः" जब देखा जाता है कि सब जा रहा है तो बेवकूफ आदमी कहता है कि सब जाय तो जाय लेकिन होशियार आदमी उसमें से आधा बचा लेता है । एक देहाती मसल है कि "जहां देखो जात तो आधा लेओ बांट" । मैं उनको मुबारकबाद देता हूं ।

यह बिल जो आया, इस पर बोलने के पहले आप मुझे इजाजत देंगे कि माननीय मन्त्री जी से मैं अर्ज कर दूं आपके द्वारा कि एक साथ दो बातें नहीं होती हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---आप उपमन्त्री से भी कह सकते हैं ।

श्री सीताराम शुक्ल---मैं उनसे ही कह रहा हूं ।

"हजारों की किस्मत तेरे हाथ है,
अगर पास कर दे तो क्या बात है ?"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनाबेवाला, मेरी प्रार्थना है कि यहां पर जो नये लाउड स्पीकर लग रहे हैं वह लग चुके हैं, सारा प्रबन्ध हो गया है । अगर इन को चालू कर दिया जाय तो हाउस इनका फायदा उठाये । कभी-कभी ऐसे मौके आये, मसलन गेंदासिंह जी बोल रहे थे तो मैं उधर जाकर बैठा ताकि ध्यान से उनको सुन सकूं, क्योंकि वह बड़ा अच्छा बोलते हैं । अब अगर मैं वहां उठकर जाता हूं तो शिकायत होती है और नहीं जाता हूं तो सुन नहीं पाता । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इसको जल्द ठीक करवा दिया जाय ।

अब सीलिंग बिल जो आया है इसके सिलसिले में मुझे कांग्रेस से कोई शिकायत नहीं है क्योंकि स्वराज मिलने से पहले कुछ लोग कहा करते थे कि कांग्रेस के लीडर पूंजीपतियों के दोस्त हैं । मोटर और हवाई जहाज पर चलते हैं, बिरला हाउस में ठहरते हैं, हम ताकत में आयेंगे तो जमीन्दारी का नाश करेंगे । लेकिन जब किसान जागे तो कांग्रेस को जमीन्दारी खत्म करनी पड़ी और पूंजीपतियों पर हेवी टेक्स भी लगाना पड़ा और अब सीलिंग का बिल भी आया । इसका श्रेय लाल टोपी वालों को है । अगर देखा जाय तो कांग्रेस इसको नहीं लाना चाहती, लेकिन उसको अपनी कुर्सी का डर है । अपनी कुर्सी को बचाने के लिये वह यह बिल लाई है । अगर इस बिल से किसानों का फायदा हो तो मैं पहला आदमी हूंगा इसको सपोर्ट करने के लिये ।

एक सज्जन ने फर्माया था कि शुक्ल जी पुराने जमीन्दार थे उनकी रोजी चली गई । मैं बताना चाहता हूं कि सीलिंग से मेरी एक इंच भी जमीन नहीं जायगी । उस वक्त जब मैं खतरे में पड़ सकता था, मेरी जमीन्दारी जब्त हो सकती थी, तब मैंने परवाह नहीं की, मैंने कहा कि मुल्क को आजाद होना चाहिये । मैंने अपनी वाइफ से भी कहा कि जेल जाओ । तो हम सिर्फ इन्साफ के दोस्त हो सकते हैं, अगर इन्साफ काश्तकार के साथ है, तो हम काश्तकार के साथ हैं । अगर मुझे आज मालूम हो जाय कि इस बिल से पैदावार बढ़ सकती है, मेरे लायक दोस्त अगर मुझे समझा दें तो मेरी राय बदल सकती है, मैं आपका सपोर्टर हो जाऊंगा । मगर सिर्फ जलन से और बदला लेने की नीयत से कि इनके पास मोटर है, बंगला है, बगीचा है, आप किसी की चीज को छीनना चाहें तो आपकी यह दलील काफी नहीं है और मैं आपको सपोर्ट नहीं कर सकता । महज मोटर छिन जाने से और बंगला या बगीचा छिन जाने से गरीबी दूर हो जायगी, इसे आप समझा दीजिये तो मैं आपके साथ हो जाऊंगा । कुछ बड़े जमीन्दार जो पहले थे वह अब खेती कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं रह गया । उन्होंने बड़ी कोशिश करके उधार लेकर मेकेनाइज्ड फार्म खोले और अपने ट्यूबवेल लगवाये . .

श्री हुकुमसिंह विसेन—उपाध्यक्ष महोदय, सेलेक्ट कमेटी में जाने के बाद उसके प्रिंसिपुल्स का मान लिया जाता है, ऐसा समझा जाता है इसलिये क्या हमारे मित्र इस सीलिंग बिल का जो कि सेलेक्ट कमेटी से आया है, विरोध कर सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य प्रिंसिपुल्स का विरोध न करें, अमेंडमेन्ट पर ही बोलें ।

श्री सीताराम शुक्ल—मैं तो कुंवर श्रीपालसिंह जी की तरमीम को सपोर्ट कर रहा हूँ । इतना तो ज्ञान मुझे हो ही गया है कि सीलिंग बिल का विरोध नहीं हो सकता । मेरी गुजारिश है कि जो लोग मैकेनाज्ड फार्म रखे हुये हैं और मशीनों के जरिये से पैदावार करते हैं उनको तो कुछ लाभ भी होता है । लेकिन ऐसे आदमी बहुत थोड़े से हैं जिनके पास ट्रैक्टर्स हैं, ट्यूब-वेल्स हैं, और साधन हैं । लेकिन जो दूसरे जमीन्दार हैं या जो बड़े किसान हैं, उनके पास खेती तो काफी है, पैसा भी वे लगाते हैं लेकिन उनको लाभ नहीं हो रहा है । अब वह सोचता है कि अगर उस जमीन को काश्तकार को दे दें तो उसकी जमीन भी जाती रहेगी । बेचता है तो खरीदने वाला कोई नहीं है, बटाई पर दे सकता है नहीं, क्योंकि इस तरह से भी जमीन निकल जायगी । अब जो छोटा किसान है उसके पास ३–४–५ बीघा या १–२–३ एकड़ जमीन है, वह भी सख्त परेशान है । उसके पास शक्ति है, आदमी हैं, मेहनत वह कर सकता है लेकिन उसके पास जमीन नहीं है । बड़ी मेहनत करने के बाद भी उसको पेट भर नहीं मिल पाता है । देहात में उसको दूसरा काम भी मिलता नहीं है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कितनी सीलिंग चाहते हैं ।

श्री सीताराम शुक्ल—मैं तो इसी पर बोल रहा हूं कि सीलिंग से नुकसान होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाहते हैं । सीलिंग बता कर अपनी तकरीर कीजिये ।

श्री सीताराम शुक्ल--यह मेरी बदकिस्मती है कि मैं उनको समझा नहीं पा रहा हूं । मेरे कहने का मतलब यह है कि मिडिल क्लास का किसान और नीचे का किसान, सब परेशान हैं, हुजूरवाला इस सीलिंग को लगाने की वजह से । इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और कहता हूं कि कम से कम ४८ एकड़ रखिये । अगर आप इससे कम सीलिंग कर देंगे तो नतीजा यह होगा कि देहात से भले किस्म के लोग जो हैं वह चले जायंगे । वे लोग जिनके बारे में कहा जाता है कि ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम पाये जाते हैं जिनके पास अगर कोई याचक जाता है तो उनके मुंह से नहीं निकलती हो, जो अपने मुंह से कभी मांगते नहीं हैं । ऐसे लोग गांव छोड़ कर भाग जायेंगे और शहरों में आयेंगे । अब वह वहां क्या करेंगे, पाकिटमारी करेंगे, चोरी करेंगे क्योंकि काम तो वहां मिलेगा नहीं । यह आपकी कौन सी अकलमन्दी है कि आप उनको बी क्लास में रखें और जेलों की रक्षा के लिये कहें कि पुलिस की आवश्यकता है वह बढ़ा दी जाय । इस तरह से आप देहात को वीरान न कीजिये । दूसरी तरफ जिस किसान के पास ३ बीघा जमीन है, वह अगर बटाई पर देना चाहता तो निकल जाने की वजह से उसको बटाई पर दे नहीं सकता । इसलिये उसको बटाई पर दिये जाने का अख्तियार दे दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय शुक्ल जी, आप आम वाद-विवाद की बातें कर रहे हैं । इसको मैं मुनासिब नहीं समझता हूं । इसलिये आप जो संशोधन है उस पर बोलिये । आम वाद विवाद की तरह भाषण नहीं देने दिया जाएगा ।

श्री सीताराम शुक्ल--मेरी प्रार्थना यह है कि पैदावार कैसे बढ़े, सीलिंग इसीलिये की जा रही है, कोई दुश्मनी से नहीं । इस हाउस का हर मेम्बर कहता है.... ।

श्री उपाध्यक्ष--लेकिन आम विवाद की तरह आप न जाइये, जितनी बात आवश्यक समझें उतनी ही कहें ।

श्री सीताराम शुक्ल--मेरी गुजारिश है कि पैदावार कैसे बढ़ सकती है .. ।

श्री उपाध्यक्ष—लेकिन यहां पैदावार बढ़ाने का सवाल नहीं है । कितनी सीलिंग होनी चाहिय, इसी पर आप बोलें ।

श्री सीताराम शुक्ल--मेरी गुजारिश है कि सीलिंग न होने से लोग बेकार हो जायेंगे और पैदावार भी नहीं बढ़ेगी ... ।

श्री उपाध्यक्ष--बार-बार मना करने पर भी आप इसी पर जोर देते हैं ।

श्री सीताराम शुक्ल--अगर आप का हुक्म है तो मैं उसे छोड़ देता हूं । कुछ लोगों ने कहा कि इस सीलिंग से कोई फायदा नहीं है । इधर का भी कुछ लायक दोस्तों ने कहा कि इस से कोई फायदा नहीं है । आप को गौर करना होगा कि जब गवर्नमेन्ट की तरफ से प्रस्ताव पेश हुआ तो पूरी स्पीच में श्री रामलखन मिश्र और श्री जगदीश प्रसाद की तरफ से उसका अपोजीशन हुआ । मेरा तो अपना खयाल है कि सीलिंग से सभी का फायदा है । अगर सीलिंग रोक दी जाय तो सब गरीब हो जायेंगे, तरक्की रुक जायगी और जब सब गरीब हो जायेंगे तो चन्दा देने वाला कोई नहीं रहेगा जिससे आप एलेक्शन लड़ सकेंगे । इसलिये मेरा विचार है कि इस दृष्टि से भी सब को सीलिंग का सपोर्ट करना चाहिये और कुंवर श्रीपाल सिंह जी ने जो अपना संशोधन प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—अब जो प्रश्न उपस्थित किया गया है उसको मैं पहले ले लेता हूं। प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—(श्री भगवती सिंह विशारद से) मैं ज्यादा बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। जो प्रश्न उठाये गये हैं केवल उन्हीं का उत्तर मिलना चाहिये।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक प्रस्तुत है उसकी जिस धारा पर इस समय विचार हो रहा है वह धारा प्रस्तुत विधेयक का प्राण है। अगर इस धारा को उससे पृथक कर दिया जाय तो सारा का सारा विधेयक प्राणहीन, अर्थहीन हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय टीका राम जी, आप जो इस तरह से आते जाते हैं, यह नियम क विरुद्ध बात है। अगर आप को जाना है तो पीछे की तरफ से जाइये या उधर से घूमकर जाइये।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—मान लिया श्रीमन्, मान लिया।

श्री भगवती सिंह विशारद—इसके साथ ही साथ यह धारा रक्तवाहिनी का भी काम करती है। अगर इसको पृथक कर दिया जाय तो फिर शरीर रूपी विधेयक में रक्त किसी तरह से प्रवाहित नहीं हो सकता। इसलिये यह स्वभाविक था कि सदन के माननीय सदस्य और जो विभिन्न दलों से सम्बन्धित हैं, अपने दल की क्या नीति है उसको साफ रखकर अपना संशोधन प्रस्तुत करते और इस प्रकार जो संशोधन इस सम्बन्ध में प्रस्तुत है यदि उनको देखा जाय तो हम उनको तीन श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। पहला तो वह प्रस्तुत विधेयक जिसमें एक सीमा निर्धारित की गई, दूसरा इसके प्रतिकूल वह संशोधन जिसमें जो सीमा निर्धारित की गई है उसको बढ़ाने वाला संशोधन और तीसरे वह संशोधन जिनमें सीमा कम करने के संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं। मैं सबसे पहले अपना विचार उस संशोधन क सम्बन्ध में प्रकट करना चाहता हूं जो सीमा बढ़ाने का संशोधन कुंवर श्रीपालसिंह की तरफ से प्रस्तुत किया गया है।

मान्यवर, आज हमारे प्रदेश में जो शासक हैं, हमारे जो राजा हैं, उनकी तरफ से यह प्रस्ताव हुआ कि सीमा ४० एकड़ की रखी जाय।

श्री हुकुमसिंह (विसेन)—राजा हम नहीं हैं।

श्री भगवतीसिंह विशारद—हैं, मानना पड़ेगा। मान्यवर, घुड़दौड़ मची है। नवीन राजा ने ४० एकड़ रखा तो जो पुराने राजा हैं उन्होंने कहा कि हम तो हमेशा सेर के सवा सेर रहेंगे, ४० की जगह ५० रखेंगे। लेकिन संशोधन देने के बाद दिमाग में यह बात आई कि ५० एकड़ को सिद्ध करने के लिये कुछ औचित्य चाहिये। प्लानिंग कमीशन की कुछ रिपोर्ट मिली या कुछ और मिला उसे देखा तो कहा कि दो एकड़ कम रखा जाय, ४८ एकड़ रखा जाय। किस्सा यह रहा कि 'बड़ मियां सो बड़े मियां छोट मियां सुबान अल्लाह"। उन्होंने ४० एकड़ ही रखा, इन्होंने ४८ एकड़ रख दिया। मान्यवर, मैं राजाओं से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में जिस तरह की असमानता है उसको दूर करने का यह तरीका नहीं है। आज असमानत के ज्वाल मुखी पर यह राजा लोग बैठे हैं, जिस दिन यह ज्वालामुखी फटेगा उस दिन प्रदेश का क्या हाल होगा इस पर गौर से विचार करना चाहिये।

मान्यवर, समानता और आजादी की भूख कभी शान्ति नहीं होती है जब तक कि वह पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हो जाती है। श्रीमन, लिबरेशन आरमी का जिक्र हुआ। यह कहा गया कि मुक्ति सेना आ रही है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या वह अपने प्रदेश को तेलांगना बनाना चाहते हैं। उन्हें यह तय करना पड़ेगा कि वह अपने को सुरक्षित रखना

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

चाहते हैं या जमीन को सुरक्षित रखना चाहते हैं। विनोबा भावे ने मार्ग प्रदर्शन किया है। सारे प्रदेश में घूम कर यह वातावरण तैयार किया है और उन लोगों को चुनौती दी है जो यह कहा करते थे कि जमीन क्या रबड़ है? आज हिन्दुस्तान में कोई ऐसा आदमी नहीं रह गया जो यह कहे कि जमीन क्या रबड़ है?

जो ४० एकड़ और ४८ एकड़ सीमा रखना चाहते हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे हमारे प्रस्ताव का समर्थन करें। उसको स्वीकार करेंगे तो यह निश्चित है कि उनकी जमीन कम होगी, उनकी कुछ जमीन चली जायगी, लेकिन वह सुरक्षित रहेंगे, न लिबरेशन आरमी का डर रहेगा और न तेलांगना के जैसे उपद्रव का।

नवीन राजाओं ने कहा कि ४० एकड़ रहना चाहिये। माननीय शुक्ल जी ने कहा कि गांव वालों की एवरेज इन्कम ६० रुपये मासिक तो रखना ही चाहते हैं। नये मन्त्री हुए हैं, किताबें तो पढ़ते ही होंगे लेकिन पूरी जानकारी नहीं कर पाये। इन्हीं के कानून में लिखा हुआ है कि जमीन चाहे जिसके पास जितनी हो, लेकिन वह साढ़े १२ एकड़ से ज्यादा खरीद नहीं सकता। तो एक तरफ साढ़े १२ एकड़ का १८ रु० १२ आना रखना चाहते हैं और दूसरी तरफ ६० रु० दिलाना चाहते हैं। तो इनके हिसाब से दो तरह का समाज तो रहेगा ही। एक १८ रु० १२ आने वाला और दूसरा ६० रु० वाला। समझ में नहीं आया कि १८ रु० १२ आने और ६० रुपये इन दोनों में कौन सा रिश्ता है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लें इससे प्रदेश का बड़ा हित होगा।

मान्यवर, जितने भी भूमि के सम्बन्ध में कानून प्रस्तुत किये जा रहे हैं उनको यह संज्ञा दी जा रही है कि यह भूमि सुधार के कार्य हैं। मान्यवर, आप को भी ज्ञान है ही, कि जितने भी रिफार्म्स होते हैं वह आधे दिल से नहीं हुआ करते हैं। उनके लिये मजबूत इरादा होता है। और मजबूत कदम उठाना पड़ता है। राजा राम मोहन राय ने जिस समय सती प्रथा का विरोध किया था तो क्या यह तय किया था कि जो बूढ़ी माताएं हैं वह सती हो जायं लेकिन जो जवान बहने हैं उनके ऊपर रोक लगा दी जाय कि वह सती न हों? इसी तरह से आज अगर शिक्षा के रिफार्म का काम शुरू किया जाय तो क्या यह कहा जा सकता है जो बूढ़ी मातायें हैं उनको स्कूल नहीं जाना चाहिय और जो नवजवान मातायें और बहने हैं वही स्कूल जायं? इसलिये मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि जितने भी सुधार के कार्य होते हैं, वे हाफ हरटेड वे से नहीं होते उसके लिये मजबूत इरादा होना चाहिये। इसलिये जो भूमि सुधार करना चाहते हैं उनको अपने इरादों को बदलना पड़ेगा। जो आज वर्ग संघर्ष की चेतना पैदा हो रही है उसके अनुसार तय करना पड़ेगा कि सीलिंग क्या रखी जाय। मान्यवर, यह तो सोशल रिफार्म का काम है। कहा जा रहा है कि जमीन का पुनर्वितरण किया जायगा और उनको दी जायगी जिनके पास जमीन नहीं है। इस प्रदेश की स्थिति क्या है जरा इसे भी देखा जाय। करीब ३.५ एकड़ एवरेज होल्डिंग है और जिनके पास इस तरह की जमीन है उनका प्रतिशत ७० प्रतिशत है और इससे ऊपर और १० एकड़ तक वाले २० प्रतिशत हैं। तो इस तरह से ९० प्रतिशत निकल गये। केवल ३, ४ प्रतिशत ऐसे होंगे जिनके पास से ४०, ४८ एकड़ की सीलिंग तय करने से जमीन निकलेगी। तो अगर ४०, ४८ एकड़ सीलिंग रखते हैं तो जमीन नहीं मिलेगी। इसलिये आवश्यक है कि एक ऐसी सीमा निर्धारित की जाय जिससे जमीन निकले और विधेयक के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

मान्यवर, स्टैन्डर्ड आफ लिविंग की बात कही गई। कहा गया कि हम गांव में किसी तरह का कोई सफेदपोश नहीं रखना चाहते। मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय हमारे देश के राष्ट्रपिता गोल मेज कांफ्रेंस में जा रहे थे तो जिस वेशभूषा में वह थे उसको देखकर उनके साथ जाने वाले श्री जी० डी० बिड़ला ने कहा महात्मा जी अपने देश का स्टैन्डर्ड आफ लिविंग बढ़ाना पड़ेगा। उस समय गांधी जी ने कहा था कि यूरुप में जब स्टैन्डर्ड आफ लिविंग बढ़ा तो उसने सारे संसार को गुलाम करने की कोशिश की और अगर भारत का स्टैन्डर्ड आफ लिविंग बढ़ेगा

तो कौन सी दुनिया गुलाम बनायेगा ? इससे स्पष्ट है कि जब किसी का स्टैन्डर्ड आफ लिविंग बढ़ता है तो किसी के शोषण पर ही बढ़ता है। आज जो राजाओं में डर है, जिस शोषण पर वह जिन्दा हैं वह समाप्त हो जायगा। अब उनको आठ आने में मजदूर नहीं मिलेगा जब जमीन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसमें उनका स्वार्थ है कि हम जो अब शोषण करते आये हैं वह किसी प्रकार कम न हो।

माननीय बलदेवसिंह जी ने कहा कि दो सौ रुपया महीना हम लोग लेते हैं इसके लिये नहीं तुम कहते हो। मैं उनको धन्यवाद देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन नान-आफिशियल डे में वह इस तरह का प्रस्ताव लायेंगे कि मेम्बरों की तनख्वाह कम की जाय तो मैं पहला आदमी हूंगा जो उनके प्रस्ताव का समर्थन करूंगा और मैं आशा करता हूं कि इस बार नान-आफिशियल-डे में वह इस तरह का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। इन शब्दों के साथ जो संशोधन मैंने पेश किया है आशा है माननीय सदस्य उसका समर्थन करेंगे।

उन माननीय सदस्यों ने जिन्होंने दूसरे संशोधन पेश किये हैं जिनके द्वारा मांग की है कि सीलिंग और भी कम की जाय, किसी में २५ एकड़ की बात है, किसी में ३० एकड़ की बात है, किसी में साढ़े बारह एकड़ की बात है, इन के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि मूल प्रस्ताव से, जिसमें ४० एकड़ से, कम करने की ही बात कही गई है, अगर कहीं पर कोई कमप्रोमाइज हो सकता है २० और साढ़े बारह एकड़ के बीच में तो मैं तैयार हूं। क्योंकि मैंने जो २० एकड़ की बात कही है वह इसलिये कही है कि एकोनामिक होल्डिंग सवा ६ एकड़ मानी गई है और उसका तिगुना इसलिये कह रहा हूं कि अगर परिवार का विस्तार हुआ तो उसका भरणपोषण हो सकेगा। यहां पर ३.५ एकड़ की एवरेज होल्डिंग है इसीलिये मैंने ६ गुना, लगभग २० एकड़ रखा है। जिससे कि हम किसी स्थिति में भी हों हम उसका मुकाबला कर सकें।

श्री भोखालाल—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कई माननीय सदस्यों की बातों को बहुत गौर से सुना। माननीय उप मंत्री जी ने कहा कि चूंकि विरोधी दल की तरफ से कई किस्म के संशोधन आये हैं, हर पार्टी एक नई सीमा रखना चाहती है इसलिये विरोधी पक्ष में एका नहीं है, इस वजह से वह किस चीज को मानें ? लिहाजा वे समझते हैं कि विरोधी पक्ष ने जो सुझाव दिये वे ठीक नहीं हैं और सरकार की जो ४० एकड़ की सीमा है वह उचित है। मैं मानता हूं कि विरोधी पक्ष में एका नहीं लेकिन माननीय मंत्री जी अपने दल की ओर भी देखें। एक १६ एकड़ का संशोधन उनके दल की तरफ से आया है। आप उसको मान लें तो मैं अपने प्रस्ताव को वापस कर लूंगा। अगर नहीं मानते तो राजा साहब के संशोधन को छोड़ दीजिये और जो विरोधी दल की तरफ से संशोधन आये हैं उनमें से किसी को आप मान लें। आप देखें कि आपके यहां कितना विरोधाभास है और ४० एकड़ की सीमा से लोग सहमत नहीं हैं।

माननीय शुक्ल जी ने हमारे संशोधन का विरोध करते हुए कहा कि कम्युनिस्ट तो चाहते हैं कि देश में गरीबी, भुखमरी तथा भिखमंगों की संख्या बढ़े। माननीय मंत्री जी जब इस बात को कहते हैं तो वास्तविकता से आंख मूंद कर कहते हैं कि हमारे कृषि समाज की हालत क्या है ? हमारे प्रदेश में एक एकड़ से कम जमीन रखने वाले ३६ फीसदी हैं तो क्या वे भूखे नहीं मर रहे हैं यह किसने बनाया, आपके कृषि सुधारों ने बनाया। ढाई एकड़ से कम जमीन वालों की संख्या ५५ फीसदी है। क्या वे कृषि से जिन्दगी बसर कर लेते हैं और भूखों नहीं मरते ? कम्युनिस्ट पार्टी ने इसे नहीं बनाया।

अब सीलिंग का बिल आया है। सरकार के कृषि सुधारों की यह आखिरी किस्त है। लेकिन इससे भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। माननीय मंत्री जी को बड़ी शंका है कि ४० एकड़ से सीलिंग की सीमा घटाई जाय तो देश की आर्थिक स्थिति छिन्नभिन्न हो जायगी। मैं पूछना चाहता हूं क्या आर्थिक स्थिति वह ४० एकड़ के ऊपर के ही किसान संभाले हुए हैं। जो १ एकड़ या ढाई एकड़ वाले हैं उससे देश की आर्थिक स्थिति छिन्न-भिन्न नहीं होगी ?

[श्री भोखालाल]

माननीय मंत्री जी ने कहा जोरदार शब्दों में कि ४० एकड़ की सीमा रखी है प्लानिंग कमीशन के डायरेक्टिव के हिसाब से। उन्होंने कहा कि तीन फैमिली होल्डिंग्स देंगे और ३,६००रु० सालाना की आमदनी देंगे। जो सिद्धांत रखा है मैं उसके विरोध में हूं। प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि तीन फैमिली होल्डिंग्स एक फैमिली को देने को कहा है न कि एक जोत-धारक को। प्लानिंग कमीशन ने १२० रुपये की आमदनी रखी है लेकिन आपको अपने प्रदेश की स्थिति को सामने रखना चाहिये था, जरा विवेक से काम लेना चाहिये था और पैदावार को ध्यान में रखना चाहिये था। अगर आंकड़े देखें जायं तो वस्तुस्थिति दूसरी है और उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए मैंने साढ़े १२ एकड़ की जो सीलिंग दी है वह ठीक दी है।

माननीय श्रीपालसिंह जी ने पिछले रोज बोलते हुए इधर-उधर की बातें रखने की कोशिश की और कम्युनिस्ट पार्टी के जो संशोधन हैं उनके विरोध की बात कही। मैं संक्षेप में बतलाना चाहता हूं कि आज हमारे प्रदेश की स्थिति क्या है? सरकार ने तीन केटेगरीज बनाई हैं। यहां पर ४० एकड़ का जो जिक्र है वह अच्छे प्रकार की जमीन का जिक्र है। उसके बाद सेकेंड ग्रेड की जमीन है और फिर तीसरे नम्बर की जमीन है। अच्छे प्रकार की जमीन वह होगी जिसमें सिंचाई की सुविधा हो और दो फस्लें कम से कम हो सकती हों। आज अगर हम पैदावार के लिहाज से देखें तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ही हमारे प्रदेश में गेहूं की पैदावार का औसत साढ़े ९ मन के करीब है। इस औसत में खराब जमीनें भी शामिल हैं, औसत दर्जे की भी शामिल हैं और अच्छे प्रकार की भी शामिल हैं।

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

अच्छी जमीन की पैदावार का औसत १४ मन के करीब पड़ेगा। अगर हम मक्का या ज्वार की फसल को ले लें तो उसका भी औसत करीब ९ मन के पड़ता है और अच्छी जमीन की पैदावार का औसत १३-१४ मन से कम नहीं पड़ सकता। मान्यवर, सरकारी एलानों ने इससे ज्यादा पैदावार बतायी है।

इस सरकार ने एक इर्रीगेशन रेटइन्क्वायरी कमेटी बैठायी थी। उसने कहा था कि हमारे प्रदेश में सिंचित एरिया में गेहूं की पैदावार १६ मन फी एकड़ है। सन् ५४ में साढ़े ९ मन का ऐवरेज था जिसका ऐवरेज अच्छे प्रकार की जमीन में १४ मन हुआ। आप कहते हैं कि हमने पैदावार बढ़ाई है। जरूर बढ़ी होगी। लेकिन हम उसी १४ मन को ले लेते हैं और उसी से अगर हम हिसाब लगायें तो हमारी फी एकड़ की आमदनी १४ रुपये मन के हिसाब से १९६ रुपये होती है। दूसरी फसल १३ मन की ले लेते हैं तो १० रुपये मन के हिसाब से १३० रुपये होते हैं। इस तरह से एक एकड़ की ग्रास इन्कम ३२६ रुपये होती है और प्लानिंग कमीशन के फारमूले के हिसाब से अगर इसमें से हम चौथाई हिस्सा खर्चे वगैरह के लिये निकाल दें तो नेट इन्कम २४४ रुपये एक एकड़ की रह जाती है। अगर हम साढ़े १२ एकड़ के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो हमारी इन्कम ३,०५० रुपये पहुंचती है जिसके हम ३,००० ही मान लेते हैं। आपके ४० एकड़ के हिसाब से ९ हजार रुपये की इन्कम पहुंचती है और राजा साहब के हिसाब से १२ हजार पहुंचती है। हमारे हिसाब से एक आदमी की एक महीने में ५० रुपये इन्कम होगी, आपके हिसाब से वह १५० रुपये होगी और राजा साहब के हिसाब से २०० रुपये होगी।

अब जरा दूसरी तरफ देखिये। भूमिहीनों को आप ३, १/८ एकड़ जमीन देना चाहते हैं। इस हिसाब से एक आदमी की आमदनी साढ़े १२ रुपये माहवार पड़ती है। मैं राजा साहब और सरकार से पूछना चाहता हूं कि एक आदमी को आप साढ़े १२ रुपये माहवार की इन्कम देना चाहते हैं और दूसरे को १५० और २०० रुपये की। इसमें कौन सा औचित्य है।

राजा साहब और हमारे मंत्री जी ने भी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल का हवाला दिया और कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी ने बड़ा गुनाह किया जो उनके लिये १२५ रुपये के मिनिमम लिविंग वेज का समर्थन किया। ठीक है, हमने गुनाह किया लेकिन यह कोई अकेले एक आदमी के लिये तो नहीं है। उनके परिवार भी तो होता है और ५ आदमियों के एक परिवार को मानने से एक आदमी की इन्कम २५ रुपये माहवार होती है। और आप २०० रुपये मांगते हैं।

आपने यह भी सवाल उठाया कि कम्युनिस्ट पार्टी ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये तो १२५ रुपये मिनिमम वेज का समर्थन किया लेकिन प्रान्तीय सरकार के कर्मचारियों के लिये कुछ नहीं कहा। हमारा उनकी तरफ भी ध्यान है और हम सभी वाजिब मांगों के लिये जागरूक हैं। और कम्युनिस्ट पार्टी को गर्व है कि एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न द्वारा उसने सरकार का ध्यान उधर दिलाया। कम्युनिस्ट पार्टी को यह भी गर्व है कि हमने एक असरकारी प्रस्ताव दिया है जो मन्जूर भी हो गया और माननीय सदन के एजेन्डा पर है कि प्रान्तीय सरकार के कर्मचारियों के लिये एक पे कमीशन बैठाया जाय जो ऐसे जरिये ढूंढ़े कि उनकी तनख्वाह कैसे बढ़ायी जा सकती है। इस तरह से टेढ़े मेढ़े तरीकों से आंकड़ों को पेश करके आज जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता है।

हमारे राजा साहब ने कहा कि यह घुड़दौड़ वोट के लिये हो रही है और कम्युनिस्ट पार्टी भी अपना टट्टू लेकर आगे बढ़ी है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपका टट्टू कहां पीछे है? अगर कम्युनिस्ट पार्टी १२, १/२ की रफ्तार से दौड़ रही है. प्रजा सोशलिस्ट पार्टी व सोशलिस्ट पार्टी २० की रफ्तार से दौड़ रही है, जनसंघ २५ को रफ्तार से दौड़ रही है लेकिन आप तो ५० की रफ्तार से दौड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि आप इतनी तेज रफ्तार से दौड़ने की कोशिश न करें क्योंकि ज्यादा तेज चलने से आप गिर पड़ेंगे। आपने जमींदारी खात्मा के समय तेज भागने का प्रयास किया आप गिरे, इस बार भी तेज भागने का प्रयास कर रहे हैं आप गिरेंगे। इसलिये आप वस्तु स्थिति को देखिये, जमाने की रफ्तार को देखिये, गरीबों की तरफ देखिये और अब समानता लाने का प्रयास कीजिये। राजा साहब ऐसी बात कहते हैं कि मुझे अधिक परेशानी नहीं होती। माननीय गेंदा सिंह जी भी कहेंगे कि वे भी राजा लोगों की बातों से परेशान न हों। लेकिन राजा साहब जब तक स्वतंत्र प्रगतिशील पार्टी में थे ....

श्री अध्यक्ष---यहां पर राजा साहब कोई नहीं हैं।

श्री भीखालाल---श्रीमन्, मेरा मतलब कुंवर श्रीपालसिंह जी से है। उनकी बात मैं कह रहा था कि जब तक वह प्रगतिशील स्वतंत्र पार्टी में थे उस समय अगर ऐसी बात कहते थे तो मुझे चिन्ता होती थी लेकिन जब से उनकी पार्टी से प्रगतिशील शब्द हट गया है और केवल स्वतंत्र रह गया है और अब ऐसी बात कहते हैं तो मुझे कोई चिन्ता नहीं होती, क्योंकि जमीन के सम्बन्ध में उनका दृष्टिकोण ही दूसरा है। उनके सबसे बड़े नेता राजगोपाला चारी का क्या दृष्टिकोण है और उन्होंने जमीन के सम्बन्ध में क्या कहा है। मैं एक कोटेशन देना चाहता हूं। राजा जी ने कहा है कि "Land should be treated like wife and it should not be entrusted to all and sundry". वह कहते हैं कि जमीन को बीवी की तरह से समझना चाहिये और यह आम लोगों को देने की चीज नहीं है। वह जमीन को बीवी मानते हैं लेकिन हमारे हिन्दुस्तान की परम्परा तो माता मानने की है। वह स्वतंत्र पार्टी में जाकर स्त्री मानने लगे लेकिन हम तो माता ही मानते हैं और मानते रहेंगे और हमें माता का पूरा प्यार पाने का हक है लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं है कि हमें माता के प्यार से वंचित करें। सभी लोगों को माता पर समान अधिकार है।

आप आर्थिक दृष्टिकोण से कहें कि जमीन कुछ आदमियों के ही पास रहनी चाहिये लेकिन आज की परिस्थिति में इस बात को कोई मानने वाला नहीं है। आपको अपने विचार बदलने

[श्री भीखालाल]

होंगे। सीताराम शुक्ल जी ने कहा कि सीलिंग करने से जमीन के टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे और पैदावार कम हो जायगी क्योंकि छोटी आराजी में पैदावार कम होती है। मैं उनको सलाह दूंगा कि वे यू० पी० फार्म मैनेजमेंट कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लें। जिसमें ५ एकड़ से कम की जमीन में प्रति एकड़ की आमदनी १२०.७ है और ५ से १० एकड़ तक १३१.७ है और २० एकड़ से ऊपर १०८.८ आंकी है। इस तरह से आप देखेंगे कि बड़ी जोतों की पैदावार घटती है और छोटी जोतों में ज्यादा होती है। लिहाजा यह कहना कि सीलिंग लग जायगी तो पैदावार कम हो जायगी। मैं इस बात को नहीं मानता हूं। इसलिये जो मैंने साढ़े बारह एकड़ का संशोधन रखा है वह उचित है।

श्री अध्यक्ष---संक्षेप में ही कहिये।

श्री भीखालाल---मैं केवल दो मिनट ही लूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि ४० एकड़ की सीलिंग रखने में न तो विवेक से काम लिया गया है और न प्लानिंग कमीशन की बात को ही माना गया है। हमारे सूबे के पड़ोसी सूबे उड़ीसा और बिहार हैं और उनका लैंड प्रेशर हमारे यहां जितना है उतना ही है। वहां पर ३० और ३३ एकड़ की सीलिंग रखी गई है। आप कह सकते हैं कि वहां पर पैदावार ज्यादा होगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है और वहां की पैदावार भी हमारे यहां से कम है। हमारे यहां यू० पी० में चावल की पैदावार प्रति एकड़ ५३१ पौंड है और बिहार में ४९८ पौंड ही है। उड़ीसा में ५१३। गेहूं यू० पी० में ७८७, बिहार में ४७५, उड़ीसा में ५१७। वहां की पैदावार भी हम से कम है। वे कम एकरेज में ज्यादा पैदावार नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने सीलिंग कम रखा है इसलिये कि अगर ज्यादा रखते हैं तो इस बिल का उद्देश्य पूरा नहीं होता है।

मैं आप का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि प्लानिंग कमीशन ने उत्तर प्रदेश के कानूनों को देख कर फिर से विचार करना शुरू कर दिया है कि हमारे जो सीलिंग के कानून बन रहे हैं वे दोष-पूर्ण बन रहे हैं। इस लिये मैं चाहता हूं कि आप विवेक से काम लें। प्रदेश की परिस्थितियों को ध्यान में रखें और यहां की आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखें। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा संशोधन उचित और समयानुकूल है और मैं आशा करता हूं कि इसे स्वीकार किया जायगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने भाषण में माननीय भीखालाल जी ने शुक्ल जी की कई बातों का जवाब दे दिया। केवल एक बात का वह जवाब नहीं दे सके। भीखालाल जी ने प्लानिंग कमीशन के हिसाब से इनकम दिखायी वह कम पड़ती है, ३६ सौ रुपये की इनकम नहीं पड़ती है। इसका कारण यही है कि उनका एकरेज साढ़े १२ एकड़ जरा कम हो गया। इसे जानते हुए हमने २५ एकड़ एकरेज रखा है।

माननीय मंत्री जी ने विरोधी दलों के लिये कहा कि विरोधी दल अलग-अलग बात करते हैं। हमारे सिद्धांत अलग हैं, हमारे दल अलग हैं। हमने यह कोशिश की कि अपनी पार्टी के सिद्धांतों के साथ मेल खाते हुए वह आंकड़े दें कि भारतीय जन संघ ३० एकड़ एकरेज क्यों मानती है? हमने २५ एकड़ कहा है। आठ एकड़ की औसत लाभकर जोत निकलती थी, इस लिये मैंने उस का करीबन २५ एकड़ दिया। ३० एकड़ तो अधिकतम जोत मानते हैं, चाहे परिवार में कितने ही सदस्य हों, ३० एकड़ से ज्यादा नहीं मिलना चाहिये।

माननीय श्रीपालसिंह ने यू० पी० जमींदारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट से उद्धरण दिया। उसमें माननीय गोविन्द वल्लभ पंत, माननीय इकुमसिंह, माननीय चरणसिंह, माननीय कमलापति त्रिपाठी, माननीय अजितप्रसाद जैन, माननीय विश्वम्भरदयाल त्रिपाठी यानी कांग्रेस के माने हुए नेता उसमें थे और आज भी अधिकांश कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। उन्होंने उस रिपोर्ट

में से एक जगह से थोड़ा सा पढ़ दिया लेकिन उन्होंने उसके नीचे लिखा हुआ नहीं पढ़ा जहां लाभकर जोत को ढाई एकड़ भी माना है। किसी ने उसे ३० बीघा भी माना है। उन्होंने यह बात भी नहीं कही कि माननीय चरणसिंह जी जो रेवेन्यू के विशेषज्ञ माने जाते हैं, उन्होंने सवा ६ एकड़ लाभकर जोत मानी है। जमींदारी उन्मूलन कमेटी की रिपोर्ट हमारा एक आथेंटिक डाकूमेंट है। उस समुद्र मंथन के बाद जो निचोड़ निकला वह यह है कि १० एकड़ की लाभकर जोत को उन्होंने सारे यू० पी० के लिये औसत माना है यानी प्लानिंग कमीशन के अनुसार इस प्रकार अधिकतम जोत ३० एकड़ से ऊपर नहीं जानी चाहिये। यह सिद्धांत विरोधी दल ने नहीं उधर के बैठने वालों ने कहे, जो आज भी कुर्सियों पर बरकरार हैं, माल मंत्री जी आज भी अपनी कुर्सी पर सुशोभित हैं। उक्त कमेटी में वह थे वाइस प्रेसीडेंट। माननीय मन्त्री जी हमारी बात न मानें मगर अपनी कल की कही बात ही मान लें। मैं अपना प्रस्ताव वापस लेने को तैयार हू।

माननीय मंत्री जी अपने द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत जिसके लिये डंके की चोट पर वह कह गये, लाखों रुपया खर्च करके समुद्र मन्थन करके जो निकाला गया है, उसको मानें। क्या माननीय मंत्री जी यह कहने को तैयार हैं कि जो समुद्र मन्थन उन्होंने किया उसमें सब जहर ही जहर निकला, अमृत निकला ही नहीं? क्योंकि अभी उन्हीं की तरफ के माननीय सदस्य रामलक्षण तिवारी जी ने कहा कि गरीबों के नाम पर जितने कानून बनाये गये उनसे गरीबों का गला कटा। श्रीमन्, तब आप उपस्थित नहीं थे, उन्होंने शुरू से आखिर तक इस सरकार के बनाये सारे कानूनों को denounce किया। एकाध माननीय सदस्य ने कहा कि हम सम-वितरण चाहते हैं। सम वितरण के माने बराबर वितरण यही तो हुआ। लेकिन इस बिल के द्वारा कौन सा सम तिवरण हुआ है? जैसा भीखा लाल जी ने कहा कि इस प्रदेश में ३६ प्रतिशत व्यक्ति एक एकड़ से कम जोत वाले हैं, ५५ प्रतिशत २ एकड़ से कम वाले हैं और बाकी और ऐसे ही ह। तो श्रीमन्, एक तरफ तो हम अधिकतम जोत एकरेज १२८ तक रखें, यानी जहां ८ आदमियों का परिवार होगा और चार रुपये से कम सर्किल रेट होगा, उस आदमी को १२८ एकड़ अपने अधिकार में रखने का अधिकार होगा, तो दूसरी तरफ एक एकड़ और दो एकड़ वाला व्यक्ति हो यह कैसा सम-वितरण है?

श्रीमन्, एक माननीय सदस्य ने कहा कि लोग २०० रुपया लेते हैं। श्रीमन्, मैं उनको बता देना चाहता हूं, भारतीय जनसंघ की ओर से कहा गया है, हमने वेतन बढ़ाने का विरोध भी किया है। हम तो कहते ह कि १०० रुपया तनख्वाह घटाइए, हम तैयार हैं वोट देने के लिये, हम सबसे पहले आदमी होंगे इसे छोड़ने के लिये। आप बिल ले आइये, अगर हम सबसे पहले वोट न दें तो इस्तीफा देकर चले जायेंगे। महात्मा गान्धी ने कहा था कि झोपड़े में किसान की तरह रहो, उनके बीच में रहो, तब तुम उनकी तकलीफों को समझ पावोगे। हम तैयार हैं, झोंपड़े में रहने के लिये, चलिये छोड़िये दारुलशफा और इन महलों को। है हिम्मत कांग्रेस के किसी माननीय सदस्य की? और श्रीमन्, मैं आपके सामने फख्र के साथ कहना चाहता हूं, अगर कोई गान्धी जी के चरण चिन्हों पर चलता है बिल्कुल उतना नहीं, भले ही वह लंगोटी न लगा सके, कौपीन वस्त्र न पहन सके, एक वक्त ही खाना न खा सके, तब भी उनके उद्देश्यों के सबसे नजदीक अगर कोई हैं तो अधिकांश इधर विरोधी पक्ष के ही लोग हैं। मानता हूं थोड़े से उधर के भी हो सकते हैं लेकिन अधिकांश हमारी ओर के ही हैं। इन राजा महाराजों को छोड़िए। इनका क्या है? इधर भी हैं, उधर भी हैं।

एक दिन श्रीमन्, याद होगा माननीय पालीवाल जी ने कुछ भाषण दिया और उसमें समाजवाद का समर्थन कर दिया। तो एक दूसरे माननीय सदस्य बोलने खड़े हुए, मैं नाम नहीं लूंगा, वह माननीय सदस्य यहीं बैठे हुए हैं, उन्होंने बिलकुल उसके उलटा कहा। चेयर की तरफ से, जब कहा गया कि आपके नेता की तरफ से तो आपकी बात के विरुद्ध कुछ कहा गया तो उन्होंने कहा कि हम तो स्वतन्त्र हैं, हमारा कोई नेता नहीं है। उनकी बात क्या कहें? हर एक स्वतंत्र है उनके यहां। यह दो सौ रुपया एम० एल० ए० को जो मिलता है मैं इस बात को भी

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

मानता हूं कि दो सौ रुपया कोई बहुत अधिक नहीं होता है लेकिन हमको तो देश के आगे एक आदर्श रखना है। राजा रामचन्द्र ने यह जानते हुए भी कि रावण के यहां जगत्माता सीता पूरी पतिव्रता रहीं, फिर भी केवल मर्यादा के लिए उनकी अग्नि परीक्षा ली, एक धोबी के कहने से। उन्होंने जगज्जननी सीता को बनवास दे दिया। इसका माने यह तो नहीं कि वह यह समझते थे कि सीता में कोई खराबी है, बल्कि लोगों के सामने एक आदर्श रखने के लिये उन्होंने ऐसा किया। तो हमको भी देश के सामने एक आदर्श रखना है। दो सौ रुपया ज्यादा हैं इसलिये नहीं बल्कि इसलिए कि लोगों को हमारे ऊपर उंगली उठाने का जो मौका मिलता है वह मौका न मिले। आज कांस्टीट्यूयेंसी में कहीं चले जाइए, यह सुनने को मिलता है कि एम० एल० एज० को तो अब मुफ्त बस का पास भी मिल गया। मिला कुछ भी नहीं, न हमने लिया। लेकिन एक खबर फैल गई। करें चाहें कुछ नहीं लेकिन सरकार ऐसा कर देती है कि लोग सोचने लगते हैं कि हम लोग मुफ्तखोर हैं। तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिये। अब मैं दो सौ रुपये के पक्ष में भी कुछ कह दूं ....

श्री अध्यक्ष—लेकिन इसमें दो सौ रुपये की बात कहीं है नहीं, इसलिये अब उस पर आप और अधिक न बहस करें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—अधिक नहीं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि एम० एल० ए० लोग भी जो आते हैं वह अपने घरों के सब से अच्छे मेम्बर आते हैं, कमिंग मेम्बर होते हैं उनके भी फैमिली हुआ करती है। पर कपिटा आमदनी का कोई असर उस पर नहीं पड़ता है?

अब मैं १२५ रुपये न्यूनतम वेतन की बात पर आता हूं। उसके बारे में यहां पर उत्तर दिया जा चुका है। हमारी पार्टी के ऊपर भी आरोप लगाया गया तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि १२५ रुपये पर कैपिटा के बारे में जो भीखालाल जी ने तर्क दिया कि वह पर कैपिटा इनकम नहीं है क्योंकि उस मजदूर के परिवार में ५ मेम्बर भी हो सकते हैं और ८ मेम्बर भी हो सकते हैं तो फिर पर कैपिटा वह कहां रह गई।

एक बात यह कही गई है कि आखिर एक मिनिमम स्टैंडर्ड आफ लीविंग होना चाहिये जिससे बच्चों की एजूकेशन हो सके या जो दूसरे जरूरी काम हैं वे हो सके। हमने माना कि आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिये यह सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी में वह पढ़ सके। सरकार ने एजूकेशन इतना महंगा कर दिया है कि १०० रुपये से कम वहां पर काम नहीं चल सकता है। खैर, हमने मान लिया कि आप अपने बच्चे को एम० ए० या इंजीनियर या डाक्टर बनावें लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखें कि हमारे देश में ८० फीसदी जनता ऐसी रहती है जिसको दो समय भरपेट भी खाना प्राप्त नहीं होता है। इतनी उनके पास भूमि नहीं है कि वह उससे इतनी आमदनी निकाल सके। अगर आपका लड़का एम० ए० हो जाय तो कम से कम गरीब का लड़का हाई स्कूल तो हो जाय। इतना तो वह अपने बच्चों को पढ़ा लें। इस कानून को आप चाहे जिस तरह से पास कर लें लेकिन इससे कोई जमीन गरीब किसान व भूमि-हीन को मिलने वाली नहीं है लेकिन हां, "दिल के बहलाने को गालिब यह खयाल अच्छा है।"

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, और कुछ कहने के पहले मैं आपकी सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूं और अपनी बातों की साक्ष्य में सदन के माननीय सदस्यों को आपके सामन पश करना चाहता हूं। मने जो तर्क कल रखे थे उन तर्कों का समुचित उत्तर माननीय सदस्यों ने नहीं दिया। मैं जमींदार, ताल्लुकेदार या राजा था, जो कुछ था वह था आज नहीं हूं। उस पुराने नाम को लेकर चाहे जितना कीचड़ मेरे ऊपर उछाला गया हो, मगर मैंने जो तर्कसंगत बातें रखी थीं उनका उत्तर माननीय सदस्यों ने नहीं दिया। इसका मुझे दुख है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—आपको तो खुश होना चाहिये कि आपन एसी लाजवाव बात कहीं।

कुंवर श्रीपालसिंह---मैं सब से पहले अपने कम्युनिस्ट दोस्तों की बातों के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। गरीबों की बड़ी भारी दुहाई दी गई मालूम होता है गरीबी को दूर करने का एकमात्र ठेका कम्युनिस्ट पार्टी ने ही लिया हुआ है। मैंने भी माना मगर यह कहा क्यों जाता है? यह ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने यकबयक कह दी हो। यह उनके जो बड़े बड़े रहबर हो चुके हैं उन्होंने पहले ही इस चीज को कह दिया है। लेनिन ने अपनी समाजवाद नाम की पुस्तक में यह कहा है कि जहां तक सामन्तवाद और एकतन्त्री शासन की समाप्ति के लिये क्रान्ति की जाती है उसका नाम पूंजीवादी जनवादी क्रान्ति है और जब वह सफल हो जाती है तो उसके सफलता के रूप में प्रजातन्त्रवादी राज्य होता है। मगर जब वह प्रजातन्त्र राज्य स्थापित हो जाता है तो लेनिन महोदय कहते हैं कि उस प्रजातन्त्री राज्य को हटा कर सर्वहारा अधिनायक तंत्री की स्थापना के लिये जो क्रान्ति की जाती है उससे उसके बाद समाजवादी क्रान्ति शुरू होती है। उस समाजवादी क्रान्ति का जिनको दुश्मन बतलाया गया है वह है कृषक।

कृषक का अपभ्रंश रूसी भाषा का शब्द कुलक कहा जाता है। लिहाजा अगर हमारे कम्युनिस्ट भाई १२ एकड़ ६ एकड़, या दो या एक एकड़ की सीलिंग के लिये कहें तो भी उनको वह शोभा देता है क्योंकि उनके बड़े बड़े रहबरों ने इस चीज को कहा है और उनके लिये यह आवश्यक है कि वे अपने रहबरों की बात को, जो उनके पित्र देश के रहने वाले हैं, मानें। वे उनको कैसे छोड़ सकते हैं, उनकी बात को तो उन्हें जरूर ही मानना है। साथ ही साथ वे यह भी जानते हैं कि देश में किन लोगों को उकसा कर अपना काम निकाल सकते हैं, किनकी पीठ पर हाथ रख कर अपना काम निकाला जा सकता ह, इसे भी कार्ल मार्क्स साहब ने अपनी समाजवाद नाम की पुस्तक में स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि 'सर्वहारा अधिनायक तंत्र स्थापित करने के निमित्त प्रजातंत्र वाले राज्य में जो भी इस प्रकार के विधेयक आयें जिनसे अधिक से अधिक जनता विक्षुब्ध होती हो उनका समर्थन करो।' यह कार्ल मार्क्स महोदय ने, जो कम्युनिज्म के जन्मदाता हैं, उन्होंने कहा है। तो उनको यह सब शोभा देता है, उनको कहना चाहिये और कह सकते हैं।

श्रीमन्, एक चीज माननीय भीखा लाल जी ने कही और माननीय राजगोपालाचारी जी का कोटेशन दिया कि पृथ्वी को स्त्री के समान समझा जाय। अपने यहां भारतीय सभ्यता और संस्कृति में तो पृथ्वी स्त्री के समान है ही, मगर भीखा लाल जी के पित्र देश वाली सभ्यता में तो स्त्री होती ही नहीं। वहां तो लेनिन महोदय ने स्त्री की उपमा स्वच्छ जल से दी है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार प्यास बुझाने के लिये स्वच्छ जल पीना स्वास्थ्यकर है उसी प्रकार ...आगे मैं नहीं कहना चाहता, जो उन्होंने स्पष्ट लिखा है। तो उनके यहां स्त्री पुरुष का कोई संबंध नहीं है। वह कुछ भी कह सकते हैं और उनके लिये कोई चीज कहना अवैध नहीं है।

श्रीमन्, वह क्यों कहते है कि सीलिंग बराबर घटती जानी चाहिए, क्यों चाहते हैं कि अब से कम भूमि पर सीलिंग की जाय? इसमें उनका बड़ा भारी भेद छिपा हुआ है। श्रीमन्, जितनी ही छोटी जोतें होंगी उतनी ही अधिक जनसंख्या का समुदाय कृषि पर निर्भर होगा उतनी ही अधिक गरीबी बढ़ेगी। यह बिलकुल सीधी और स्पष्ट बात है। श्रीमन्, मैं इसके लिये अपने ही प्रदेश के दो जिलों का प्रमाण देना चाहता हूं एक है देवरिया और दूसरा है मेरठ। यह उद्धरण माननीय चौधरी चरणसिंह जी की लिखित पुस्तक 'उत्तर प्रदेश की भूमिव्यवस्था में क्रान्ति' नामक पुस्तक से दे रहा हूं। इसमें उन्होंने लिखा है कि देवरिया में ८७.४६ फीसदी बाशिन्द कृषि पर निर्भर करते हैं। और मेरठ में ४५.२६ फीसदी। अगर दोनों जिलों में खेती पर आबादी बांट दी जाय तो बराबर आती है। देवरिया में आती है २.६ एकड़ प्रति व्यक्ति और मेरठ में आती है, २.५९ प्रति व्यक्ति मगर देवरिया से मेरठ की कितनी आर्थिक समानता है इसे आप सब लोग जानते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं कहना है, इसका तो ज्वलन्त उदाहरण और प्रमाण सदन में अनेकों बार आ चुका है। इसीलिये हमारे कम्युनिस्ट भाई चाहते हैं कि कम से कम छोटी जोत हो और वह इतनी छोटी हो कि लोग खाने के बगैर भूखों मरने लगें।

[कुंवर श्रीपालसिंह]

श्रीमन्, रूस में जिस समय समाजवादी क्रांति हुई, उसका विवरण केमिलीन का एक सदस्य जो वहां के नेताओं में से एक नेता था जिसका नाम विक्टर क्रैव शैकों था, उसने एक पुस्तक लिखी "स्वतन्त्रता की ओर' वह रूस से अमेरिका किसी तरह भाग कर गया और उसने वहां जाकर वह पुस्तक लिखी। उसमें उसने लिखा है कि जिस समय रूस में यह क्रान्ति की गयी तो वहां पर जानबूझ कर अकाल पदा किया गया और वह इस हद का कि गांव के लोग घोड़ों की लीद और कुत्तों का गोश्त आदि खाकर अपनी प्राण रक्षा करने लगे और उन्हीं गांव के किनारे जो सरकारी फार्म थे उनमें गेहूं लहलहाते रहते थे उनको छूने तक की किसी की हिम्मत न थी और अगर कोई छू भी लेता था तो उसको गोली मार दी जाती थी। उसी पुस्तक में यह भी लिखा है कि उस पर मुकदमा भी चलाया गया और उसकी बातों को गलत सिद्ध करने की कोशिश की गयी, मगर उस व्यक्ति ने अदालत में उन बातों को सही सिद्ध कर दिया जो उसने अपनी पुस्तक में लिखी थीं। अगर हमारे कम्युनिस्ट भाई उत्तर प्रदेश में भी वही स्थिति पैदा करना चाहते है तो मुझे उनके बारे में कोई सन्देह नहीं है।

श्रीमन्, उन्होंने यह भी कहा कि छोटी जोतों से उपज बढ़ जायेगी। मैं कहना चाहता हूं श्रीमन् उससे उनको सेटिसफैक्शन भले ही हो जाय, किन्तु उससे उपज बढ़ने वाली नहीं है। मेरे पास श्रीमन्, आंकड़े है जिन्हें मैं पेश करना चाहता हूं। अपने प्रदेश में अगर श्रीमन्, सब को खेती पर ही आधारित कर दिया जाये तो सभी भूखों मर जायेंगे। अगर हम सब अधिकतर लोगों को खेती पर निर्भर कर देते है, तो बाकी लोगों की समस्या कैसे हल होगी? जो हमारा सरप्लस गल्ला होगा, उसी से तो उनका गुजारा होगा। श्रीमन्, मैं आपको बतलाऊं कि २.५ एकड़ की खेती में ०.८२ मन सरप्लस उपज होती है जो कि स्वयं कृषक के इस्तेमाल के अलावा दूसरे लोगों के लिये मंडी में आती है और जिसका दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं। २.५ से लेकर ५ एकड़ तक की जो जोत होती है उसमें १.९४ मन उपज बच कर मन्डी में आती है, ५ से लेकर १० एकड़ तक जो खेती होती है उसमें ४.५७ मन मंडी में आती है। १० से २० तक में जो खेती होती है उसमें से ६.४६ मन मंडी में आती है। २० से ऊपर वाली जो होती है उसमें १०.६९ मन मंडी में आती है। तो इन आंकड़ों से यह सिद्ध होता है कि जब सरप्लस गल्ला बचेगा कृषक के खाने के अलावा, तभी वह बाजार में आयेगा और जब वह बाजार में आयेगा तो वह उन लोगों के लिये होगा जिनके पास जमीन नहीं है। इस प्रकार से सिद्ध होता है कि जब तक हम सरप्लस नहीं छोड़ेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। अगर छोटी छोटी जोतें बनाकर वोटों के लालच में हमने पूरे देश को खेती पर आधारित कर दिया तो हमारा भगवान ही रखवाला है, इस संबंध में आगे कुछ नहीं कहना चाहता कि क्या हो जायगा।

अब मैं अपने बुजुर्ग नेता श्री गेंदासिंह के बारे मे कुछ कहना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि छोटा मुंह बड़ी बात करूं क्योंकि वह हमसे बुजुर्ग हैं, मुझसे ज्यादा उनका अनुभव है, इस सदन के हमसे बहुत पहले के माननीय सदस्य भी हैं, मैं उनसे कुछ सीखने का प्रयत्न करता हूं, परन्तु कुछ निवेदन कर देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—अब आप अपने प्वाइन्टस कहिये।

कुंवर श्रीपाल सिंह—माननीय गेंदासिंह जी ने ७ मन फी एकड़ की बात कही थी कि जिस खेत में ७ मन फी एकड़ पैदावार हो वह उत्तम प्रकार की भूमि मानी जाय और उस प्रकार की भूमि का २० एकड़ जो हो उसे अधिकतम जोत सीमा निर्धारित कर दिया जाय। इस ७ मन एकड़ के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि मेरे कम्युनिस्ट दोस्त ने उसको अभी छिन्न भिन्न कर दिया है। उन्होंने प्रति एकड़ उपज साढ़े ९ मन कहा, १४ मन कहा और न मालूम कितने मन कहा जो कि मैं सुन नहीं पाया लेकिन साढ़े ९ मन तो पक्की तौर से सुना। इस तरह से ७ मन फी एकड़ की जो पैदावार है, वह उन्हीं के कहने से सिद्ध हो जाता है कि बहुत ही मामूली जमीन पर होगी। उससे भी कोई ताल्लुक नहीं था। भगवती सिंह

जी ने २० एकड़ कहा, यानी किसी प्रकार की भी भूमि हो, २० एकड़ पर सीलिंग होनी चाहिये। उसके लिये भी कुछ नहीं कहना है। वह तो यही है कि 'सब धान बाइस पंसेरी,' वह चाहे केसर की क्यारी हो या उसकी नारी हो कोई भी जमीन हो २० ही एकड़ दो।

अब श्रीमन्, ७ मन वाले आंकड़े से हम देखें कि २० एकड़ में क्या मिलेगा तो हम उस जगह पर पहुंचते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है। अब श्रीमन्, अगर हम ७ मन की एकड़ पैदावार रखते हैं, यह इनकम भी उन्होंने ग्रास इनकम रखी है, नेट इनकम नहीं है जहां तक कि मैं समझता हूं, ग्रास इनकम में खर्चा भी शामिल है। प्रत्येक खेती करने वाला यह जानता होगा कि खेती में आधे से ज्यादा खर्च हो जाता है, अगर आदमी ने बहुत मेहनत किया तो आधा बचा पाता है वरना इससे ज्यादा ही खर्च हो जाता है। इस प्रकार से साढ़े ३ मन की एकड़ नेट इनकम हुई। अब श्रीमन्, २० एकड़ पर यह नेट इनकम ७० मन होती है। एक परिवार में ५ व्यक्ति औसत माने जायं तो एक आदमी को १४ मन मिला यानी ६ पाव रोजाना। हमारे मित्र श्री गेंदासिंह जी ने उसके भोजन की तो व्यवस्था कर दी, यह उन्होंने बड़ी मेहरबानी की लेकिन वह वस्त्र के लिये कहां जायगा, मकान के लिये कहां जायेगा, अपनी झोपड़ी के फूस के लिये किसके दरवाजे जायगा और बकीया दूसरी चीजें जो इस्तेमाल में आती है उनके लिये वह कहां जायगा। इन सब चीजों के लिये हमारे वयोवृद्ध नेता ने कोई रास्ता नहीं बतलाया।

अब थोड़ा सा मैं और निवेदन करना चाहता हूं। करीब-करीब बहुत से माननीय सदस्यों ने चौधरी चरणसिंह जी को कोट किया और यह कहा कि उन्होंने सवा ६ एकड़ जोत लाभप्रद जोत के लिये निर्धारित किया। उन्होंने इस पुस्तिका में अधिकतम जोत के लिये कहा है कि मिट्टी की किस्म, सिंचाई की सुविधा तथा अन्य परिस्थितियों को देखते हुये एक लाभप्रद जोत का आकार ६। एकड़ तथा १२।। एकड़ के बीच में होना चाहिये। लाभप्रद जोत से तात्पर्य ऐसी जोत से है जिस पर २ व्यक्तियों और २ बैल, मैं २ व्यक्तियों पर और २ बैल पर जोर देना चाहता हूं। उन्होंने २ व्यक्तियों और २ बैलों के लिये कहा है कि इस प्रदेश में कृषि कार्य के लिये एक औसत परिवार इन्हीं की व्यवस्था कर सकती है। हमारे सामने ५ व्यक्तियों के परिवार का मसला पेश है। आगे चौधरी साहब कहते हैं कि पूरे वर्ष भर तक काम में लगे रह सकें, इस प्रकार यदि हम मध्यमान के रूप में ६.३७५ एकड़ को लाभप्रद जोत की इकाई मानकर चलें इत्यादि, उन्होंने ६। और १२।। एकड़ न मानकर ६.३७५ एकड़ एक लाभप्रद जोत केवल २ आदमियों के परिवार के लिये माना है। अगर हम ५ मनुष्यों का परिवार मानें तो लाभप्रद जोत लगभग २३ एकड़ आती है। जिन महानुभावों ने चौधरी चरणसिंह को कोट किया उन्होंने उनके साथ न्याय न करके अन्याय किया।

मैं थोड़ा सा सरकार के लिये भी निवेदन करना चाहता हूं। ४० एकड़ की जो सीमा रखी है, जैसा कि मैंने कल कहा था, वृहद् जोतकर और कृषि आय कर, इन दोनों के निर्धारण के लिये ७५ रुपये प्रति एकड़ की जो आमदनी रखी गई है, उस हिसाब से और प्लानिंग कमीशन की राय को देखते हुये ४८ एकड़ होनी चाहिये। हिसाबन जैसे २ और २ मिल कर ४ होते हैं। इसलिये मैंने ५० एकड़ वाले प्रस्ताव को कल काट दिया था कि उसे ४८ एकड़ कर दिया जाय जिससे मैं अपनी बात को तर्कसंगत आपके सामने रख सकूं। ४० एकड़ पर ३,६०० रुपये की आमदनी उपरोक्त हिसाब से सिद्ध नहीं होती है, जैसा कि मंत्री जी ने कहा। आमदनी सिद्ध हो तो है केवल ३,००० रुपये की सालभर की, जिससे एक व्यक्ति का सालभर का हुआ ६०० रुपये और एक महीने का हुआ ५० रुपये। यह अधिकतम है। इससे अधिक नहीं होगी। फिर सवाल उठता है कि न्यूनतम भी तो कुछ होनी चाहिये। अब न्यूनतम के निर्धारण के लिये हम यह देखते हैं कि बाकी जगहों पर हमारी सरकार के अधिकतम और न्यूनतम में क्या सम्बन्ध है। उसी आधार पर हम इसे भी रखने का प्रयत्न करेंगे।

हम अपने राज्य के शीर्षस्थ व्यक्ति महामान्य राज्यपाल को लेते हैं। उनकी तनख्वाह ४,९५० रुपया मासिक बजट में है और उनके सेवक की तनख्वाह ३४ रुपया मासिक है जो कि राज्य की न्यूनतम तनख्वाह है। इस आधार पर अगर हम हिसाब लगाते हैं तो जब ५० रुपया

[कुंवर श्रीपालसिंह]

गांव की अधिकतम आय है तो न्यूनतम आय २ आना मासिक आती है। जब अधिकतम का निर्धारण हो गया तो न्यूनतम तो अपने आप ही निकल आया। जब आप यह निर्धारित कर देंगे कि कोई आदमी ५० रुपया महावार से ज्यादा नहीं कमा सकता है तो इसका नतीजा यह होगा कि लोगों में बेकारी फैलेगी। आज भी हम बेकारी की समस्या से परेशान हैं। अगर गांव का वही आदमी जिसकी आय वहां पर ५० रु० होती है, शहर में आ जाय तो उसको १०० माहवार की नौकरी तो अवश्य ही मिल जायगी। नतीजा यह होगा कि प्रत्येक आदमी नौकरी को ही अपना लक्ष्य बना कर चलेगा और उसके फलस्वरूप गांव की अर्थ व्यवस्था में व्यवधान पड़ेगा और सरकार के सामने यह समस्या पैदा हो जायगी कि किस प्रकार से सरकार इतने आदमियों को नौकरी दे पायेगी। इसलिये गांव की अर्थ व्यवस्था को संतुलित रखने के लिये यह परमावश्यक है कि कम से कम आबादी खेती पर आधारित हो, अर्थात् और उद्योग धंधों को खोल कर गांवों की उन्नति की जाय।

श्री अध्यक्ष--आप संक्षेप में बोलिये क्योंकि अब केवल दो दिन ही बाकी रह गये हैं।

कुंवर श्रीपाल सिंह--श्रीमन्, मैं अभी समाप्त किये देता हूं। मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि जो हमारी तर्कसंगत, उचित और ग्राह्य बात है ४८ एकड़ की उसको मंत्री जी मान लें तो बहुत ही अच्छा है। इससे प्रदेश का लाभ ही होगा, हानि नहीं होगी। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव के लिये निवेदन करता हूं कि माननीय सदस्य हमारे प्रस्ताव के पक्ष में मत दें।

*श्री भजन लाल (जिला इटावा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैंने अपना संशोधन पेश किया था वह यह था कि ४० एकड़ के स्थान पर २० एकड़ कर दिया जाय। मान्यवर, आज अपने देश और प्रदेश की हालत को देख कर यह देखना है कि जो भारत प्राचीन युग में बाहर के मुल्कों को लाखों टन गल्ला भेजता था, उसी भारत की आज यह स्थिति हो गई है कि अरबों मन गल्ला हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। प्राचीन युग में भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, उसका क्या कारण था ? उसका मुख्य कारण यह था कि प्राचीन परम्परा के आधार पर हमारे यहां के चतुर समाज ने निम्न श्रेणी के समाज पर नाजायज आधिपत्य करके उसका शोषण करना प्रारंभ किया। उस शोषण में वह स्वयं मालिक रहा और जो अज्ञानी समाज था, उसको अपने सारे जीवन की सामग्री जुटाने के लिए, धन पैदा करने के लिये, एक गुलाम की हैसियत से काम कराता रहा। सम्भव हो सकता है कि अब हमारे पूर्वी जिलों में कुछ सुधार हो गया हो लेकिन अब भी वहां पर ऐसी परम्परा है कि हजारों एकड़ के फार्म्स खुले हुये हैं जहां पर बेचारे भूमिहीन खेतिहर मजदूर काम करते हैं और एक पीढ़ी से नहीं बल्कि तीन, चार पीढ़ियों से उन्हीं नम्बर को बोते जोतते चले आ रहे हैं लेकिन उन लोगों का उन पर आज तक मौरूसी हक नहीं हो पाया है। मुझे अब मालूम हुआ है कि हमारी सरकार ने पूर्वी जिलों में कागज दुरुस्ती के मामले कि लेकर बहुत कुछ सुधार किया है। इसका कारण क्या था ? कारण यही है कि वहां पर बड़े बड़े सामन्त लोग, बड़ बड़े रईस, ताल्लुकेदार जिनकी मनोवृत्ति हमेशा इस बात की रही की निम्न श्रेणी के वर्ग को हम श्रम में लगाये रहें और उनका शोषण करते रहें। इतना होने के बावजूद भी अगर देखा जाय तो बड़े बड़े लोगों के कम से कम हजारों एकड़ फार्म्स हैं और यह जो सीलिंग वाला बिल आज सदन के बेंच में पेश है, उसके बारे में तो मैं समझता हूं कि उनके हकूक पर सरकार बिलकुल एक मोहर जैसी छाप लगाने जा रही है। जैसा कि इस बिल में कहा गया है, उसमें इतनी छूट दी गई है कि उसका जो शीर्षक है कि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिये सीलिंग की जायगी लेकिन अगर आदि से अन्त तक इस बिल को देखा जाय तो इस बिल के देखने से ही पता चल जाता है कि एक इंच भूमि इस काबिल नहीं बच पायेगी जो भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में वितरण की जा सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब सवाल यह आता है कि अन्न समस्या कैसे हल हो । आज हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर सन् १९५१ की जनसंख्या के आधार पर करीब ३६,१२,९५९ भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की एक पल्टन है जो बिलकुल बेकार है और इतने भारी स्वरूप के जीवन निर्वाह के लिये सरकार क्या करने जा रही है । सरकार को इस समस्या को किसी न किसी तरह से हल करना पड़ेगा । उस समय से करीब ९ साल का अर्सा हो गया और आशा है कि अब तक उनकी संख्या बढ़ कर करीब ४० लाख तक पहुंच गई होगी ।

अब यह जो बिल है अगर इसके अन्तर्गत ४० एकड़ की सीमा रखी जाती है और परिवार की हर यूनिट में ८ एकड़ रख दिया जावे तथा ६ रुपये लगान प्रति एकड़ रखा जाय तो मेरे हिसाब से ४० का ड्योढ़ा ६० एकड़ हो जाता है और इससे पता चल जाता है कि इस आधार पर एक परिवार को १४४ एकड़ तक रखने का पूर्ण अधिकार इस बिल के द्वारा सरकार देने जा रही है ।

समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार कहां से और किस तरीके से इतनी भूमि बचा पायेगी कि वह भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को इतनी सीलिंग लगाने के बाद भी जमीन बांट सकेगी । मेरी समझ में एक यह सवाल आता है कि यह सरकार भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को एक डमरू सा बाजा बना कर जनता के सामने अपना एक लुभावनापन दिखला कर कि हम गरीब जनता के प्रति क्या करने जा रहे हैं, हम हजारों एकड़ जमीन बचा कर भूमिहीनों की समस्य को हल करने जा रहे हैं। जैसे बाजार में एक जादूगर डीमडीमी बजा कर जनता को इकट्ठा कर अपने स्वार्थ की सिद्धि करता है, उसी प्रकार से इस बिल में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की परिभाषा देकर के प्रदेश की निम्न श्रेणी की जनता के दिल और दिमाग को गुमराह करके अपना उल्लू सीधा करने के सिवाय और कोई बात नहीं है । इसलिये मैं मांग करता हूं कि जहां ४० एकड़ है उसके बजाय २० एकड़ रखा जाय। क्यों ? इसलिये कि सवा ६ एकड़ एक हल के द्वारा अच्छी तरह से जोती, बोयी जा सकती है, उसका तिगुना कर दिया जाय तो २० एकड़ होता है इसमें बागात वगैरह भी शामिल हों, तो २० एकड़ जमीन से सारा परिवार खा पी सकता है ।

इधर ४० के बजाय ४८ एकड़ का संशोधन है और बिल में जो व्यवस्था की गई है उसके अनुसार १४४ एकड़, ९६ एकड़ और ६४ एकड़ तक एक आदमी अपने पास जमीन रख सकता है । इसके अलावा अगर उसने १ मई, १९५९ तक बाग लगा लिया तो वह सारी जमीन छूट जायगी चाहे उसका रकबा कितना ही हो । बेला, चमेली, गुलाब अगर कोई हजारों एकड़ में लगा दे तो वह जमीन इस बिल की परिधि में नहीं आ सकती है । जिन्होंने ४८ एकड़ का संशोधन रखा है उसके एक परिवार के पारिवारिक समझौते के आधार पर अगर और तमाम समस्याय हो जाती हैं तो ५०० एकड़ के करीब एक ही परिवार के लिये जमीन खिंच जाती है । मान लो मेरे पास ५०० एकड़ जमीन है जिसको मैं अच्छी तरह से जुता, बुवा नहीं सकता, नतीजा यह होता है कि सारी की सारी जमीन अपने पास रखने के लिये इकहरा हल चलवा कर के दरहरी, अरहर बुवा दी जाती है ताकि सरकार समझ सके कि फलां आदमी का इस पर कब्जा है और पैदावार कुछ नहीं होती है जिससे देश की खाद्य समस्या हल नहीं होती ।

बड़े बड़े खातेदार, ताल्लुकेदार, राजा अपने अधिकार में अपने परिवार के भरण-पोषण के अलावा इतनी ज्यादा जमीन को घेरे हुये हैं जिससे भूमिहीन मजदूरों की समस्या हल नहीं हो पा रही हैं, परिणाम यह होता है कि सारी जमीन घेर करके एक बड़ा खाता बना रहता है और पैदावार न के बराबर होती है । अगर वही जमीन २०, २० एकड़ के खातों में बांट दी जाय तो एक परिवार के व्यक्ति और खेत वाला इतना परिश्रम करेगा, जोतेगा, बोयेगा और उतनी जमीन को वह अच्छी तरह से कर सकता है । जब वह अच्छी तरह से २० एकड़ जोतेगा, बोयेगा तो उसमें काफी पैदावार होगी । लेकिन यह सही है कि यदि एक परिवार २० एकड़ जमीन अच्छी तरह से जोतता बोता है और दूसरा परिवार ५०० एकड़ का फार्म रखे हुये है तो अगर पैदावार के आंकड़े लगायें जायें तो उनमें जमीन आसमान का अन्तर हो जायगा । उसकी पैदावार कई गुनी ज्यादा होगी और इतनी ज्यादा होगी कि वह अपने परिवार का भरण-पोषण करने के बाद देश व प्रदेश में जो अन्न की समस्या के सम्बन्ध में हाहाकार मचा हुआ है उसे भी वह हल कर लेगा ।

श्री अध्यक्ष—अब आप अपना भाषण कल जारी रखियेगा ।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
८ अगस्त, १९६० ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८–९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३ पर)

सूची 'क'

उन फर्मों की सूची जिनको मिल्क पाउडर का कोटा दिया गया और जिन्होंने पूर्ण तथा आंशिक रूप से अपना कोटा उठाया

फर्म का नाम, निवास स्थान का पता	कोटे का एलाटमेंट (टनों में)	उठाया गया कोटा (टनों में)	नहीं उठाया गया कोटा (टनों में)
१	२	३	४
१—मेसर्स भौलेराम खंडेलवाल, हाथरस, जिला अलीगढ़.	१३.५	१३.५	..
२—गेंदीलाल भगवानदास, बेलनगंज, आगरा ..	१४	१४	..
३—सूर्यप्रसाद ऐन्ड कम्पनी, बड़ागणेश, वाराणसी ..	१०	१०	..
४—कामता प्रसाद रामप्रताप, विसेसरगंज, वाराणसी	९	९	..
५—खुन्नू लाल ऐन्ड सन्स, महात्मा गांधी रोड, कानपुर ..	३३	३३	..
६—रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव फेडरेशन, लखनऊ ..	१०	१०	..
७—परसराम दीपचन्द ऐन्ड ब्रदर्स, बिरहना,रोड, कानपुर	४२	४२	..
८—किशोर बन्धु १५/२३९, सिविल लाइन्स, कानपुर ..	४०७.५	३४	३७३.५
९—खंडेलवाल कर्मशियल इन्टरप्राइजर्स, बेलनगंज, आगरा	१२२	२४	९८
१०—यूनाइटेड कार्मशियल सेन्डिकेड ९५, दाराशाह अजमल,इलाहाबाद	२५	५	२०
११—रामानन्द नारायन दास, शिकोहाबाद, जिला मैनपुरी	५०	स्टाक जिला सप्लाई अफसर द्वारा नहीं जांच किया गया ।	
१२—साहा ट्रेडर्स, जीनमंडी, आगरा	१४	फर्म मालिक का पता नहीं है ।	

सूची 'ख'

उन फर्मों की सूची जिन्होंने पूरा कोटा नहीं उठाया और एग्रीमेंट भंग किया

१—मेसर्स किशोर बन्धु, १५/२३९, सिविल लाइन्स, कानपुर ।

२—मेसर्स खंडेलवाल कार्मशियल इन्टरप्राइजर्स, बेलनगंज, आगरा ।

३—मेसर्स यूनाइटेड कार्मशियल सेन्डीकेट, ९५, दाराशाह अजमल, इलाहाबाद ।

४—मेसर्स रामानन्द नारायन दास, शिकोहाबाद, जिला मैनपुरी ।

५—मेसर्स साहा ट्रेडर्स, जीन मंडी, आगरा ।

पी० एस० यू० पी०–ए० पी०—१२० एल० ए०—१९६०—८४५ ।